585

[2022] 11 एस. सी. आर 585

क.

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनाम

भारत संघ व अन्य

(लेखन याचिका (सी) 2021 की सं. 961) 20 जनवरी, 2022

[डॉ**.** धनंजय वाई चंद्रचूड़ और ए**.** एस**.** बोपन्ना**,** जे**.** जे**.]**

भारत का संविधान-कला।15(1), 15(4), 15(5), 16(1) और 16 (4)-आरक्षण-राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एन. ई. ई. टी.)-अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण-स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए एन. ई. ई. टी. में अखिल भारतीय कोटा (ए. आई. क्यू.) सीटों में ओ. बी. सी. (गैर-क्रीमी परत)-आयोजितःयूजी और पीजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है-अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) अनुच्छेद 15 (1) का अपवाद नहीं हैं, जो स्वयं पर्याप्त समानता (मौजूदा असमानताओं की मान्यता सहित) का सिद्धांत निर्धारित करता है-योग्यता को एक खुली प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन की संकीर्ण परिभाषाओं तक कम नहीं किया जा सकता है जो केवल अवसर की औपचारिक समानता प्रदान करता है-खुली प्रतियोगी परीक्षा सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं करती है जो कुछ वर्गों को प्राप्त होता है और ऐसी परीक्षाओं में उनकी सफलता में योगदान देता है-एक परीक्षा में उच्च अंक योग्यता के लिए एक प्रॉक्सी नहीं हैं-योग्यता को सामाजिक रूप से संदर्भित किया जाना चाहिए और समानता जैसी सामाजिक वस्तुओं को आगे बढ़ाने वाले साधन के रूप में फिर से संकल्पित किया जाना चाहिए-ऐसे संदर्भ में, आरक्षण।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

585

586 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

क.

भारत का संविधान-अनुच्छेद 14,15 (1), 15 (4), 16 (4)-आरक्षण-योग्यता-याचिकाकर्ताओं की याचिका कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के स्तर पर उच्च स्तर के कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता है, इस प्रकार ऐसे अवसर सबसे मेधावी लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए और स्नातकोत्तर सीटों के लिए कोई भी आरक्षण प्रदान करना राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होगा-आयोजित किया गयाःयह कोई नया तर्क नहीं है-किसी भी वर्ग के लाभ के लिए बनाए गए विशेष प्रावधान (आरक्षण सहित) समानता के सामान्य सिद्धांत के लिए एक अपवाद नहीं हैं-विशेष प्रावधान समाज में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने का एक तरीका है, जिसके बिना, सच्ची या तथ्यात्मक समानता भ्रामक रहेगी-योग्यता और आरक्षण का द्विआधारी अब अनावश्यक हो गया है जब सर्वोच्च न्यायालय ने मूल समानता के सिद्धांत को अनुच्छेद 14 के जनादेश के रूप में और अनुच्छेद 15 (1) और 16 (1) के एक पहलू के रूप में मान्यता दे दी है-योग्यता की संकीर्ण परिभाषा (यानी, व्यक्तिगत उपलब्धि) मूल समानता की प्राप्ति में बाधा डालती है।

ग

भारत का संविधान-आरक्षण-अखिल भारतीय कोटा (ए. आई. क्यू.) सीटों की योजना-याचिकाकर्ताओं का विकास-याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि प्रदीप जैन मामले और उसके बाद के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि ए. आई. क्यू. सीटों में कोई आरक्षण नहीं होगा-आयोजितः ए. आई. क्यू. की योजना राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों में सीटें आवंटित करने के लिए तैयार की गई थी जिसमें देश भर के छात्र प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं-प्रदीप जैन में अवलोकन कि ए. आई. क्यू. सीटें योग्यता से भरी जानी चाहिए, योग्यता की तुलना में निवास आरक्षण तक सीमित होनी चाहिए-प्रदीप जैन में सर्वोच्च न्यायालय ने यह नहीं माना कि ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण की अनुमति नहीं है-यू. जी. और पीजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ए. आई. क्यू. का विकास।

डी.

ई.

च

भारत का संविधान-आरक्षण-अखिल भारतीय कोटा (ए. आई. क्यू.) सीटें-ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण लागू करने के लिए कार्यपालिका की शक्ति-याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि केंद्र सरकार को ए. आई. क्यू. में आरक्षण को अधिसूचित करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करना चाहिए था क्योंकि ए. आई. क्यू. योजना सर्वोच्च न्यायालय की एक रचना है।तर्क गलत है-अभय नाथ मामले में केंद्र सरकार ने एससी और एसटी उम्मीदवारों के लिए एआईक्यू में आरक्षण प्रदान करने के अपने इरादे को प्रस्तुत किया था, तब से सीट मैट्रिक्स के सीमांकन पर भ्रम को देखते हुए, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि एआईक्यू में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है या नहीं-इस प्रकार, अभय नाथ में यह स्पष्ट किया गया था कि एआईक्यू सीटों में आरक्षण की अनुमति है-इसलिए, अभय नाथ ए में आदेश

जी.

एच.

587

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत संघ व अन्य

बुद्धि प्रकाश शर्मा में पहले की टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए केवल स्पष्टीकरणात्मक था-इस आदेश की व्याख्या करने का अर्थ यह है कि भारत संघ ने आरक्षण प्रदान करने से पहले सर्वोच्च न्यायालय की अनुमति मांगी थी, यह एक ऐसी व्याख्या में सहायता करने के बराबर होगा जो न्यायिक अतिक्रमण को बढ़ावा देगी-केंद्र सरकार को ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करने से पहले न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी-ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करना सरकार का एक नीतिगत निर्णय है।

भारत का संविधान-आरक्षण-अखिल भारतीय कोटा (ए. आई. क्यू.) सीटें-ए. आई. क्यू. में ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला विवादित नोटिस 29 जुलाई 2021 को जारी किया गया था, जब परीक्षा के लिए पंजीकरण 18 अप्रैल 2021 को बंद हो गया था-याचिकाकर्ताओं की याचिका कि परीक्षा के नियमों को केवल पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले बदला जा सकता था और क्योंकि परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवारों को एक विशेष सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए, पंजीकरण के बाद सीट मैट्रिक्स में परिवर्तन मनमाना होगा-आयोजितः सूचना बुलेटिन के खंड 11 में निर्दिष्ट किया गया है कि एन. ई. ई. टी.-पी. जी. के लिए लागू आरक्षण को परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत से पहले परामर्श प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा-इसलिए, एन. ई. ई. टी.-पी. जी. के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सीट मैट्रिक्स के वितरण के बारे में कोई जानकारी प्रदान नहीं की जाती है-ऐसी जानकारी परामर्श प्राधिकरण द्वारा परामर्श सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदान की जाती है-इस प्रकार यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि खेल के नियम उस समय निर्धारित किए गए थे जब परीक्षा के लिए पंजीकरण बंद हो गया था।

ग

डी.

ई.

भारत का संविधान-आरक्षण-संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम 2019-अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6)-दस प्रतिशत आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के लिए मानदंड-चुनौती-आयोजितः ई. डब्ल्यू. एस. के निर्धारण के लिए मानदंडों को चुनौती देने के लिए न केवल मामले को विस्तार से सुनने की आवश्यकता होगी, बल्कि सभी इच्छुक पक्षों को भी सुनने की आवश्यकता होगी-हालांकि, इस याचिका के लंबित होने के कारण परामर्श प्रक्रिया में देरी को देखते हुए, ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान के लिए मौजूदा मानदंडों के साथ परामर्श सत्र शुरू करने की अनुमति देना आवश्यक समझा जाता है-न्यायिक औचित्य ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के निर्धारण के मानदंडों पर रोक लगाने के लिए अंतरिम आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देता है-यह कानून का एक तय सिद्धांत है कि किसी कानून या नियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामलों में, अदालत को एक अंतरिम आदेश पारित करने में सावधानी बरतनी चाहिए, जब तक कि अदालत आश्वस्त न हो जाए।

च

जी.

एच.

क.

कि नियम प्रथम दृष्टया मनमाने हैं-हालाँकि, इस स्तर पर, तर्कों पर सभी इच्छुक पक्षों को विस्तार से सुने बिना, मानदंडों की कथित मनमानेपन पर प्रथम दृष्टया राय बनाना अस्वीकार्य होगा-इसके अलावा, महामारी के बीच, डॉक्टरों की भर्ती में किसी भी देरी से महामारी का प्रबंधन करने की क्षमता प्रभावित होगी-इसलिए, प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी और देरी से बचना और तुरंत परामर्श शुरू करने की अनुमति देना आवश्यक है-2021-2022 के शैक्षणिक वर्ष के लिए एन. ई. ई. टी. यू. जी. और पीजी सीटों में ए. आई. क्यू. सीटों में ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण के कार्यान्वयन की अनुमति है-ओ. एम. नं. 36039/1/2019 में मानदंडों को ध्यान में रखते हुए ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान की जाए।

ग

ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान के लिए पांडे समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों की वैधता को चुनौती देने पर मामले को अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हुए, अदालत ने कहाः**1.1** अपनी ओर से, इस न्यायालय ने शुरू में योग्यता और आरक्षण के द्विआधारी को स्वीकार किया।माना जाता है कि अनुच्छेद **14,15 (1)** और **16 (1)** औपचारिक समानता के सामान्य सिद्धांत को मूर्त रूप देते हैं।अनुच्छेद **15 (4)** और **16 (4)** को इस सामान्य सिद्धांत के अपवाद के रूप में समझा गया, जो सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं।इस न्यायालय ने इन प्रतिस्पर्धी अनिवार्यताओं को संतुलित करने का प्रयास किया।इस तरह की समझ में योग्यता को अवसर की औपचारिक समानता के बराबर माना जाता है जिसे आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की चिंताओं के खिलाफ संतुलित किया जाना चाहिए।एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद **15 (4)** अनुच्छेद **15 (1)** का एक अपवाद है, जिसे पेश किया गया था क्योंकि समाज में कमजोर तत्वों की प्रगति को बढ़ावा देकर बड़े पैमाने पर समाज के हितों की सेवा की जाएगी।हालाँकि, चूंकि अनुच्छेद **15 (4)** (या आरक्षण) को अनुच्छेद **15 (1)** के तहत औपचारिक समानता की धारणा के विपरीत माना गया था, जिसे मोटे तौर पर योग्यता के सिद्धांत का पालन करने के रूप में समझा जाता है, इसलिए इस न्यायालय ने कहा कि आरक्षण पर एक सीमा होनी चाहिए, जिसे उसने आम तौर पर **50** प्रतिशत निर्दिष्ट किया होना चाहिए। इस दृष्टिकोण का पालन इस न्यायालय ने बाद के निर्णयों में किया, जिसमें एक वर्ग के लाभ के लिए किए गए विशेष प्रावधान को औपचारिक समानता के सिद्धांत से विचलन के रूप में देखा गया था।हालाँकि, इस न्यायालय के प्रमुख दृष्टिकोण को न्यायमूर्ति आर. सुब्बा राव ने अपनी असहमति ए में चुनौती दी थी।

डी.

ई.

च

जी.

एच.

589

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत संघ व अन्य

टी. देवदासन बनाम भारत संघ में, जहां विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि अनुच्छेद **16 (4)** एक अपवाद नहीं है, बल्कि अनुच्छेद **16 (1)** का एक पहलू है, जो कुछ समुदायों को हुए ऐतिहासिक नुकसान को दूर करने का प्रयास करता है। न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा व्यक्त विचार को इस न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस में अपनाया गया था, जिसने भारत में समानता न्यायशास्त्र को औपचारिक समानता से मूल समानता में बदल दिया; इस प्रकार, आरक्षण की हमारी समझ को भी बदल दिया।अधिकांश न्यायाधीशों ने स्वीकार किया कि किसी भी वर्ग के लाभ के लिए बनाए गए विशेष प्रावधान (आरक्षण सहित) समानता के सामान्य सिद्धांत के अपवाद नहीं हैं।विशेष प्रावधान समाज में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने का एक तरीका है, जिसके बिना, सच्ची या तथ्यात्मक समानता भ्रामक बनी रहेगी।न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ने अपनी सहमति वाली राय में कहा कि जबकि अनुच्छेद **16 (1)** के तहत समानता व्यक्ति-केंद्रित है (जो बहुमत का विचार था- न्यायमूर्ति मैथ्यू और न्यायमूर्ति बेग की बहुमत की राय, और न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति गुप्ता की असहमति), जिस तरह से इसे प्राप्त किया जाना है, वह उन समूहों की पहचान के माध्यम से है जो कुछ अधिकारों और अधिकारों तक समान पहुंच का आनंद नहीं लेते हैं।इस प्रकार, विद्वान न्यायाधीश ने परिकल्पना की कि नागरिकों के कुछ वर्गों के सामने आने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करके व्यक्तियों की समानता हासिल की जानी चाहिए, जिन्हें उन्होंने "बुनियादी अधिकारों या दावों के आनंद के लिए उनकी समान पहुंच के रास्ते में स्थित स्थितियां और परिस्थितियां" कहा।न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति फजल अली ने अपनी सहमति वाली राय में एक कदम आगे बढ़कर तर्क दिया कि अनुच्छेद **16 (1)** की सामग्री व्यक्तिगत-केंद्रित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन वर्गों को अवसर की समानता प्रदान करना है जो अपनी प्रगति के लिए संरचनात्मक बाधाओं का सामना करते हैं।न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने संविधान के अनुच्छेद **46** को लागू किया, जिसे अप्रवर्तनीय होने के बावजूद, अनुच्छेद **16 (1)** को प्रभावी बनाने के लिए नियोजित किया गया था।उनकी राय में अनुच्छेद **16 (1)** और **16 (4)** दोनों अलग-अलग संदर्भों में समूह असमानताओं को बराबर करने के लिए कार्य करते हैं।न्यायमूर्ति फजल अली ने अपनी सहमति वाली राय में कहा कि अनुच्छेद **16 (1)** के तहत अवसर की समानता समाज के कुछ वर्गों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करती है।उन्हें समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और केवल इसलिए पिछड़ेपन का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वे संस्थानों द्वारा स्थापित कुछ कृत्रिम मानकों को पूरा नहीं करते हैं।**[**पैरा **18-21] [619-D-G; 620-E-F; 621-F; 622-E-G; 623-G-H; 624-A-B-F]**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

590 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

क.

टी. देवदासन बनाम भारत संघ (1964) 4 एससीआर 680; सी. ए. राजेंद्रन बनाम भारत संघ (1968) 1 एससीआर 721; राज्य

केरल बनाम एन. एम. थॉमस (1976) 2 एस. सी. सी 310:1976 (1)

एससीआर **906;** इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ **1992** सप्लीमेंट

(3) एससीसी **217:[1992] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454-**अनुसरण किया गया।

एम**.** आर**.** बालाजी बनाम मैसूर राज्य **[1963]** पूरक **1** एस**.** सी**.** आर**. 439;** डॉ**.** जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री **(2021) 8**

एस**.** सी**.** सी**. 1-**संदर्भित।

1.2 योग्यता और आरक्षण का द्विआधारी अब अनावश्यक हो गया है जब इस न्यायालय ने मूल समानता के सिद्धांत को अनुच्छेद **14** के अधिदेश के रूप में और अनुच्छेद **15 (1)** और **16 (1)** के एक पहलू के रूप में मान्यता दी है।एक खुली प्रतियोगी परीक्षा औपचारिक समानता सुनिश्चित कर सकती है जहाँ सभी को भाग लेने का समान अवसर मिलता है।हालांकि**,** शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच में व्यापक असमानताओं के परिणामस्वरूप कुछ वर्गों के लोग वंचित हो जाएंगे जो इस तरह की प्रणाली में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होंगे।विशेष प्रावधान **(**जैसे आरक्षण**)** ऐसे वंचित वर्गों को उन बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाते हैं जिनका वे आगे के वर्गों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सामना करते हैं और इस प्रकार पर्याप्त समानता सुनिश्चित करते हैं।अग्रगामी वर्गों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं**,** वे प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और शिक्षण और कोचिंग केंद्रों तक पहुंच तक ही सीमित नहीं हैं**,** बल्कि उनके सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक पूंजी **(**संचार कौशल**,** उच्चारण**,** किताबें या शैक्षणिक उपलब्धियां**)** भी शामिल हैं जो उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिलती हैं।सांस्कृतिक पूंजी यह सुनिश्चित करती है कि एक बच्चे को अपने परिवार की स्थिति के अनुरूप उच्च शिक्षा या उच्च पदों को लेने के लिए पारिवारिक वातावरण द्वारा अनजाने में प्रशिक्षित किया जाए।यह उन व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं और उन समुदायों से आते हैं जिनके पारंपरिक व्यवसायों के परिणामस्वरूप खुली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल का संचरण नहीं होता है।उन्हें अग्रगामी समुदायों के अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है।दूसरी ओर**,** सामाजिक नेटवर्क **(**सामुदायिक संबंधों पर आधारित**)** तब उपयोगी हो जाते हैं जब व्यक्ति मार्गदर्शन लेते हैं और सलाह देते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और अपने करियर में आगे कैसे बढ़ें**,** भले ही उनके परिवार के पास आवश्यक ए**.**

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

591

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत संघ व अन्य

एक्सपोज़र।इस प्रकार**,** पारिवारिक आदतों**,** सामुदायिक संबंधों और विरासत में मिले कौशल का एक संयोजन कुछ वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करता है**,** जिसे फिर योग्यता प्रजनन और सामाजिक पदानुक्रम की पुष्टि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।**[**पैरा **24] [627-**बी**-**जी**; 628-**ए**-**बी**]**

बी**.** के**.** पवित्रा बनाम भारत संघ **(2019) 16** एस**.** सी**.** सी**. 129:**

2019] 7 एस**.** सी**.** आर**. 1086-**पर निर्भर।

1.3 इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता नहीं होती है**,** बल्कि यह समझना आवश्यक है कि योग्यता केवल स्वयं ही नहीं है।योग्यता के आसपास की बयानबाजी उस तरीके को अस्पष्ट करती है जिसमें परिवार**,** स्कूली शिक्षा**,** भाग्य और प्रतिभाओं का एक उपहार जिसे समाज वर्तमान में महत्व देता है**,** किसी की उन्नति में सहायता करता है।इस प्रकार**,** योग्यता का बहिष्कृत मानक उन लोगों की गरिमा को कम करने का काम करता है जो अपनी उन्नति में बाधाओं का सामना करते हैं जो उनकी खुद की नहीं हैं।लेकिन एक परीक्षा में अंकों के आधार पर योग्यता के विचार की गहन जांच की आवश्यकता होती है।जबकि परीक्षाएँ शैक्षिक अवसरों को वितरित करने का एक आवश्यक और सुविधाजनक तरीका है**,** अंक हमेशा व्यक्तिगत योग्यता का सबसे अच्छा पैमाना नहीं हो सकते हैं।फिर भी अंकों का उपयोग अक्सर योग्यता के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है।व्यक्तिगत क्षमता एक परीक्षा में प्रदर्शन को पार करती है।परीक्षा परिणाम जैसे मानकीकृत उपाय उम्मीदवारों के बीच गुणात्मक अंतर का सबसे सटीक मूल्यांकन नहीं हैं।सबसे अच्छा**,** एक परीक्षा केवल एक व्यक्ति की वर्तमान क्षमता को प्रतिबिंबित कर सकती है**,** लेकिन उनकी क्षमता**,** क्षमताओं या उत्कृष्टता के सरगम को नहीं**,** जो जीवित अनुभवों**,** बाद के प्रशिक्षण और व्यक्तिगत चरित्र से भी आकार लेती है।योग्यता के अर्थ को अंकों तक सीमित नहीं किया जा सकता है**,** भले ही यह शैक्षिक संसाधनों को वितरित करने का एक सुविधाजनक तरीका हो।जब परीक्षाएँ संसाधन आवंटन की प्रणालियों से अधिक होने का दावा करती हैं**,** तो वे छात्रों या पेशेवरों के रूप में व्यक्तियों के मूल्य का पता लगाने की एक विकृत प्रणाली का निर्माण करती हैं।इसके अतिरिक्त**,** चूंकि परीक्षाओं में सफलता के परिणामस्वरूप एक मेधावी व्यक्ति के रूप में उच्च सामाजिक स्थिति का उल्लेख होता है**,** वे अक्सर सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने वाले सामाजिक**,** सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों को अदृश्य रूप से प्रस्तुत करके कुछ समुदायों की बौद्धिक और सक्षम के रूप में मौजूदा वर्णनात्मक पहचान को बनाए रखते हैं और सुदृढ़ करते हैं।

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

592 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

क.

इस प्रकार**,** योग्यता के अर्थ को फिर से परिभाषित करने की आवश्यकता है।उदाहरण के लिए**,** यदि कोई उच्च अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं करता है**,** तो उन्हें केवल इसलिए मेधावी कहना मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं।कार्यों के औचित्य और लोक सेवा के प्रति समर्पण को योग्यता के मार्कर के रूप में भी देखा जाना चाहिए**,** जिसका मूल्यांकन प्रतियोगी परीक्षा में नहीं किया जा सकता है।समान रूप से**,** अभाव की स्थितियों से खुद को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक धैर्य और लचीलापन व्यक्तिगत क्षमता को दर्शाता है।**[**पैरा **25] [628-**जी**; 629-**ए**-**सी**; 630-**बी**-**ई**]**

माइकल सैंडल**,** मेरिट का अत्याचारःकॉमन गुड **(**पेंगुइन बोक्स**),** अश्विनी देशपांडे**,** भारत में सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक न्याय का क्या हुआ हैःजेनेट विक्स**-**लिम और रॉबर्ट पोलिन **(**संपादक**)** कैपिटलिस्म ऑन ट्रायल में एक आकलनःथॉमस वीस्कॉफ की परंपरा में अन्वेषण**,** प्रकाशकःएडवर्ड एल्गर पब्लिशिंग इंक**. (**नॉर्थम्प्टन**,** एमए**), 2013,** सतीश देशपांडे**,** पास**,** फेल**,** डिस्टिंक्शनःएक सामाजिक संस्थान के रूप में परीक्षा।मार्जोरी साइक्स मेमोरियल लेक्चर**,** रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन**,** अजमेर**, 3** मार्च**, 2010**।राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद**,** नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित**-**संदर्भित।

ग

डी.

ई.

1.4 यहां यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि एन**.** एम**.** थॉमस में निर्णय के बाद योग्यता और आरक्षण के द्विआधारी की सदस्यता लेने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।यदि खुली परीक्षाएं उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए अवसर की समानता प्रदान करती हैं**,** तो आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अवसरों को इस तरह से वितरित किया जाए कि पिछड़े वर्ग ऐसे अवसरों से समान रूप से लाभान्वित हो सकें जो आमतौर पर संरचनात्मक बाधाओं के कारण उनसे बच जाते हैं।यह एकमात्र तरीका है जिसमें योग्यता एक लोकतांत्रिक शक्ति हो सकती है जो विरासत में मिले नुकसान और विशेषाधिकारों को बराबर करती है।अन्यथा व्यक्तिगत योग्यता के दावे कुछ और नहीं बल्कि विरासत को अस्पष्ट करने के उपकरण हैं जो उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं।यदि योग्यता एक सामाजिक भलाई है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए**,** तो योग्यता की सामग्री की पहले आलोचनात्मक जांच की जानी चाहिए।एक परीक्षा में अंक उत्कृष्टता या क्षमता का एकमात्र निर्धारक नहीं होते हैं।भले ही ए के लिए

च

जी.

एच.

593

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत संघ व अन्य

तर्क के अनुसार**,** यह माना जाता है कि अंक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं**,** यह एकमात्र मूल्य नहीं है जिसे सामाजिक भलाई माना जाता है।योग्यता के वितरण संबंधी परिणामों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।तदनुसार**,** योग्यता का मूल्यांकन कैसे किया जाता है**,** यह भी समाहित होना चाहिए कि क्या यह असमानताओं को कम करता है या बढ़ाता है।योग्यता और आरक्षण का एक विरोधी प्रतिमान आरक्षित उम्मीदवारों को अक्षमता के क्षेत्र में धकेलकर और उनकी क्षमताओं को कम करके असमानताओं को बढ़ाने का काम करता है।जबकि परीक्षाएँ शैक्षिक संसाधनों को आवंटित करने के लिए एक आवश्यक और सुविधाजनक तरीका है**,** वे योग्यता के प्रभावी मार्कर नहीं हैं।जिस तरह से योग्यता को समझा जाता है**,** वह व्यक्तिगत एजेंसी या क्षमता तक सीमित नहीं होना चाहिए **(**जो किसी भी मामले में केवल हमारे अपने काम से नहीं है**),** बल्कि इसे एक सामाजिक भलाई के रूप में देखा जाना चाहिए जो समानता को आगे बढ़ाता है क्योंकि यही वह मूल्य है जिसका हमारा संविधान समर्थन करता है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ समानता का केवल एक पुनर्वितरण आयाम नहीं है**,** बल्कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य और गरिमा को पहचानना भी शामिल है।योग्यता की सामग्री समाज में मूल्यवान चीज़ों से रहित नहीं हो सकती है।उपरोक्त चर्चा के आधार पर**,** योग्यता की संकीर्ण परिभाषा **(**यानी व्यक्तिगत उपलब्धि**)** को स्वीकार करना मुश्किल है।इस तरह की परिभाषा मूल समानता की प्राप्ति में बाधा डालती है।**[**पैरा **27** और **28] [633-**डी**-**जी**; 634-**एफ**-**जी**; 635-**ए**]**

ग

डी.

ई.

अमर्त्य सेन**,** एरो केजे में **"**मेरिट एंड जस्टिस**",** एट अल **(**एड**),** मेरिटोक्रेसी एंड इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी **(**प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस **2000)-**संदर्भित।

1.5 इस मुद्दे पर आते हुए कि क्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है**,** यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद **15 (5)** स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के बीच अंतर नहीं करता है।संविधान राज्य को स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।जबकि कुछ अवसरों पर**,** इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एसएस पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं हो सकता है**,** इस न्यायालय ने कभी यह नहीं माना है कि मेडिकल पीजी पाठ्यक्रमों में आरक्षण की अनुमति नहीं है।प्रदीप जैन

के मामले में, इस न्यायालय ने यह नहीं माना कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण पूरी तरह से अस्वीकार्य है।याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया था कि कई व्यक्तियों के लिए पीजी मार्ग का अंत है और इसलिए, पीजी पाठ्यक्रमों को एसएस पाठ्यक्रमों के बराबर माना जाना चाहिए और नहीं।

च

जी.

एच.

594 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

क.

पीजी में आरक्षण की अनुमति दी जानी चाहिए। इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल है जब इस न्यायालय ने बार-बार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण की अनुमति दी है।यह तर्क केवल स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के बीच एक कृत्रिम अंतर पैदा करने का प्रयास करता है।इसके अलावा, केवल कुछ चिकित्सा क्षेत्रों में एसएस पाठ्यक्रम नहीं हैं और इसके आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि समग्र रूप से पीजी में आरक्षण की अनुमति नहीं है।महत्वपूर्ण रूप से, यहाँ मुद्दा यह है कि क्या स्नातक होने के बाद कोई व्यक्ति इस आधार पर आरक्षण का हकदार है कि वह उस वर्ग से संबंधित है जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित है।यह नहीं कहा जा सकता है कि पिछड़ेपन का प्रभाव केवल इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि एक उम्मीदवार के पास स्नातक योग्यता होती है।वास्तव में, एक स्नातक योग्यता कुछ सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता प्रदान कर सकती है, लेकिन यह अपने आप में आगे के वर्गों और पिछड़े वर्गों के बीच समानता पैदा नहीं करती है।किसी भी स्थिति में, अति-समावेशन का दावा नहीं किया जा सकता है जहां अयोग्य उम्मीदवारों को आरक्षण से लाभान्वित होने के लिए कहा जाता है क्योंकि क्रीमी लेयर में आने वाले ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ लेने से बाहर रखा जाता है।स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (या ओ. बी. सी.) के लिए आरक्षण शुरू करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है।**[**पैरा **29] [635-**बी, डी-ई**; 636-**ए-डी**]**

ग

डी.

डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य **(1999)**

ई.

7 एससीसी 120:[1999] 1 पूरक।एससीआर 249; एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 2002 (1) एससीसी 428:[2001] 2 पूरक।

एससीआर **79;** सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ **(2003) 11**

एस. सी. सी. **146:[2003] 5** पूरक।एस. सी. आर. **152-**संदर्भित।

2.1 यूजी और पीजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ए. आई. क्यू. के विकास का पता लगाने के बाद, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं:क्या प्रदीप जैन के मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया कि ए. आई. क्यू. सीटें जो एक खुली अखिल भारतीय परीक्षा द्वारा भरी जानी थीं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण से मुक्त होनी चाहिए, और अनुच्छेद **15 (4)** द्वारा सक्षम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए**;** और **(ii)** क्या ए. आई. क्यू. में आरक्षण केवल इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।प्रदीप जैन के मामले में यह न्यायालय अधिवास/निवास के आधार पर आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर निर्णय ले रहा था।यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि निवास आधारित आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है, अगला प्रश्न जिसे इस न्यायालय को सौंपा गया था, वह था निवास-आधारित आरक्षण ए की मात्रा का निर्णय लेना।

च

जी.

एच.

595

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत संघ व अन्य

इसकी अनुमति दी जा सकती है।इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए

जगदीश सरन बनाम भारत संघ में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि

थोक आरक्षण **(**यानी **100** प्रतिशत आरक्षण**)** होना चाहिए।यह देखा गया कि एक निश्चित प्रतिशत सीटों को निवास के आधार पर आरक्षण के बिना अखिल भारतीय परीक्षा द्वारा खुली योग्यता से भरा जाना चाहिए।चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति ने सुझाव दिया था कि एक चिकित्सा महाविद्यालय में **75** प्रतिशत सीटें राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित की जाएंगी।इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य के निवासियों के लिए **70** प्रतिशत सीटें आरक्षित करना उचित होगा।इसलिए**, 30** प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से भरी जानी थीं।इसका मतलब यह होगा कि देश भर के उम्मीदवार राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध **30** प्रतिशत सीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।इस संदर्भ में**,** इस न्यायालय ने कहा था**,** "इस तरह के आरक्षण को वैध रूप से किए गए अन्य प्रकार के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थिति में खुली सीटों की कुल संख्या के **70** प्रतिशत की बाहरी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए" **(**पैराग्राफ **21)**।पीठ ने आगे कहा कि कम से कम **30** प्रतिशत खुली सीटें अखिल भारतीय आधार पर छात्रों के प्रवेश के लिए उपलब्ध होंगी**,** चाहे वे किसी भी राज्य या विश्वविद्यालय से आए हों और ऐसे प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा या राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा **(**पैराग्राफ **21)** के आधार पर दिए जाएंगे।इस न्यायालय की यह टिप्पणी कि ए**.** आई**.** क्यू**.** सीटें विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए**,** की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि ए**.** आई**.** क्यू**.** सीटों में कोई आरक्षण नहीं होगा।योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए और इसके वितरण संबंधी परिणामों के अनुसार पुनर्गठित किया जाना चाहिए जहां यह संविधान के अनुच्छेद **15 (4)** और **15 (5)** के संदर्भ में पर्याप्त समानता को आगे बढ़ाता है।निर्णय के पैराग्राफ **21** में योग्यता के संदर्भ को निर्णय में की गई पिछली टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।**[**पारस **44** और **45] [650-**ई**-**जी**; 651-**ए**-**डी**]**

ग

डी.

ई.

च

डॉ**.** प्रदीप जैन बनाम भारत संघ **(1984) 3** एससीसी **654:**

[1984] 3 एस**.** सी**.** आर**. 942-**स्पष्ट।

जी.

जगदीश सरन बनाम भारत संघ, 1980 ए. आई. आर. 820:[1980]

2 एससीआर **831-**संदर्भित

2.2 अधिवास**-**आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर चर्चा करते हुए यह देखा गया कि अखिल भारतीय खुली परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों का चयन आगे बढ़ेगा।

एच.

क.

योग्यता क्योंकि यह 'देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग' के चयन की अनुमति देगा।इस संदर्भ में, यह देखा गया कि योग्यता-आधारित चयन के सिद्धांत से विचलन को उचित ठहराने में इस न्यायालय के साथ वजन करने वाले दावे हैं:**(i)** राज्य हित का दावा, जहां छात्रों से उनके निवास स्थान को देखते हुए बसने और अपने राज्य की सेवा करने की उम्मीद की जाती है; और **(ii)** क्षेत्रों के पिछड़ेपन का दावा **(**पैराग्राफ **16)**।इसके अलावा, यह देखा गया कि हालांकि सैद्धांतिक रूप से, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश अखिल भारतीय परीक्षा पर आधारित होना चाहिए क्योंकि यह योग्यता को आगे बढ़ाएगा और देश भर में उम्मीदवारों को अवसर की समानता प्रदान करेगा, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यात्मक समानता प्राप्त नहीं की जाएगी।इसलिए, ए. आई. क्यू. सीटें विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर एक अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से दाखिल की जाएंगी, केवल निवास-आधारित आरक्षण और चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अखिल भारतीय परीक्षा की आवश्यकता पर की गई चर्चा के संदर्भ में व्याख्या की जानी चाहिए।इसलिए 'योग्यता' के संदर्भों को योग्यता और निवास आरक्षण के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।यह निर्णय के पैराग्राफ **21** में दिए गए अवलोकन से और स्पष्ट होता है, जिसमें यह कहा गया था कि "कम से कम **30** प्रतिशत खुली सीटें अखिल भारतीय आधार पर छात्रों के प्रवेश के लिए उपलब्ध होंगी, चाहे वे किसी भी राज्य या विश्वविद्यालय से आए हों और ऐसे प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा या राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे।"पीठ ने सोचा कि यह उचित है कि अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश से आगे योग्यता बढ़ेगी, जिससे पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क चिकित्सा का अध्ययन करने में सक्षम होंगे।इस पहलू को दिनेश कुमार **(**आई**)** मामले में पीठ द्वारा और स्पष्ट किया गया, जहां इस न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद ने ए. आई. क्यू. सीटों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की है।प्रदीप जैन में एक ए. आई. क्यू. बनाने में इस न्यायालय का उद्देश्य केवल देश भर के उम्मीदवारों को देश के अन्य हिस्सों के कॉलेजों में भी चिकित्सा का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना था, क्योंकि विभिन्न राज्यों में चिकित्सा महाविद्यालयों **(**और अवसरों**)** की असमान संख्या है।**[**पारस **46** और **47] [651-**एफ-एच; **652-**ए-डी; **653-**बी-डी**]** ए

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

597

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत संघ व अन्य

दिनेश कुमार **(**आई**)** बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज **(1985) 3**

एससीसी **22:[1985] 1** पूरक।एससीआर **41-**चर्चा की गई।

2.3 पिछड़े वर्गों के आरक्षण का संदर्भ केवल सीट मैट्रिक्स निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए दिया गया था।प्रदीप जैन में पैराग्राफ **21** में सीट मैट्रिक्स की गणना पर अवलोकन दिनेश कुमार **(I)** में स्पष्ट किया गया था।पीठ ने स्पष्ट किया था कि आरक्षण **(**राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए**)** के वैध होने के बाद, शेष **30** प्रतिशत सीटें ए. आई. क्यू. के तहत आरक्षित की जाएंगी। इसलिए, सीटों के सीमांकन पर दिनेश कुमार **(**आई**)** के स्पष्टीकरण के अनुसार, पहला विभाजन आरक्षित और गैर-आरक्षित सीटों के बीच होना चाहिए, और खुली श्रेणी में शेष सीटों को राज्य कोटा और ए. आई. क्यू. में विभाजित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह तीन गुना ऊर्ध्वाधर आरक्षण

था, जिसमें आरक्षित श्रेणी को ए. आई. क्यू. या राज्य कोटे के भीतर नहीं माना जा रहा था।सीटों के सीमांकन की इस पद्धति की तार्किक भ्रांति यह है कि विभिन्न राज्य आरक्षण के अलग-अलग प्रतिशत प्रदान करते हैं।इसलिए, अनारक्षित सीटों का कुल प्रतिशत राज्य द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण के प्रतिशत पर विपरीत रूप से निर्भर करेगा।तमिलनाडु राज्य ने दिनेश कुमार (द्वितीय) में यह आपत्ति उठाई।इसके अनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वैध रूप से किए गए किसी भी आरक्षण को हटाए बिना ए. आई. क्यू. सीटों का निर्धारण किया जाएगा।सीटों को पहले राज्य कोटे और ए. आई. क्यू. में विभाजित किया गया था, और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण (उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए) को राज्य कोटे के भीतर समायोजित किया गया था।जब दिनेश कुमार (द्वितीय) मामले में फैसला सुनाया गया था, तब केंद्र सरकार ने एआईक्यू सीटों में आरक्षण प्रदान करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था।इसके बाद **2009** में केंद्र सरकार ने ए. आई. क्यू. में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का नीतिगत निर्णय लिया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जयकुमार और राजेश्वरन मामले में याचिकाकर्ताओं ने इस अदालत से ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्देश देने की मांग की थी।राजेश्वरन में, इस न्यायालय ने यह पता लगाने से इनकार कर दिया कि क्या कोई व्यक्ति ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण का हकदार होगा।यह देखा गया कि यदि ए. आई. क्यू. सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इससे सीटों के समायोजन में कठिनाई होगी क्योंकि राज्य और केंद्रीय सूचियां अलग-अलग होंगी।हालाँकि, जब केंद्र सरकार ने अभय नाथ में इस अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने ए. आई. क्यू. में सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है, तो यह स्पष्ट किया गया कि

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

598 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

क.

इस तरह के कार्यान्वयन के खिलाफ कोई बाधा नहीं थी

आरक्षण।बुद्धि प्रकाश शर्मा में, थोड़ा सा था

स्थापित न्यायशास्त्र से विचलन।इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि ए. आई. क्यू. में स्नातकोत्तर सीटों की कुल संख्या आरक्षण के लिए किसी भी बहिष्कार के बिना कुल सीटों का **50** प्रतिशत होगी।पीठ ने दिनेश कुमार (द्वितीय) में इस टिप्पणी की व्याख्या की थी कि ए. आई. क्यू. सीटों का निर्धारण आरक्षण को हटाए बिना किया जाएगा, जिसका अर्थ है कि ए. आई. क्यू. में कोई आरक्षण नहीं होगा। इसलिए, चूंकि प्रदीप जैन ने ए. आई. क्यू. सीटों को आरक्षण से नहीं रोका, इसलिए अभय नाथ की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा सीटों में ए. आई. क्यू. की **50** प्रतिशत सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण शामिल होगा।**[**पारस **48-51] [653-**ई, जी-एच**; 654-**ए-सी, ई-एच**; 655-**ए-बी**]**

ग

दिनेश कुमार (द्वितीय) बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज

(1986) 3 एससीसी 727:[1986] 3 एस. सी. आर. 345; भारत संघ बनाम जयकुमार (2008) 17 एस. सी. सी. 478; भारत संघ बनाम आर. राजेश्वरन (2003) 9 एस. सी. सी. 295; बुद्धि प्रकाश

डी.

शर्मा बनाम भारत संघ **(2005) 13** एस**.** सी**.** सी **61 -**

चर्चा की।

3. अभय नाथ मामले में**,** केंद्र सरकार ने इस न्यायालय को ए**.** आई**.** क्यू**.** में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के अपने फैसले से अवगत कराया था। इसने तब एक नीतिगत निर्णय के रूप में केवल एससी और एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था।संसद ने अनुच्छेद **15 (5)** में सक्षम प्रावधान को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान **(**प्रवेश में आरक्षण**)** अधिनियम **2006** लागू किया।धारा **3** में कहा गया है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए **15** प्रतिशत**,** अनुसूचित जनजाति के लिए **7.5** प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए **27** प्रतिशत आरक्षण होगा।अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ मामले में एक संविधान पीठ ने **2006** के अधिनियम के तहत प्रदान किए गए ओ**.** बी**.** सी**.** श्रेणी के लिए **27** प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।यद्यपि **2006** का अधिनियम राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में ए**.** आई**.** क्यू**.** के लिए निर्धारित सीटों पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह अधिनियम के तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा**,** अनुच्छेद **15 (5)** को देखते हुए भारत संघ के पास ए**.** आई**.** क्यू**.** सीटों में ओ**.** बी**.** सी**.** के लिए आरक्षण प्रदान करने की शक्ति है।ए**.** आई**.** क्यू**.** सीटों में आरक्षण प्रदान करना राज्यों के लिए मान्य नहीं है क्योंकि इन सीटों को ए**.**

ई.

च

जी.

एच.

599

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत संघ व अन्य

केंद्र।यह दिनेश कुमार **(**द्वितीय**)** में उजागर विसंगति को भी जन्म देगा क्योंकि विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत अलग**-**अलग होगा**,** जिससे विभिन्न राज्यों में ए**.** आई**.** क्यू**.** में उपलब्ध सीटों का असमान प्रतिशत होगा।यह इस तथ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है कि एससी**,** एसटी और ओ**.** बी**.** सी**.** सूचियाँ सभी राज्यों में समान नहीं हैं।इस प्रकार**,** ए**.** आई**.** क्यू**.** सीटों में आरक्षण लागू करना केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है।**[**पैरा **53] [655-**एफ**-**एच**; 656-**ए**-**डी**]**

अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ **(2008) 6** एस**.** सी**.** सी**. 1:[2008] 4** एस**.** सी**.** आर**. 1;** अभय नाथ बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय

(2009) 17 एस**.** सी**.** सी**. 705-**संदर्भित।

ग

4. ए**.** आई**.** क्यू**.** सीटों में ओ**.** बी**.** सी**.** और ई**.** डब्ल्यू**.** एस**.** श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला विवादित नोटिस पंजीकरण बंद होने के बाद लेकिन परीक्षा आयोजित होने से पहले जारी किया गया था।सूचना बुलेटिन के खंड **11** में निर्दिष्ट किया गया है कि लागू आरक्षण को डॉ**.** प्रेरणा शर्मा के तथ्यों के विपरीत**,** परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत से पहले परामर्श प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।एन**.** ई**.** ई**.** टी**.-**पी**.** जी**.** के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सीट मैट्रिक्स के वितरण पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है।इस तरह की जानकारी परामर्श प्राधिकरण द्वारा परामर्श सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदान की जाती है।**[**पैरा **58] [659-**एफ**-**जी**; 660-**बी**-**सी**]**

डी.

ई.

5. निष्कर्ष-उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए यह माना गया है कि यूजी और पीजी मेडिकल और डेंटल पाठ्यक्रमों के लिए ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण निम्नलिखित कारणों से संवैधानिक रूप से मान्य है:**(i)** अनुच्छेद **15 (4)** और **15 (5)** अनुच्छेद **15 (1)** के अपवाद नहीं हैं, जो स्वयं मूल समानता **(**मौजूदा असमानताओं की मान्यता सहित**)** के सिद्धांत को निर्धारित करता है।इस प्रकार, अनुच्छेद **15 (4)** और **15 (5)** मूल समानता के नियम के एक विशेष पहलू का पुनर्कथन बन जाता है जो अनुच्छेद **15 (1)** में निर्धारित किया गया है**; (ii)** योग्यता को एक खुली प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन की संकीर्ण परिभाषाओं तक कम नहीं किया जा सकता है जो केवल अवसर की औपचारिक समानता प्रदान करता है।प्रतियोगी परीक्षाएँ शैक्षिक संसाधनों को आवंटित करने के लिए बुनियादी वर्तमान क्षमता का आकलन करती हैं लेकिन किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता, क्षमताओं और क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं जो आकार भी लेती हैं।

च

जी.

एच.

क.

जीवित अनुभवों, बाद के प्रशिक्षण और व्यक्तिगत चरित्र द्वारा।महत्वपूर्ण रूप से, खुली प्रतियोगी परीक्षाएँ सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं जो कुछ वर्गों को प्राप्त होती हैं और ऐसी परीक्षाओं में उनकी सफलता में योगदान देती हैं**; (iii)** परीक्षा में उच्च अंक योग्यता के लिए एक प्रॉक्सी नहीं हैं।योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए और एक ऐसे साधन के रूप में पुनर्गठित किया जाना चाहिए जो समानता जैसी सामाजिक वस्तुओं को आगे बढ़ाता है जिन्हें हम एक समाज के रूप में महत्व देते हैं।ऐसे संदर्भ में, आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसके वितरण संबंधी परिणामों को आगे बढ़ाता है**; (iv)** अनुच्छेद **15 (4)** और **15 (5)** समूह पहचान को एक ऐसी विधि के रूप में नियोजित करता है जिसके माध्यम से मूल समानता प्राप्त की जा सकती है।इससे एक विसंगति पैदा हो सकती है जहां किसी चिन्हित समूह के कुछ व्यक्तिगत सदस्य जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, वे पिछड़े नहीं हो सकते हैं या गैर-चिन्हित समूह से संबंधित व्यक्ति किसी चिन्हित समूह के सदस्यों के साथ पिछड़ेपन की कुछ विशेषताओं को साझा कर सकते हैं।व्यक्तिगत अंतर विशेषाधिकार, भाग्य या परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग कुछ समूहों को होने वाले संरचनात्मक नुकसान को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता है**; (v)** ए. आई. क्यू. की योजना राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा और दंत संस्थानों में सीटें आवंटित करने के लिए तैयार की गई थी जिसमें देश भर के छात्र प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।ए. आई. क्यू. सीटों को योग्यता के आधार पर भरा जाना चाहिए, प्रदीप जैन की टिप्पणियों को योग्यता और निवास आरक्षण तक सीमित पढ़ा जाना चाहिए।प्रदीप जैन के मामले में इस अदालत ने यह नहीं माना कि ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण अस्वीकार्य है**; (vi)** भारत संघ ने अभय नाथ में इस अदालत के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें ए. आई. क्यू. सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के नीतिगत निर्णय को रखा गया था, तब से सीट मैट्रिक्स के सीमांकन पर भ्रम को देखते हुए, ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी।ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करने से पहले केंद्र सरकार को इस न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।इसलिए, ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करना सरकार का एक नीतिगत निर्णय है, जो प्रत्येक आरक्षण नीति के समान न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा के अधीन होगा**; (vii)** दिनेश कुमार **(II)** में यह स्पष्ट किया गया था कि ए. आई. क्यू. के लिए सीमांकित कुल सीटों का निर्धारण आरक्षण को हटाए बिना किया जाएगा जैसा कि पहले प्रदीप जैन द्वारा निर्देशित किया गया था और दिनेश कुमार **(I)** में स्पष्ट किया गया था।हालाँकि, बुद्धि प्रकाश शर्मा के मामले में इस अदालत ने ए.

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

601

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत संघ व अन्य

दिनेश कुमार **(**द्वितीय**)** के स्पष्टीकरण का गलत अर्थ यह लगाया कि ए**.** आई**.** क्यू**.** सीटों में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए अभय नाथ का आदेश केवल स्पष्ट करने वाला था।

बुद्धि प्रकाश शर्मा में टिप्पणियाँ**;** और **(viii)** के खंड **11**

सूचना बुलेटिन में निर्दिष्ट किया गया है कि एन**.** ई**.** ई**.** टी**.-**पी**.** जी**.** पर लागू आरक्षण को परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत से पहले परामर्श प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।इसके अलावा**,** एन**.** ई**.** ई**.** टी**.-**पी**.** जी**.** के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सीट मैट्रिक्स के वितरण के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जाती है।इस तरह की जानकारी केवल परामर्श प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है क्योंकि परामर्श सत्र शुरू होना है।इस प्रकार यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि परीक्षा के लिए पंजीकरण बंद होने पर खेल के नियम निर्धारित किए जाते हैं।**29** जुलाई **2021** के नोटिस के माध्यम से पेश किए गए ए**.** आई**.** क्यू**.** सीटों में ओ**.** बी**.** सी**.** आरक्षण की संवैधानिक वैधता को चुनौती को खारिज कर दिया गया है।**[**पैरा **59] [660-**डी**-**एच**; 661-**ए**-**एच**; 662-**ए**-**डी**]**

ग

मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (2008) 3 एससीसी 512:[2008]

डी.

2 एससीआर **1025;** महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम राजेंद्र भीमराव मांडवे **(2011) 10** एससीसी **51;** उमराव सिंह बनाम पंजाबी विश्वविद्यालय **(2005) 13**

एससीसी 365:[2005] 5 पूरक।एससीआर 530; तेज प्रकाश

पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय **(2013) 4** एससीसी **540 -**

ई.

प्रतिष्ठित।

सलोनी कुमारी बनाम महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 596/2015; गुलशन प्रकाश बनाम राज्य

हरियाणा (2010) 1 एससीसी 477:[2009] 16 एससीआर 1; अशोक

कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ **(2007) 4** एससीसी **361:2007 (4)** एस**.** सी**.** आर**. 493;** यू**.** पी**.** राज्य बनाम प्रदीप टंडन **[1975] 2** एस**.** सी**.** आर**. 761;** नूकावरपु कनकदुर्गा देवी बनाम काकतीय मेडिकल कॉलेज ए**.** आई**.** आर**. 1972** ए**.** पी**. 83;** जगदीश

च

सरन बनाम भारत संघ, 1980 ए. आई. आर. 820:[1980] 2 एससीआर

831; डॉ**.** संदीप सदाशिवराव बनाम भारत संघ **(2016)**

2 एससीसी **328:[2015] 14** एस**.** सी**.** आर**. 328-**संदर्भित।

जी.

इंद्र साहनी बनाम भारत संघ **(**ए**.** आई**.** आर**. 1993** एस**.** सी**. 477):[1992] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454;** जनहित अभियान बनाम भारत संघ डब्ल्यू**.** पी**. (**सी**) 55/2019;** शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम नारायण के**.** टोटामे **(1990) 1** एस**.** सी**.** सी**. 520;** देबराज सामंत और अन्य। वी**.**चिकित्सा परामर्श समिति डब्ल्यू**.** पी**. (**सी**)** संख्या **680**

एच.

602 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2022] 11 एस. सी. आर.

2021; बी**.** के**.** पवित्रा बनाम भारत संघ **(2019) 16** एससीसी

क.

129 :[2019] 7 एससीआर 1086; प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 1984 एआईआर 1420:[1984] 3 एस. सी. आर. 942; दिल का

लाखों बनाम भारत संघ, 2014 (14) एस. सी. सी. 496 -

संदर्भित किया गया।

खण्ड **7,** भारत की संविधान सभा की बहस**, 30** नवंबर **1948,** यहां उपलब्ध है:// डब्ल्यू**.** डब्ल्यू**.**भारत का संविधान। नेट/कांस्टीट्यूशन _ असेंबली _ डिबेट/वॉल्यूम/**7/19 48-11-30,** वॉल्यूम **9,** भारत की संविधान सभा की बहस**, 23** अगस्त **1949,** यहां उपलब्ध है://डब्ल्यू**.** डब्ल्यू**.**भारत का संविधान।नेट/संविधान _ सभा _ बहस/खंड/**9/949-08-23,** के**.** वी**.** स्याम्प्रसाद**,** सांस्कृतिक राजधानी के रूप में योग्यता और जातिःकेरल**,** भारत में वंचितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई को उचित ठहराते हुए**,** जर्नल फॉर क्रिटिकल एजुकेशन पॉलिसी स्टडीज**,** खंड **17,p.50-81 (2019);**पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह**, (1974) 3** एस**.** सी**.** सी**. 220** के फैसले पर ध्यान दिया**,** जिसमें उच्चतम न्यायालय ने न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं करने के राज्य के फैसले को बरकरार रखा।

ग

डी.

निर्णीत विधि संदर्भ

ई.

फैसले में कहा गया हैः

[1984] 3 एससीआर **942**

स्पष्ट कीजिए।

पैरा **2 [1985] 1** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 41** ने पैरा **2 [1986] 3** एस**.** सी**.** आर**. 345** पर चर्चा की पैरा **2 (2009) 17** एस**.** सी**.** सी**. 705** पैरा **4 (2003) 9** एस**.** सी**.** सी**. 294** पर चर्चा की पैरा **4 (iii) (2008) 17** एस**.** सी**.** सी**. 478** पैरा **4 (iii) [1999] 1** पूरक पर चर्चा की।एस**.** सी**.** आर**. 249** पैरा **4 (**वी**) [2003] 5** सप्लीमेंट को संदर्भित करता है।पैरा **14 (viii) [2009] 16** एस**.** सी**.** आर**. 1** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 152**

च

जी.

संदर्भित किया गया है

पैरा **14 (viii)**

[2007] 4 एससीआर **493**

संदर्भित किया गया है

पैरा **14 (viii)**

[1963] उदाहरण **1** एस**.** सी**.** आर**. 439** पैरा **18** ए**.**

एच.

603

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत संघ व अन्य

[1964] 4 एससीआर **680**

पीछा किया।

पैरा **19**

[1968] 1 एससीआर **721**

पीछा किया।

पैरा **19**

[1976] 1 एससीआर **906**

पीछा किया।

पैरा **20**

[1992] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454** का अनुसरण किया गया

पैरा **23**

(2021) 8 एससीसी **1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **23**

[2019] 7 एससीआर **1086**

पर भरोसा किया

पैरा **24 [2001] 2** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 79** पैरा **29 [1975] 2** एस**.** सी**.** आर**. 761** पैरा **31 (2005) 13** एस**.** सी**.** सी**. 61** पैरा **40 [1980] 2** एस**.** सी**.** आर**. 831** पैरा **45 [2008] 4** एस**.** सी**.** आर**. 1**

ग

संदर्भित किया गया है

पैरा **53**

[2008] 2 एससीआर **1025**

प्रतिष्ठित

पैरा **55**

डी.

[2005] 5 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 530** विशिष्ट पैरा **56 (2011) 10** एस**.** सी**.** सी**. 51** विशिष्ट पैरा **56 (2013) 4** एस**.** सी**.** सी**. 540** विशिष्ट पैरा **57 [2015] 14** एस**.** सी**.** आर**. 328** को आदेश में पैरा **57** में संदर्भित किया गया हैः

ई.

[1992] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 454** पैरा **8 (vi) [2019] 7** एस**.** सी**.** आर**. 1086** पैरा **26 (vii) [1984] 3** एस**.** सी**.** आर**. 942** पैरा **27 [2014] 14** एस**.** सी**.** सी**. 496** पैरा **30**

च

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः2021 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 961।

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत)

जी.

2021 की लिखित याचिका (सी) संख्या 967,1002,1021 और 1105।

वी. कृष्णमूर्ति ए. ए. जी., अरविंद दातार, मनिंदर सिंह, ए. मारियारपुथम, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुबोध एस. पाटिल, विवेक सिंह, रमेश अल्लांकी, डॉ. चारू माथुर, सुश्री तन्वी, संजय कुमार दुबे, राहुल उन्नीकृष्णन,

एच.

604

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

क.

मलक भट्ट, गुरमीत सिंह मक्कर, गौरव शर्मा, कीर्तन सिंह, वाइज़ अली नूर, धवल मोहन, प्रतीक भाटिया, सुश्री श्रीरुपा नाग, ताहा यासीन, अमरीश कुमार, आर. नेदुमारन, डॉ. जोसेफ अरिस्टोटल एस., वी. के. बीजू, सुश्री रिया सचथे, चेतन्या सिंह, अमेंदू कुमार अखिलेश कुमार झा, शाजी जॉर्ज, सुश्री विजय लक्ष्मी, सुश्री अर्चना पाठक दवे, कुमार प्रशांत, सुश्री वन्या गुप्ता, अवनीश दवे, प्रमोद कुमार विश्नोई, सुश्री हिमांशी शाक्य, देवाशीष भरुका, मिट्ठू जैन, शशांक रत्नू, विक्रम हेगड़े, शांतउपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय के निम्नलिखित निर्णय और आदेश पारित किए गएः

ग

निर्णय

डॉ. धनंजय वाई. चंद्रचूड़, जे.

इस निर्णय को विश्लेषण की सुविधा के लिए निम्नलिखित धाराओं में विभाजित किया गया हैः

ए. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि। **3**

डी.

बी. द्वारा स्थापित रिट याचिका की विचाराधीनता

सलोनी कुमारी. **10** सी. वकीलों की दलीलें. **11** डी. विश्लेषण. **18**

ई.

डी. **1** आरक्षण की योग्यता. **18** डी. **2** न्यायालय और ए. आई. क्यू. सीटें. **39** डी. **3** आरक्षण लागू करने की कार्यपालिका की शक्ति

ए. आई. क्यू. सीटों में. **59**

च

D. 4 खेल के नियमों को बदलना।

ई. निष्कर्ष. **66**

A. तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

जी.

1. ये रिट याचिकाएं अन्य पिछड़े वर्गों 1 और आर्थिक रूप से कमजोर धारा 2 के लिए आरक्षण को चुनौती देती हैं।

1 “ओ. बी. सी. "2" ई. डब्ल्यू. एस ".

एच.

605

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा में भारत कोटा 3 सीटें स्नातक 5 और स्नातकोत्तर 6 चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए 4 सीटें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 7 में स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय ने 29 जुलाई 2021 को एक नोटिस जारी किया जिसमें शैक्षणिक वर्ष से ए. आई. क्यू. में 15 प्रतिशत यू. जी. और 50 प्रतिशत पीजी सीटों में ओ. बी. सी. (गैर-क्रीमी स्तर) के लिए 27 प्रतिशत और ई. डब्ल्यू. एस. के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है।7 जनवरी 2022 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह में अंतिम सुनवाई के लिए ई. डब्ल्यू. एस. मानदंडों की वैधता को चुनौती दी।यह निर्णय ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण की अनुमति और ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की संवैधानिकता को बनाए रखने के लिए कारण प्रदान करता है।2. ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण को लागू करने के लिए कुछ मुख्य तथ्यों को विवाद की व्यापक रूपरेखा निर्धारित करने के लिए प्रचारित किया जा रहा है।जबकि हमने ए. आई. क्यू. के इतिहास और खंड डी. 2 में एक अखिल भारतीय सामान्य प्रवेश परीक्षा के विकास पर विस्तार से चर्चा की है, यह उजागर करने के लिए पर्याप्त है कि ए. आई. क्यू. सीटों की योजना इस न्यायालय द्वारा डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 8 में राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा और दंत संस्थानों में अधिवास मुक्त सीटें प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी।ए. आई. क्यू. योजना को इस न्यायालय द्वारा आगे विकसित किया गया था।

ग

डी.

दिनेश कुमार **(**आई**)** बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज **9** और दिनेश कुमार **(**आई**)** बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज **10**।वर्तमान में**,** के तहत

ई.

ए. आई. क्यू. योजना, राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में 15 प्रतिशत यू. जी. सीटें और 50 प्रतिशत पीजी सीटें ए. आई. क्यू. को सौंप दी जाती हैं। राज्य संस्थानों में शेष सीटें संबंधित राज्यों में अधिवासित उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं।

3. संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम 2005 ने अनुच्छेद 15 में खंड (5) जोड़कर संविधान के अनुच्छेद 15 में संशोधन किया ताकि राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (या

च

3 “ए. आई. क्यू "

जी.

4 “ एन. ई. ई. टी.-पी. जी. "5" यू. जी ". 6" पी. जी ".

7 “ एमएच एंड एफडब्ल्यू "

8 (1984) 3 एससीसी 654 9 (1985) 3 एससीसी 22 10 (1986) 3 एससीसी 727

एच.

ओ. बी. सी.) शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित।अनुच्छेद 15 (5) इस प्रकार पढ़ता हैः

“(5) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) में कुछ भी राज्य को कानून द्वारा किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जहां तक कि ऐसे विशेष प्रावधान अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त, निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं।"

ग

4. अभय नाथ बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय **11** में**,** इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि

ए. आई. क्यू. सीटों में अनुसूचित जाति 12 और अनुसूचित जनजाति 13 उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की अनुमति है।केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 14, जो 3 जनवरी 2007 को लागू हुआ, केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।2006 के अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी।

हालांकि, राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में ए. आई. क्यू. के लिए राज्य के योगदान वाली सीटों पर ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण नहीं दिया गया था।

डी.

ई.

5. तमिलनाडु राज्य ने तमिलनाडु पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम, 1993 के तहत राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओ. बी. सी.) को 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया। इस प्रकार, राज्य कोटा सीटों को 1993 के अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार भरा जा रहा था।द्रविड़ मुनेत्र कड़गम 17 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 16 दायर की गई थी जिसमें ए. आई. क्यू. में ओ. बी. सी. आरक्षण प्रदान करने के लिए एक अनिवार्यता की मांग की गई थी। इस न्यायालय ने 11 जून 2020 के अपने आदेश द्वारा निर्देश दिया कि इस मुद्दे को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया जाए।इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

च

जी.

11 (2009) 17 एससीसी 705

12 “एससी "13" एसटी "

14 “ 2006 का अधिनियम "15" 1993 का अधिनियम "

16 2020 का डब्ल्यू. पी. संख्या 507

17 “ डीएमके "

एच.

607

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

“याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ वकील संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर करके उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की स्वतंत्रता के साथ इन रिट याचिकाओं को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।अनुमति दे दी गई है।

तदनुसार, रिट याचिकाओं को उपरोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लिए जाने के रूप में खारिज कर दिया जाता है।"

6. उपरोक्त आदेश के अनुसरण में, द्रमुक ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका 18 दायर की जिसमें तर्क दिया गया कि तमिलनाडु राज्य में राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ए. आई. क्यू. सीटों को 1993 के अधिनियम के तहत लागू आरक्षण नीति का पालन करना चाहिए।हालाँकि, मद्रास उच्च न्यायालय ने याचिका में नोटिस जारी करने के बाद केंद्र सरकार के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि इसी तरह के मुद्दे पर इस न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका के लंबित होने को देखते हुए मामले में सुनवाई को स्थगित कर दिया जाए।सुनवाई के स्थगित होने से व्यथित होकर, इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं।13 जुलाई 2020 के अपने आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि उसके समक्ष लंबित रिट याचिका में उठाया गया मुद्दा मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष द्रमुक द्वारा उठाए गए मुद्दे से अलग है और उच्च न्यायालय को मामले की सुनवाई के साथ आगे बढ़ने का निर्देश दिया।इस न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कींः

ग

डी.

“डायरी संख्या 13644/2020 में आक्षेपित आदेश की प्रमाणित/सादे प्रति के बिना विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दी जाती है।ये विशेष अनुमति याचिकाएँ दिनांकित 22.6.2020 आदेश के खिलाफ निर्देशित की जाती हैं जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने इस न्यायालय में 2015 की रिट याचिका No.596 के लंबित होने को देखते हुए मामलों को स्थगित कर दिया था।यह आदेश भारत संघ द्वारा लिए गए रुख के आधार पर पारित किया गया था कि उच्च न्यायालय में दायर रिट याचिकाओं में उत्पन्न होने वाले बिंदु सलोनी कुमारी और अन्र में उत्पन्न होने वाले बिंदुओं के समान हैं। बनाम डी. जी. एच. एस. और अन्य। (2015 की रिट याचिका No.596)।हमने सलोनी कुमारी द्वारा दायर रिट याचिका पर विचार किया है जो इस अदालत में विचाराधीन है।रिट याचिका में जो मुद्दा उठा है, वह अखिल भारतीय कोटा में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए 27 प्रतिशत सीटों के कार्यान्वयन से संबंधित है।याचिकाकर्ता की शिकायत है कि ओ. बी. सी. के 27 प्रतिशत कोटे में सीटें केंद्र सरकार के संस्थानों तक ही सीमित नहीं होनी चाहिए।

ई.

च

जी.

18 2020 का डब्ल्यू. पी. संख्या 8326

19 सलोनी कुमारी बनाम महानिदेशक स्वास्थ्य सेवा डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 596/2015।

एच.

608

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

जबकि, उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं में स्नातकोत्तर चिकित्सा प्रवेश के लिए अखिल भारतीय कोटे में समर्पण की गई सीटों के संबंध में तमिलनाडु राज्य में पालन किए जाने वाले आरक्षण के प्रतिशत से संबंधित विवाद शामिल है।

चूंकि उच्च न्यायालय में लंबित रिट याचिकाओं में उठाया गया मुद्दा सलोनी कुमारी के मामले के समान नहीं है, इसलिए उच्च न्यायालय गुण-दोष के आधार पर रिट याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ सकता है।हमें सूचित किया जाता है कि रिट याचिकाएं 17.7.2020 पर अंतिम सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध हैं।उच्च न्यायालय से अनुरोध है कि वह रिट याचिकाओं पर शीघ्रता से निर्णय ले।

विशेष अनुमति याचिकाओं का तदनुसार निपटारा किया जाता है।"

ग

7. मद्रास उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई 2020 के अपने फैसले में रिट याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि तमिलनाडु राज्य के मेडिकल कॉलेजों में ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. को आरक्षण देने में कोई कानूनी या संवैधानिक बाधाएं नहीं हैं। उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ए. आई. क्यू. में तमिलनाडु राज्य द्वारा सौंपी गई सीटों में ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण लागू करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश दिया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने कहा कि आरक्षण को केवल शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से लागू किया जाना चाहिए क्योंकि यह 2020-2021 के शैक्षणिक वर्ष के लिए शुरू की गई चयन प्रक्रिया को बाधित करेगा।तमिलनाडु राज्य ने 27 जुलाई 2020 के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को इस न्यायालय के समक्ष एक विशेष अनुमति याचिका 20 में इस सीमित आधार पर चुनौती दी कि उच्च न्यायालय ने शैक्षणिक वर्ष के लिए ओ. बी. सी. आरक्षण को लागू करने से इनकार करने में गलती की।26 अक्टूबर 2020 के अपने आदेश में, इस न्यायालय ने बाद के शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से ओ. बी. सी. आरक्षण के कार्यान्वयन के संबंध में उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा।

8.एमएचएंडएफडब्ल्यू ने शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 से तमिलनाडु राज्य के भीतर राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों में एआईक्यू सीटों में ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को आरक्षण देने के तौर-तरीकों को निर्धारित करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया।समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट में दो विकल्पों की सिफारिश की, अर्थात, या तो ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. के लिए राज्य-विशिष्ट आरक्षण लागू किया जा सकता है या ओ. बी. सी. आरक्षण 2006 के अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में दिया जा सकता है। 9.ओ. बी. सी. को लागू न करने के लिए भारत संघ के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष डी. एम. के. द्वारा एक अवमानना याचिका 21 दायर की गई थी।

डी.

ई.

च

जी.

20 2020 की एसएलपी (सी) संख्या 9286

एच.

21 2021 ए की अवमानना याचिका संख्या 181

609

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण।इस बीच, 29 जुलाई 2021 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, एम. ओ. एच. एफ. डब्ल्यू. द्वारा वर्तमान शैक्षणिक सत्र में 15 प्रतिशत यू. जी. और 50 प्रतिशत पीजी ए. आई. क्यू. सीटों में 27 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण (गैर-मलाईदार परत) और 10 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण को लागू करने के लिए एक नोटिस जारी किया गया था।नोटिस में इस प्रकार कहा गया हैः

"सूचना

एन. ई. ई. टी.-यू. जी. और एन. ई. ई. टी.-पी. जी. के उम्मीदवारों का तत्काल ध्यानः

भारत सरकार द्वारा 15 प्रतिशत ए. आई. क्यू. यू. जी. सीटों और 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटों (एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. और एम. डी./एम. एस./एम. डी. एस.) (राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा योगदान) में 27 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण (गैर-क्रीमी बाद में) और 10 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है।यह आरक्षण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रभावी होगा।

ग

नतीजतन, 15 प्रतिशत यूजी और 50 प्रतिशत पीजी अखिल भारतीय कोटा सीटों में समग्र आरक्षण इस प्रकार होगाः

डी.

एससी-15 प्रतिशत

एसटी-7.5%

केंद्रीय ओ. बी. सी. सूची के अनुसार ओ. बी. सी. (गैर-मलाईदार परत)-27 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस.-केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार-10 प्रतिशत

ई.

एन. एम. सी. मानदंडों के अनुसार पीडब्ल्यूडी-5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण "

10. 25 अगस्त 2021 के अपने आदेश द्वारा, मद्रास उच्च न्यायालय ने अवमानना याचिका को खारिज कर दिया क्योंकि केंद्र सरकार ने एक समिति का गठन करके मद्रास उच्च न्यायालय के 27 जुलाई 2020 के आदेश का पालन किया था।उच्च न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

च

"चूंकि 27 जुलाई, 2020 के आदेश द्वारा गठित की जाने वाली समिति की स्थापना की गई थी और ऐसी समिति ने अपनी राय दी थी और संघ या इसकी उपयुक्त एजेंसियों ने उसके आधार पर कार्रवाई की है, हालांकि सिफारिशों के संदर्भ में बिल्कुल नहीं, इसलिए उक्त आदेश के जानबूझकर या जानबूझकर उल्लंघन का कोई मामला नहीं कहा जा सकता है।"

जी.

बहरहाल, उच्च न्यायालय ने चिकित्सा और दंत संस्थानों में ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाली 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना की वैधता की जांच शुरू की।सह

एच.

29 जुलाई 2021 की अधिसूचना के तहत ईडब्ल्यूएस को दिए गए आरक्षण के संबंध में, उच्च न्यायालय ने कहा कि इस तरह के आरक्षण की अनुमति केवल इस न्यायालय की मंजूरी से ही दी जा सकती है।मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए इस न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिकाएं दायर की गईं।इस न्यायालय ने 24 सितंबर 2021 के अपने आदेश द्वारा याचिकाओं का निपटारा करते हुए कहा कि मद्रास उच्च न्यायालय अपने अवमानना क्षेत्राधिकार में 29 जुलाई 2021 के नोटिस द्वारा प्रदान किए गए ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता पर चर्चा नहीं कर सकता था और इस निर्देश को दरकिनार कर दिया कि एआईक्यू सीटों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण लागू करने से पहले इस न्यायालय की मंजूरी प्राप्त की जानी चाहिए।11. हमने एन. ई. ई. टी. ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की शुरुआत के प्रक्षेपवक्र का पता लगाया है, जिसे इस अदालत के समक्ष रिट याचिकाओं के वर्तमान बैच में चुनौती दी गई है।7 जनवरी 2022 के अपने आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने ए. आई. क्यू. मेडिकल और डेंटल यू. जी. और पीजी सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा। ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों की संवैधानिकता अभी तय नहीं की गई है।हालाँकि, अंतरिम में, इस अदालत ने निर्देश दिया कि एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 और एन. ई. ई. टी.-यू. जी. 2021 में परामर्श 29 जुलाई 2021 के नोटिस द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण को प्रभावी बनाकर आयोजित किया जाए, जिसमें 27 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण और 10 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण शामिल है।इस फैसले में ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की वैधता को चुनौती दी गई है।

ग

डी.

ई.

बी. सलोनी कुमारी द्वारा स्थापित रिट याचिका की विचाराधीनता

12. हम जानते हैं कि सलोनी कुमारी द्वारा एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा संस्थानों में ए. आई. क्यू. सीटों में 27 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण की मांग की गई थी, इस आधार पर कि इस तरह का आरक्षण 2006 के अधिनियम के संदर्भ में केंद्रीय शिक्षा संस्थानों तक ही सीमित नहीं होना चाहिए।उस याचिका में किया गया दावा

समानता का था।हमारे सामने जो मुद्दा उठाया गया है, वह 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना की वैधता का है, जिसमें शैक्षणिक वर्ष से यूजी और पीजी सीटों में एआईक्यू सीटों में 27 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण का प्रावधान है।इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए मुद्दों की प्रकृति में अंतर के कारण, हम 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना की वैधता पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़ेंगे।

च

जी.

ग. वकील की प्रस्तुतियाँ

13. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री श्याम दीवान ने तर्क दिया कि ए. आई. क्यू. कोटे में ओ. बी. सी. समुदाय के लिए कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए।इस तर्क के अनुसरण में, उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

एच.

611

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(i) प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 22 में, इस न्यायालय ने स्नातकोत्तर सीटों में आरक्षण के बारे में गंभीर चिंता जताई।एक बार जब कोई व्यक्ति डॉक्टर के रूप में योग्य हो जाता है, तो उसे अब पिछड़े वर्ग से संबंधित नहीं माना जा सकता है।इसलिए, स्नातकोत्तर सीटों में प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर होना चाहिए, बिना किसी आरक्षण के।

(ii) स्नातकोत्तर और सुपर-स्पेशियलिटी 23 के स्तर पर, डॉक्टरों के पास विशेष क्षेत्रों में उच्च स्तर का कौशल और विशेषज्ञ ज्ञान होना आवश्यक है।इस कौशल को हर कोई हासिल नहीं कर सकता है।इस स्तर पर आरक्षण का होना राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होगा।इस तरह के प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध अवसर न्यूनतम हैं और इसलिए, यह केवल सबसे मेधावी लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

ग

(iii) इस न्यायालय ने प्रदीप जैन (ऊपर) मामले में ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण के खिलाफ अधिकार बनाया।अभय नाथ बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय 24 के मामले में इस न्यायालय का निर्णय ए. आई. क्यू. में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है, जो कि प्रदीप जैन (उपरोक्त), यूनियन ऑफ इंडिया में दिए गए निर्णयों के आलोक में है।

डी.

भारत बनाम आर. राजेश्वरन **25** और भारत संघ बनाम जयकुमार **26;**

(iv) ए. आई. क्यू. योजना की परिकल्पना इस न्यायालय द्वारा प्रदीप जैन (ऊपर) में की गई थी और इसे दिनेश कुमार (I) (ऊपर) और दिनेश कुमार (II) (ऊपर) में विकसित किया गया था।इसलिए, केवल यही न्यायालय ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण योजना को बदल सकता है।केंद्र सरकार को इस न्यायालय में एक आवेदन करना चाहिए था जिसमें उसे ए. आई. क्यू. में ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के अपने इरादे से अवगत कराया जाना चाहिए था और यह न्यायालय अनुमति देने या अस्वीकार करने का निर्णय ले सकता था।

ई.

च

(v) इस न्यायालय द्वारा डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम मध्य प्रदेश राज्य 27 और विभिन्न अन्य मामलों में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण न्यूनतम होना चाहिए;

जी.

22 (1984) 3 एस. सी. सी. 654

23 “एसएस "

24 (2009) 17 एससीसी 705 25 (2003) 9 एससीसी 294 26 (2008) 17 एससीसी 478 27 (1999) 7 एससीसी 120

एच.

(vi) भले ही ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य हो, लेकिन इसे 2021-22 के शैक्षणिक वर्ष के लिए पेश नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षण पर सूचना पंजीकरण विंडो बंद होने के बाद पेश की गई थी।यह एक तय सिद्धांत है कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदला नहीं जा सकता है।

(vii) उम्मीदवारों ने एक निश्चित सीट मैट्रिक्स के खिलाफ परीक्षा के लिए पंजीकरण किया था, जिन्हें कुल सीटों की जानकारी थी जिसके लिए वे प्रतिस्पर्धा कर सकते थे।विवादित अधिसूचना सीट मैट्रिक्स को बदल देती है, खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदल देती है।

ग

(viii) सूचना बुलेटिन के खंड 11 में 'जैसा लागू हो' वाक्यांश को पंजीकरण की तारीख तक लागू आरक्षण के अर्थ में पढ़ा जाना चाहिए।खेल के नियम पंजीकरण बंद होने पर निर्धारित किए गए थे; और

डी.

(ix) एम. डी. रेडियोलॉजी, एम. डी. डर्मेटोलॉजी, एम. डी. गायनेकोलॉजी, एम. एस. साइकियाट्री, एम. डी. (चेस्ट), एम. डी. प्रिवेंटिव एंड सोशल मेडिसिन, एम. डी. फॉरेंसिक मेडिसिन, एम. एस. माइक्रोबायोलॉजी, एम. एस. पैथोलॉजी, एम. डी. बायोकेमिस्ट्री, एम. एस. एनाटॉमी, एम. एस. ऑर्थोपेडिक्स और एम. एस. ई. एन. टी. जैसी विशेषज्ञता की विशिष्ट शाखाओं में भारत में कोई एस. एस. पाठ्यक्रम नहीं दिया जाता है।इसलिए, ऐसे पाठ्यक्रम शाखा का अंत हैं और ऐसे पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए क्योंकि वे एसएस पाठ्यक्रमों के बराबर हैं।

ई.

(डॉ. प्रीति श्रीवास्तव (ऊपर))।

14. भारत संघ ने निम्नलिखित तर्कों को संबोधित करते हुए कहा कि ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है।सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

च

(i) प्रक्रिया शुरू होने के बाद खेल के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया था क्योंकि 29 जुलाई 2021 को जारी किए गए विवादित नोटिस के माध्यम से आरक्षण उस तारीख से बहुत पहले शुरू किया गया था जिस दिन परीक्षा आयोजित की गई थी और परामर्श प्रक्रिया शुरू होने से पहले।एन. ई. ई. टी. पी. जी. परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार है:

जी.

एच.

613

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(क) सूचना विवरणिका का विमोचनः23 फरवरी 2021 (बी) पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआतः23 फरवरी 2021

(ग) पंजीकरण की अंतिम तिथिः15 मार्च 2021 (घ) अनुसूचित परीक्षा तिथिः18 अप्रैल 2021 (ई) चार महीने के लिए स्थगनः03 मई 2021 (च) परीक्षाओं की नई तिथि घोषित की गईः13 जुलाई 2021

(छ) परीक्षा के लिए नई तारीखः11 सितंबर 2021 23 फरवरी 2021 को जारी सूचना बुलेटिन के खंड 11.1 में कहा गया है कि स्नातकोत्तर सीटों का आरक्षण केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के मानदंडों के अनुसार होगा।खंड 11.2 में कहा गया है कि एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 के लिए नामित परामर्श प्राधिकरण द्वारा परामर्श प्रक्रिया और लागू आरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली एक अलग पुस्तिका जारी की जाएगी।इसलिए, प्रक्रिया केवल परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत के साथ शुरू होती है, न कि पंजीकरण बंद होने पर; (ii) वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में एम. डी. एस. में प्रवेश के लिए विवादित सूचना के अनुसार ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण लागू किया गया है।

ग

डी.

ई.

(iii) देश भर के छात्रों को अधिवास मुक्त प्रवेश प्रदान करने के लिए 1986 में ए. आई. क्यू. योजना शुरू की गई थी।2007 तक ए. आई. क्यू. में कोई आरक्षण नहीं था। 2007 में अभय नाथ (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने ए. आई. क्यू. सीटों में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 7.5 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दी। ओ. बी. सी. को 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने वाला 2006 का अधिनियम जो 2007 में लागू हुआ था, केंद्र सरकार द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों सहित सभी केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया गया था।

च

जी.

((iv) ए. आई. क्यू. योजना एक केंद्रीय योजना है।इसलिए, आरक्षण को लागू करने के लिए ओ. बी. सी. की केंद्रीय सूची का उपयोग किया जाएगा।ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षण के माध्यम से यू. जी. में लगभग 1500 और पी. जी. में 2500 ओ. बी. सी. छात्र लाभान्वित होंगे।

एच.

(v) पिछले छह वर्षों में देश में एमबीबीएस की सीटें 2014 में 54,348 से बढ़कर 2020 में 84,649 हो गई हैं।स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की संख्या 2014 में 30,191 सीटों से 80 प्रतिशत बढ़कर 2020 में 54,275 हो गई है।

(vi) चिकित्सा/दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ए. आई. क्यू. सीटों के लिए आरक्षण प्रदान करना नीति का विषय है।

(vii) यद्यपि इस न्यायालय द्वारा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण की वांछनीयता या अन्यथा पर टिप्पणियां की गई हैं, लेकिन इसे कभी भी असंवैधानिक नहीं माना गया है; और

(viii) प्रदीप जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने केवल यह अभिनिर्धारित किया कि ए. आई. क्यू. सीटों में अधिवास आधारित आरक्षण नहीं होगा।यह नहीं माना गया था कि अन्यथा ए. आई. क्यू. सीटों में किसी भी आरक्षण की अनुमति नहीं होगी।इसके बाद के निर्णय

ग

इस न्यायालय ने (सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ 28; गुलशन प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य 29) स्पष्ट किया है।

डी.

कि इस न्यायालय ने प्रदीप जैन (उपरोक्त) मामले में केवल यह टिप्पणी की थी कि ए. आई. क्यू. सीटें अधिवास आरक्षण से मुक्त होंगी।15. द्रमुक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री पी विल्सन ने कहा कि ए. आई. क्यू. में ओ. बी. सी. सीटों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है।वरिष्ठ वकील ने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

ई.

(i) संसद ने संविधान (नब्बेवां संशोधन) अधिनियम 2005 द्वारा अनुच्छेद 15 में खंड (5) पेश किया, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (या अन्य पिछड़ा वर्ग) के लिए निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान किया गया है, जो राज्य और अन्य अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों द्वारा सहायता प्राप्त या गैर-सहायता प्राप्त हैं।संशोधन के अनुसार, केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए 2006 का अधिनियम लागू किया।सर्वोच्च न्यायालय ने नब्बे-तिहाई संवैधानिक संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा और

च

जी.

अशोक कुमार ठाकुर बनाम संघ के मामले में 2006 का अधिनियम

भारत **30.**तमिलनाडु राज्य विधानमंडल ने तमिल अधिनियम को लागू किया

28 (2003) 11 एस. सी. सी. 146 29 (2010) 1 एस. सी. सी. 477 30 (2007) 4 एस. सी. सी. 361 ए

एच.

615

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

राज्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (शैक्षणिक संस्थानों में सीटों का आरक्षण और राज्य के तहत सेवाओं में नियुक्तियों या पदों का आरक्षण) अधिनियम 1993 69 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है।यह अधिनियम पिछड़े वर्गों और सबसे पिछड़े वर्गों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति देता है।इसलिए, राज्य विधानमंडल और संसद दोनों ही ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षण की अनुमति देते हैं।

(ii) स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा विनियम 2000 का विनियम 9 (IV) और स्नातक चिकित्सा शिक्षा विनियमों का विनियम 5 (5) राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में लागू कानूनों के आधार पर श्रेणियों के लिए आरक्षण निर्धारित करता है।इसलिए, ए. आई. क्यू. में राज्य के योगदान वाली सीटों सहित सभी सीटों पर आरक्षण लागू होना चाहिए।

ग

((iii) योग्यता को केवल अंकों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है।योग्यता को चिकित्सा पेशे में एक सदस्य के सामाजिक मूल्य के संदर्भ में समझा जाना चाहिए (प्रदीप जैन (सुप्रा);

डी.

(iv) स्नातक पाठ्यक्रमों में, राज्य ए. आई. क्यू. में 15 प्रतिशत सीटों का योगदान करते हैं। राज्यों द्वारा योगदान किए गए ए. आई. क्यू. में 6060 सीटों में से 1636 सीटें (यानी 27 प्रतिशत) 2006 के अधिनियम के अधिनियमन पर ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षित की जानी चाहिए थीं।इसी तरह, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ए. आई. क्यू. में राज्यों द्वारा योगदान की गई 9515 सीटों में से 2569 सीटें ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए आरक्षित होनी चाहिए थीं।

ई.

(v) मद्रास उच्च न्यायालय ने 27 जुलाई 2020 के एक फैसले में (2020 के डब्ल्यू. पी. संख्या 8626 में) कहा था कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ए. आई. क्यू. में ओ. बी. सी. श्रेणी को आरक्षण का लाभ देने में कोई कानूनी या संवैधानिक बाधा नहीं है।याचिकाकर्ताओं ने मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती नहीं दी है।

च

(vi) एन. ई. ई. टी.-पी. जी. परीक्षा के लिए सूचना बुलेटिन के खंड 11 में कहा गया है कि आरक्षण 'के अनुसार' होगा।

जी.

उस समय प्रचलित भारत सरकार और राज्य के मानदंड

परामर्श '।इसलिए, याचिकाकर्ताओं का तर्क कि खेल के नियमों को खेल के बीच में नहीं बदला जाना चाहिए, केवल तभी लागू होगा जब परामर्श शुरू होने के बाद आरक्षण शुरू किया गया था;

एच.

(vii) याचिकाकर्ताओं का यह निवेदन कि श्रीवास्तव (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले को देखते हुए एस. एस. के स्तर पर कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था, गलत है क्योंकि 2006 का अधिनियम केवल उत्कृष्टता संस्थानों, अनुसंधान संस्थानों और अधिनियम की अनुसूची में निर्दिष्ट राष्ट्रीय और रणनीतिक महत्व के संस्थानों और 2006 के अधिनियम की धारा 4 के तहत निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण से छूट देता है।एम्स और जे. आई. पी. एम. ई. आर. जैसे केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में एस. एस. पाठ्यक्रमों में आरक्षण प्रदान किया जाता है।

(viii) केंद्रीय चिकित्सा संस्थान जैसे एम्स और पीजीआई स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए वर्ष में दो बार अपनी परीक्षा आयोजित करते हैं।इन केंद्रीय संस्थानों में राज्य कोटा और ए. आई. क्यू. का कोई सीमांकन नहीं है।इसलिए, ए. आई. क्यू. पीजी सीटें केंद्रीय संस्थानों की पीजी सीटों से अलग हैं; और

ग

(ix) आरक्षण या तो किसी विधान के माध्यम से या किसी कार्यकारी आदेश जैसे अधिसूचना, आदेश और ज्ञापन के माध्यम से प्रदान किया जा सकता है।

डी.

16. याचिकाकर्ताओं की दलीलें तीन प्रकार की हैं:(i) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पूरी तरह से खुली प्रतिस्पर्धा पर आधारित होना चाहिए; (ii) प्रदीप जैन (ऊपर) और बाद के मामलों में इस न्यायालय ने कहा है कि ए. आई. क्यू. सीटों में कोई आरक्षण नहीं होगा और ए. आई. क्यू. सीटों में प्रवेश पूरी तरह से खुली प्रतिस्पर्धा से होगा; और (iii) जैसा कि इस न्यायालय ने ए. आई. क्यू. सीटों की अवधारणा विकसित की है, ए. आई. क्यू. सीटों में शुरू किया जाने वाला कोई भी आरक्षण केवल इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार होना चाहिए।

ई.

D. विश्लेषण

च

D. 1 आरक्षण की योग्यता

17. याचिकाकर्ताओं की ओर से यह आग्रह किया गया कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के स्तर पर उच्च स्तर के कौशल और विशेषज्ञता की आवश्यकता है।इस प्रकार, ऐसे अवसर सबसे मेधावी लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए और स्नातकोत्तर सीटों के लिए कोई भी आरक्षण प्रदान करना राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होगा।वास्तव में, योग्यता और आरक्षण के बीच एक द्विआधारी बनाने की मांग की गई थी, जहां आरक्षण योग्यता स्थापित करने के लिए विरोधी हो जाता है।यह कोई नया तर्क नहीं है।इस बात पर लंबे समय से बहस चल रही है कि क्या किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण योग्यता के विचार को प्रभावित करता है। संविधान सभा में अनुच्छेद 10 के मसौदे पर बहस, जो ए

जी.

एच.

617

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

संविधान के अनुच्छेद 16 के रूप में शामिल किए जाने पर, कुछ सदस्यों ने अनुच्छेद 10 (अब संविधान का अनुच्छेद 16 (4)) का मसौदा तैयार करने के लिए खंड (3) को शामिल करने पर चिंता जताई, जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि राज्य को किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण देने का अधिकार है, जो राज्य की राय में, राज्य के तहत सेवाओं में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं है।संविधान सभा के कुछ सदस्यों ने खंड (3) को हटाने के लिए तर्क दिया। उदाहरण के लिए, श्री लोकनाथ मिश्रा ने कहा कि इस तरह का प्रावधान "पिछड़ेपन और अक्षमता पर अधिक जोर देता है" और किसी भी नागरिक को राज्य के रोजगार के एक हिस्से का दावा करने का मौलिक अधिकार नहीं है, जो केवल योग्यता के आधार पर होना चाहिए।" श्री दामोदर स्वरूप सेठ ने तर्क दिया कि आरक्षण के परिणामस्वरूप "दक्षता और अच्छी सरकार की बहुत उपेक्षा" होती है और नियुक्तियां "योग्यता और योग्यता के आधार पर" की जानी चाहिए।हालांकि, संविधान सभा ने इन दावों को खारिज कर दिया और अनुच्छेद 10 के मसौदे के खंड (3) को अपनाया।हालांकि "पिछड़े वर्गों" के अर्थ पर बहस हुई थी, लेकिन यह महसूस किया गया कि एक ऐसा प्रावधान होना चाहिए जो उन समुदायों को प्रशासन में प्रवेश करने में सक्षम बनाता है क्योंकि वे अतीत में इस तरह की पहुंच से वंचित थे और अवसर की औपचारिक समानता पर्याप्त नहीं होगी।31 हालांकि, यह विचार कि सेवा में योग्यता या दक्षता पिछड़े वर्गों की उन्नति की चिंताओं से अलग है, कुछ सदस्यों के लिए बना रहा।श्री के. एम. मुंशी (मसौदा समिति के सदस्य) ने कहा कि:

ग

डी.

ई.

"हम इस खंड [अनुच्छेद 10] द्वारा जो सुरक्षित करना चाहते हैं, वह दो चीजें हैं।पहले खंड के मौलिक अधिकार में हम राज्य की सेवाओं में उच्चतम दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं-उच्चतम दक्षता जो सेवाओं को प्रभावी ढंग से और तुरंत कार्य करने में सक्षम

बनाएगी।साथ ही, हमारे देश में कई प्रांतों में व्याप्त स्थितियों को देखते हुए, हम यह देखना चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों, जो वास्तव में पिछड़े हैं, उन्हें राज्य सेवाओं में जगह दी जानी चाहिए; क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि राज्य सेवाओं से देश की सेवा करने का दर्जा और अवसर मिलता है, और यह अवसर हर समुदाय, यहां तक कि पिछड़े लोगों के बीच भी दिया जाना चाहिए।"

च

जी.

हालांकि, कई सदस्यों ने यह भी माना कि योग्यता को समाज में मौजूदा असमानताओं के कार्य से अलग नहीं किया जा सकता है।वे.

31 खण्ड 7, भारत की संविधान सभा की बहस, 30 नवंबर 1948, यहां उपलब्ध है://डब्ल्यू. डब्ल्यू.भारत का संविधान। नेट/संविधान _ असेंबली _ डिबेट/वॉल्यूम/7/1948-11-30

एच.

618

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

यह परिकल्पना की गई कि सामाजिक न्याय को अवसर की समानता के वादे में पढ़ा जाना चाहिए; अन्यथा बाद वाला केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों के हितों को आगे बढ़ाता है।सार्वजनिक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में लोक सेवा आयोग के कार्यों से संबंधित अनुच्छेद 286 के मसौदे पर बहस के दौरान डॉ. पी. एस. देशमुख ने तर्क दिया किः

"...लोगों की क्षमताओं को केवल परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने या उच्चतम संभव अंक प्राप्त करने से नहीं मापा जा सकता है।लेकिन जिन समुदायों को अंग्रेजी शिक्षा का लाभ मिला है, क्योंकि वे दूसरों की तुलना में अधिक गुलाम होने के लिए तैयार थे, वे सोचते हैं कि यह उनकी रक्षा है, और जब भी कोई उठ कर उन लाखों लोगों की ओर से बोलता है जिनके पास शिक्षा की कोई संभावना नहीं है, तो वे इसे बाकी समुदायों की ओर से अपने एकाधिकार के लिए खतरा मानते हैं और अधिवक्ताओं पर सांप्रदायिक और सांप्रदायिक मानसिकता का आरोप लगाते हैं।इसमें कोई सांप्रदायिकता नहीं है।न तो मैं और न ही उनकी ओर से बोलने वाला कोई भी व्यक्ति चाहता है कि कोई विशेष समुदाय हावी हो, जबकि जो लोग इस कदम का विरोध करते हैं वे केवल विशेष समुदायों में रुचि रखते हैं।वे हम पर सांप्रदायिकता का आरोप लगाते हुए सांप्रदायिकता को बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें शिक्षा का लाभ मिला है जिससे उन्हें डर है कि वह छीन ली जाएगी।वे सोचते हैं और आग्रह करते हैं कि योग्यता का परीक्षण केवल परीक्षाओं द्वारा किया जा सकता है या किया जा सकता है।लेकिन जहां तक देश की जनता का सवाल है, हमारी लाखों आबादी, जिन्हें प्राथमिक विद्यालय शिक्षा प्राप्त करने का मौका भी नहीं मिला है, उनके लिए सार्वजनिक सेवाओं के मामले में कोई जगह नहीं है, जब तक कि वर्तमान व्यवस्था बनी हुई है।" 32

ग

डी.

ई.

श्री फूल सिंह ने दृढ़तापूर्वक मूल समानता की अवधारणा प्रदान की जब उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों की योग्यता का मूल्यांकन उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना एक खुली प्रतिस्पर्धा के माध्यम से नहीं किया जा सकता है।उन्होंने आगे इस बात पर प्रकाश डाला कि योग्यता का अर्थ उस कार्य के संदर्भ में भी होना चाहिए जिसे पूरा किया जाना है।उन्होंने इस प्रकार कहाः

च

"...इस मामले में योग्यता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है; लेकिन समान योग्यता समान अवसर को मानती है, और मुझे लगता है कि यह कहने की जरूरत नहीं है कि मेहनतकश जनता को उन सभी अवसरों से वंचित किया जाता है जिनका आनंद बड़े शहरों में रहने वाले कुछ साक्षर लोग लेते हैं।लोगों से पूछें

जी.

32 खंड 9, भारत की संविधान सभा की बहस, 23 अगस्त 1949, यहां उपलब्ध हैः//डब्ल्यू. डब्ल्यू.भारत का संविधान। नेट/संविधान _ असेंबली _ डिबेट/वॉल्यूम/9/1949-08-23 A

एच.

619

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

गाँवों से उन शहर के लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए साइकिल पर सवार एक आदमी को मोटरसाइकिल पर दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए कहना, जो अपने आप में बेतुका है।फिर, योग्यता में निष्पादित किए जाने वाले कार्य का कुछ संदर्भ भी होना चाहिए।Mr.Tyagi ने डॉ. देशमुख को यह कहकर बाधित किया कि यह अनपढ़ों की लड़ाई है।मुझे लगता है कि यह टिप्पणी कितनी भी व्यंग्यात्मक क्यों न हो, वह शायद सही थे।स्वशासन का अर्थ है लोगों द्वारा सरकार, और यदि लोग अनपढ़ हैं, तो कुछ नेताओं को अपनी सारी शक्तियों को हड़पने का कोई अधिकार नहीं है।यह शोर, योग्यता और निष्पक्षता का यह शोर उन लोगों द्वारा उठाया जा रहा है जो एक [एन] लाभप्रद स्थिति में हैं और जो दूसरों के सामने आने पर पीड़ित होने के लिए खड़े हैं।" 33 हालाँकि ये टिप्पणियां सार्वजनिक पदों पर रोजगार के संदर्भ में की गई थीं, लेकिन योग्यता के सिद्धांत के अपवाद के रूप में आरक्षण की अवधारणा पर बहस शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के संबंध में भी प्रासंगिक है।संविधान सभा में बहस सार्वजनिक पदों में आरक्षण तक सीमित थी क्योंकि शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण को बाद के संवैधानिक संशोधन के माध्यम से पेश किया गया था।

ग

डी.

18. अपनी ओर से, इस न्यायालय ने शुरू में योग्यता और आरक्षण के द्विआधारी को स्वीकार किया।माना जाता है कि अनुच्छेद 14,15 (1) और 16 (1) औपचारिक समानता के सामान्य सिद्धांत को मूर्त रूप देते हैं।अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) को इस सामान्य सिद्धांत के अपवाद के रूप में समझा गया, जो सामाजिक न्याय के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं।इस न्यायालय ने इन प्रतिस्पर्धी अनिवार्यताओं को संतुलित करने का प्रयास किया।इस तरह की समझ में योग्यता को अवसर की औपचारिक समानता के बराबर माना जाता है जिसे आरक्षण के माध्यम से सामाजिक न्याय की चिंताओं के खिलाफ संतुलित किया जाना चाहिए।एम. आर. बालाजी बनाम मैसूर राज्य 34 में, इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने कहा कि अनुच्छेद 15 (4) अनुच्छेद 15 (1) का एक अपवाद है, जिसे पेश किया गया था क्योंकि "बड़े पैमाने पर समाज के हितों की सेवा समाज में कमजोर तत्वों की प्रगति को बढ़ावा देकर की जाएगी।"35 हालाँकि, चूंकि अनुच्छेद 15 (4) (या आरक्षण) को अनुच्छेद 15 (1) के तहत औपचारिक समानता की धारणा के विपरीत माना गया था, जिसे मोटे तौर पर योग्यता के सिद्धांत का पालन करने के रूप में समझा जाता है, इसलिए इस न्यायालय ने कहा कि आरक्षण पर एक सीमा होनी चाहिए, जिसे उसने आम तौर पर 50 प्रतिशत निर्दिष्ट किया होना चाहिए।36 इस न्यायालय ने कहाः

ई.

च

जी.

33 इबिद

34 1963 उदाहरण के लिए (1) एस. सी. आर. 439 35 आई. बी. आई. डी., अनुच्छेद 31। 36 आई. बी. आई. डी, अनुच्छेद 34।

एच.

620

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

"32. ...इसलिए, विवादित आदेश द्वारा किए गए आरक्षण के औचित्य के सवाल पर विचार करते हुए, हम इस तथ्य को नहीं भूल सकते कि आरक्षण उच्च विश्वविद्यालय की शिक्षा के संबंध में किया जाता है।देश की आगे की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीशियनों, वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, अर्थशास्त्रियों, इंजीनियरों और विशेषज्ञों की मांग इतनी अधिक है कि यदि सभी तकनीकी, चिकित्सा या इंजीनियरिंग कॉलेजों या इस तरह के संस्थानों में सीट के पूर्ण-बिक्री आरक्षण द्वारा योग्यता के विचारों को पूरी तरह से बाहर रखा जाता है तो यह राष्ट्रीय हितों के लिए गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगा।इसलिए, इस प्रश्न का निर्धारण करने में राष्ट्रीय हित और समग्र रूप से समुदाय या समाज के हितों के विचारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है कि क्या अनुच्छेद 15 (4) द्वारा परिकल्पित विशेष प्रावधान विशेष प्रावधान हो सकता है जो शेष समाज को पूरी तरह से बाहर करता है।इस संबंध में, यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसने पिछड़े समुदायों को सहायता की समस्या पर विचार किया है, ने कहा है कि आरक्षण का प्रतिशत कुल सीटों की संख्या के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा, और इसमें कहा गया है कि आरक्षण का सिद्धांत दस साल की अवधि (पृष्ठ 53) के लिए अपनाया जा सकता है।"

ग

डी.

19. इस दृष्टिकोण का पालन इस न्यायालय ने बाद के निर्णयों में किया, जहां एक वर्ग के लाभ के लिए किए गए एक विशेष प्रावधान को औपचारिक समानता के सिद्धांत से विचलन के रूप में देखा गया।37 हालाँकि, इस न्यायालय के प्रमुख दृष्टिकोण को न्यायमूर्ति आर. सुब्बा राव ने टी. देवदासन बनाम भारत संघ में अपनी असहमति में चुनौती दी थी, जहाँ विद्वान न्यायाधीश ने कहा था कि अनुच्छेद 16 (4) एक अपवाद नहीं है, बल्कि अनुच्छेद 16 (1) का एक पहलू है, जो कुछ समुदायों को हुए ऐतिहासिक नुकसान को दूर करने का प्रयास करता है।न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

ई.

च

"26. अनुच्छेद 14 समानता के सामान्य नियम को निर्धारित करता है।अनुच्छेद 16 राज्य के तहत नियुक्तियों के अवसर के विशेष संदर्भ के साथ सामान्य नियम के अनुप्रयोग का एक उदाहरण है।इसमें कहा गया है कि राज्य के तहत किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी।यदि यह अकेला खड़ा रहता है, तो सभी पिछड़े समुदाय असमान बुनियादी सामाजिक संरचना वाले समाज में दीवार के पास चले जाएंगे; समानता का उक्त नियम केवल एक आदर्शवादी अवधारणा ही रहेगा जब तक कि

जी.

37 टी. देवदासन बनाम भारत संघ (1964) 4 एससीआर 680; सी. ए. राजेंद्रन बनाम भारत संघ (1968) 1 एससीआर 721 ए

एच.

621

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

इसे व्यावहारिक सामग्री दी गई थी।इसका सख्त प्रवर्तन उसी स्थिति को लाता है जिससे वह बचना चाहता है।मेरी बात को स्पष्ट करने के लिए, घोड़े की दौड़ का चित्रण लें।दो घोड़ों को दौड़ने के लिए रखा जाता है-एक प्रथम श्रेणी का दौड़ घोड़ा और दूसरा एक साधारण घोड़ा।दोनों को एक ही प्रारंभिक बिंदु से चलाने के लिए बनाया गया है।हालांकि सैद्धांतिक रूप से उन्हें दौड़ने का समान अवसर दिया जाता है, लेकिन व्यवहार में साधारण घोड़े को दौड़ वाले घोड़े के साथ प्रतिस्पर्धा करने का समान अवसर नहीं दिया जाता है।वास्तव में, इससे इनकार किया जाता है।इसलिए एक बाधा या तो अतिरिक्त वजन की प्रकृति में दी जा सकती है या लंबी दूरी से शुरू की जा सकती है।ऐसा करने से, जो अन्यथा एक प्रतियोगिता का प्रहसन होता, उसे वास्तविक बना दिया जाता।संविधान के निर्माण के समय निर्माताओं को भी यही कठिनाई का सामना करना पड़ा था।सदियों के सुनियोजित उत्पीड़न और आदतन अधीनता ने हमारे समुदाय के एक बड़े हिस्से को दासता के जीवन में बदल दिया।यदि उनके मामले में समान अवसर के सिद्धांत को सख्ती से लागू किया जाता है तो उनके मानकों को बढ़ाना लगभग असंभव होगा।अगर उन्हें साहसिक सहायता के बिना प्रतियोगिता के खुले मैदान में प्रवेश करने के लिए कहा जाता तो उनके पास कोई मौका नहीं होता जब तक कि वे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते।यही कारण है कि संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 16 में खंड (4) पेश किया।"इस अनुच्छेद में कुछ भी नहीं" अभिव्यक्ति अपने इरादे को सबसे जोरदार तरीके से व्यक्त करने के लिए एक विधायी उपकरण है कि इसके तहत प्रदत्त शक्ति मुख्य प्रावधान द्वारा किसी भी तरह से सीमित नहीं है, बल्कि इसके बाहर आती है।इसने वास्तव में कोई अपवाद नहीं बनाया है, लेकिन अनुच्छेद के अन्य प्रावधानों द्वारा अनियंत्रित शक्ति को संरक्षित किया है।"

ग

डी.

ई.

20. न्यायमूर्ति सुब्बा राव द्वारा व्यक्त विचार को इस न्यायालय द्वारा केरल राज्य बनाम एन. एम. थॉमस 38 में अपनाया गया था, जिसने भारत में समानता न्यायशास्त्र को औपचारिक समानता से मूल समानता में बदल दिया; इस प्रकार, आरक्षण की हमारी समझ को भी बदल दिया।मुख्य न्यायाधीश ए. एन. रे ने इस न्यायालय का निर्णय लिखते हुए कहाः

च

“44. हमारे संविधान का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों सहित सभी नागरिकों के लिए स्थिति और अवसर की समानता है।पिछड़े वर्गों के सदस्यों के दावों के लिए विधायी और कार्यकारी निकायों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है।यदि अनुसूचित जातियों और जनजातियों के सदस्य, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा पिछड़ा वर्ग कहा जाता है, न्यूनतम बनाए रख सकते हैं

जी.

एच.

38 (1976) 2 एस. सी. सी 310

प्रशासनिक दक्षता की आवश्यक आवश्यकता, न केवल प्रतिनिधित्व बल्कि समानता को लागू करने और असमानता को खत्म करने के लिए उन्हें वरीयता भी दी जा सकती है।अनुच्छेद 15 (4) और 16 (4) पिछड़े वर्गों की स्थिति को समानता के योग्य बनाता है।पिछड़े वर्गों की उन्नति और उनके लिए नियुक्तियों और पदों के आरक्षण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि उन्हें पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिल सके।ये प्रावधान अनुच्छेद 14,15 (1) और 16 (1) द्वारा गारंटीकृत समानता की सामग्री को सामने लाएंगे।मूल अवधारणा समानता नियुक्ति के लिए अवसर की समानता है।केवल प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए पिछड़े

वर्गों के सदस्यों के लिए तरजीही व्यवहार का अर्थ सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता हो सकता है।अनुच्छेद 16 के तहत समानता की सामग्री अनुच्छेद 14 के तहत समानता से अलग नहीं हो सकती थी।असमान लोगों के लिए अवसर की समानता का मतलब केवल असमानता को बढ़ाना हो सकता है।अवसर की समानता तर्क के साथ भेदभाव को स्वीकार करती है और बिना कारण के भेदभाव को रोकती है।कारणों के साथ भेदभाव का अर्थ है संवैधानिक रूप से अनुमेय उद्देश्य के साथ संबंध रखने वाले विभेदक उपचार के लिए तर्कसंगत वर्गीकरण।प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए तरजीही प्रतिनिधित्व अनुमेय उद्देश्य है और पिछड़े वर्ग हमारे संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त एक तर्कसंगत वर्गीकरण है।इसलिए, चयन के मानकों में विभेदक व्यवहार समानता की अवधारणा के भीतर है।"

ग

डी.

ई.

अधिकांश न्यायाधीशों ने स्वीकार किया कि किसी भी वर्ग के लाभ के लिए बनाए गए विशेष प्रावधान (आरक्षण सहित) समानता के सामान्य सिद्धांत के अपवाद नहीं हैं।विशेष प्रावधान समाज में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को दूर करने का एक तरीका है, जिसके बिना, सच्ची या तथ्यात्मक समानता भ्रामक बनी रहेगी।न्यायमूर्ति के. के. मैथ्यू ने अपनी सहमति वाली राय में कहा कि अनुच्छेद 16 (1) के तहत समानता व्यक्ति-केंद्रित 39 है (जो बहुमत का विचार था-न्यायमूर्ति मैथ्यू और न्यायमूर्ति बेग की बहुमत की राय, और न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति गुप्ता की असहमति), जिस तरह से इसे प्राप्त किया जाना है, वह उन समूहों की पहचान के माध्यम से है जो कुछ अधिकारों और अधिकारों तक समान पहुंच का आनंद नहीं लेते हैं।विद्वान न्यायाधीश ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

च

जी.

“73. ऐसा कोई कारण नहीं है कि इस न्यायालय को राज्य से आनुपातिक समानता के मानक को अपनाने की भी आवश्यकता नहीं होनी चाहिए।

एच.

39 इबिद, पैराग्राफ 52।

623

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

नागरिकों के एक वर्ग की अलग-अलग स्थितियों और परिस्थितियों का लेखा-जोखा जब भी वे शर्तें और परिस्थितियाँ बुनियादी अधिकारों या दावों के आनंद के लिए उनकी समान पहुंच के रास्ते में आती हैं।

74. रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की अवधारणा इतनी व्यापक है कि इसमें अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को अन्य समुदायों के सदस्यों के बराबर रखने के लिए प्रतिपूरक उपायों को शामिल किया गया है जो उन्हें सार्वजनिक सेवा में अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा।तथाकथित अग्रगामी समुदायों का कोई भी सदस्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों को सार्वजनिक सेवाओं में उनका उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए गए क्षतिपूर्ति उपाय की शिकायत कैसे कर सकता है?

ग

75. ऐसा कहा जाता है कि अनुच्छेद 16 (4) विशेष रूप से पिछड़े वर्गों के पक्ष में पदों के आरक्षण का प्रावधान करता है, जिसमें इस न्यायालय के निर्णय के अनुसार पदोन्नति के स्तर पर भी आरक्षण देने की राज्य की शक्ति शामिल होगी और इसलिए

अनुच्छेद 16 (1) अपने दायरे में पिछड़े वर्गों को कानून द्वारा या अन्यथा कोई साहसिक सहायता देने की शक्ति शामिल नहीं कर सकता है जो सख्त संख्यात्मक समानता का अपमान करेगा।यदि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के लिए रोजगार के मामले में अवसर की समानता सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभिक स्तर पर या पदोन्नति के स्तर पर या दोनों में आरक्षण आवश्यक है, तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता है कि अनुच्छेद 16 (1) के तहत इसकी अनुमति नहीं है क्योंकि केवल यही उन्हें परिणाम प्राप्त करने के मामले में अग्रगामी समुदायों के साथ समानता पर रख सकता है जो अवसर की समानता पैदा करेगा।अवसर की समानता है या नहीं, इसका अंदाजा परिणाम में प्राप्त समानता से ही लगाया जा सकता है। अवसर की औपचारिक समानता केवल अधिक शिक्षा और बुद्धिमत्ता वाले लोगों को सभी पदों पर कब्जा करने और प्रतियोगिता निष्पक्ष होने पर भी शिक्षा और प्रतिभा में कम भाग्यशाली लोगों को जीतने में सक्षम बनाती है।परिणाम की समानता अवसर की समानता की परीक्षा है।"

डी.

ई.

च

जी.

इस प्रकार, विद्वान न्यायाधीश ने परिकल्पना की कि नागरिकों के कुछ वर्गों के सामने आने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करके व्यक्तियों की समानता हासिल की जानी चाहिए, जिसे उन्होंने "ऐसी स्थितियां और परिस्थितियां [जो] बुनियादी अधिकारों के आनंद के लिए उनकी समान पहुंच के रास्ते में खड़ी हैं या

एच.

दावा करते हैं "।न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर और न्यायमूर्ति फजल अली ने अपनी सहमति वाली राय में एक कदम आगे बढ़कर तर्क दिया कि अनुच्छेद 16 (1) की सामग्री व्यक्ति-केंद्रित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य उन वर्गों को अवसर की समानता प्रदान करना है जो अपनी प्रगति के लिए संरचनात्मक बाधाओं का सामना करते हैं।न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर ने संविधान के अनुच्छेद 46 को लागू किया, जिसे अप्रवर्तनीय होने के बावजूद, अनुच्छेद 16 (1) को प्रभावी बनाने के लिए नियोजित किया गया था।उनकी राय में अनुच्छेद 16 (1) और 16 (4) दोनों अलग-अलग संदर्भों में समूह असमानताओं को बराबर करने के लिए कार्य करते हैं।विद्वान न्यायाधीश ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

“137. “प्रशासनिक मानकों को नुकसान पहुँचाए बिना पिछड़े और अगड़े वर्गों के वर्गीकरण पर आधारित (जैसा कि इस न्यायालय ने रेखांकित किया है) आरक्षण केवल एक वर्ग के भीतर समानता के सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है और एक तर्कसंगत अंतर के आधार पर समूह है, जिसका उद्देश्य पिछड़े वर्गों की दक्षता के साथ लगातार उन्नति करना है।अनुच्छेद 16 (1) और (4) सुसंगत हैं।इस न्यायालय ने अनुच्छेद 16 (4) को अनुच्छेद 16 (1) के अपवाद के रूप में देखा है।क्या अति पिछड़ेपन पर आधारित वर्गीकरण अनुच्छेद 16 (4) को निरर्थक बना देता है?नहीं। आरक्षण प्रो टैंटो एकाधिकार प्रदान करता है, लेकिन अनुच्छेद 16 (1) के तहत वर्गीकरण अनुदान आमतौर पर लाभ का एक कम क्रम है।पहला अधिक कठोर है, दूसरा अधिक लचीला है, हालांकि वे कभी-कभी ओवरलैप हो सकते हैं।अनुच्छेद 16 (4) में सभी पिछड़े वर्ग शामिल हैं; लेकिन अनुच्छेद 46 और 335 के आधार पर अनुच्छेद 16 (1) के तहत समूह का लाभ अर्जित करने के लिए, जैसा कि मैंने समझाया है, हरिजनों के प्रकार के भयानक पिछड़ेपन और प्रशासनिक दक्षता के रखरखाव के दोहरे विचारों को संतुष्ट किया जाना चाहिए।"

ग

डी.

ई.

21. न्यायमूर्ति फजल अली ने अपनी सहमति वाली राय में कहा कि अनुच्छेद 16 (1) के तहत अवसर की समानता समाज के कुछ वर्गों के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करती है।उन्हें समानता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है और केवल इसलिए पिछड़ेपन का सामना करना पड़ सकता है क्योंकि वे संस्थानों द्वारा स्थापित कुछ कृत्रिम मानकों को पूरा नहीं करते हैं।न्यायमूर्ति फजल अली ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

च

"158. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अनुच्छेद 16 (1) राज्य के तहत सेवाओं में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता प्रदान करता है।हालाँकि, यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि अनुच्छेद 16 में निहित सिद्धांत एक कठोर और अस्थिर वास्तविकता है, एक ठोस और रचनात्मक अवधारणा है न कि एक कठोर नियम या एक खाली सूत्र।इस न्यायालय के कई अधिकारियों द्वारा यह भी समान रूप से तय किया गया है कि अनुच्छेद 16 केवल अनुच्छेद 14 की एक घटना है, अनुच्छेद 14 सार्वभौमिक ए का वंश है।

जी.

एच.

625

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

जबकि अनुच्छेद 16 प्रजाति है और राज्य के तहत सेवाओं में अवसर की समानता प्राप्त करने का प्रयास करता है।उचित वर्गीकरण का सिद्धांत समानता की अवधारणा में निहित और अंतर्निहित है क्योंकि शायद ही कोई ऐसा देश हो जहां सभी नागरिक सभी मामलों में समान हों।अवसर की समानता का मतलब स्वाभाविक रूप से न केवल एक वर्ग या दूसरे के लिए बल्कि सभी वर्गों के लिए एक उचित अवसर होगा, अगर समाज का कोई विशेष वर्ग इससे पीड़ित है तो बाधाओं को दूर करके।इस न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक निर्णयों में यह कभी विवादित नहीं किया गया है कि अनुच्छेद 14 उचित वर्गीकरण की अनुमति देता है।लेकिन अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 16 जो वर्जित करता है वह शत्रुतापूर्ण भेदभाव है और उचित वर्गीकरण नहीं है।दूसरे शब्दों में, वर्गीकरण का विचार समानता की अवधारणा में निहित है क्योंकि समानता का अर्थ सभी के लिए समानता है न कि केवल समाज के उन्नत और शिक्षित वर्गों के लिए।इसलिए, यह इस प्रकार है कि हमारे देश के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रदान करने के लिए, नागरिकों के प्रत्येक वर्ग को एक समतावादी समाज के निर्माण में समान भागीदारी की भावना होनी चाहिए, जहां शांति और प्रचुरता हो, जहां पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता हो और कोई महामारी या गरीबी न हो, कोई भेदभाव और उत्पीड़न न हो, जहां शिक्षा, काम करने, अपनी आजीविका कमाने का समान अवसर हो ताकि सामाजिक न्याय का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।क्या हम समाज के मजबूत और अधिक/उन्नत वर्गों को लाभ प्रदान करते हुए, अधिक पिछड़े वर्गों को केवल इसलिए नजरअंदाज कर सकते हैं क्योंकि वे निर्धारित मानकों तक नहीं पहुंच सकते हैं?मेरी राय में, इस तरह के पाठ्यक्रम से पिछड़े वर्गों को अवसर से वंचित किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता की अवधारणा पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी।हमारे संविधान के संस्थापकों द्वारा और अनुच्छेद 14 और 16 में निहित समानता के उद्देश्य को प्राप्त करने का एकमात्र तरीका पिछड़े वर्गों को रियायतें, छूट, सुविधाएं, बाधाओं को दूर करना और उपयुक्त आरक्षण देकर बढ़ावा देना है ताकि लोगों के कमजोर वर्ग अधिक उन्नत लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकें और समय के साथ सभी समान हो सकें और पिछड़ेपन को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए।यह तभी हो सकता है जब हम पूर्ण आर्थिक और सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त करें।हमारे विशाल देश में जहां विभिन्न जातियों और वर्गों के लोग हैं, जिनमें से कुछ अज्ञानता और निरक्षरता के सागर में डूब गए हैं, समानता की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है।वहाँ

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

626

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

कश्मीर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों, बिहार और दक्षिण जैसे कुछ राज्यों में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां संचार या परिवहन की कमी, उचित शैक्षिक सुविधाओं के अभाव या पुराने रीति-रिवाजों और परंपराओं और अन्य पर्यावरणीय कारणों से लोग सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं।क्या हम यह कह सकते हैं कि इन क्षेत्रों के नागरिकों को केवल इसलिए पिछड़े रहना चाहिए क्योंकि वे विभिन्न संस्थानों द्वारा निर्धारित कुछ कृत्रिम मानकों से कम हैं?जवाब नकारात्मक होना चाहिए।हमारे संविधान में निहित निर्देशक सिद्धांतों में समानता और सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट जनादेश है।इस परेशान करने वाले प्रश्न में गए बिना कि क्या भाग IV में निहित निर्देश सिद्धांत भाग III में मौलिक अधिकारों को ओवरराइड करते हैं या नहीं, इस न्यायालय की न्यायिक राय की पूर्ण सर्वसम्मति प्रतीत होती है कि निर्देश सिद्धांतों और मौलिक अधिकारों का एक-दूसरे के अनुरूप अर्थ लगाया जाना चाहिए और किसी भी स्पष्ट विसंगति को हल करने के लिए न्यायालय द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए।भाग IV में निहित निर्देशक सिद्धांत एक समाजवादी राज्य की ऊँची इमारत पर चढ़ने के लिए सीढ़ियों का गठन करते हैं और मौलिक अधिकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से कोई व्यक्ति इमारत के शीर्ष तक पहुंच सकता है।इस न्यायालय के कई फैसलों से मैं अपने विचार में मजबूत हूं, जिनका मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा।"

ग

डी.

ई.

22. भले ही न्यायाधीश इस बात पर भिन्न थे कि अनुच्छेद 16 (1) व्यक्ति-केंद्रित है या समूह-केंद्रित है, फिर भी उन्होंने स्वीकार किया कि अनुच्छेद 16 (4) अनुच्छेद 16 (1) के तहत परिकल्पित पर्याप्त समानता प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 16 (4), 15 (4) और 15 (5) समूह पहचान को एक ऐसी विधि के रूप में नियोजित करते हैं जिसके माध्यम से मूल समानता प्राप्त की जा सकती है।इससे एक विसंगति पैदा हो सकती है जहां किसी चिन्हित समूह के व्यक्तिगत सदस्य पिछड़े नहीं हो सकते हैं या गैर-चिन्हित समूह से संबंधित व्यक्ति किसी चिन्हित समूह के सदस्यों के साथ पिछड़ेपन की कुछ विशेषताओं को साझा कर सकते हैं।हालाँकि, यह आरक्षण नीति के अंतर्निहित तर्क को नहीं बदलता है जो समाज में आगे बढ़ने में वंचित समूहों के सामने आने वाली संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने का प्रयास करती है।आरक्षण उन उपायों में से एक है जिसका उपयोग इन बाधाओं को दूर करने के लिए किया जाता है।व्यक्तिगत अंतर विशेषाधिकार, भाग्य या परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग कुछ समूहों को होने वाले संरचनात्मक नुकसान को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता है।23. यह विचार कि पिछड़े वर्ग के लिए बनाए गए विशेष प्रावधान समानता के सिद्धांत के लिए एक अपवाद नहीं हैं, ए द्वारा फिर से पुष्टि की गई थी।

च

जी.

एच.

627

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ **40** में नौ-न्यायाधीशों की पीठ।ये टिप्पणियां अनुच्छेद **16 (1)** और **16 (4)** के संदर्भ में की गई थीं।में

डॉ. जयश्री लक्ष्मणराव पाटिल बनाम मुख्यमंत्री **41,** इस न्यायालय ने

उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 16 की व्याख्या के लिए लागू सिद्धांतों का उपयोग अनुच्छेद 15 की व्याख्या के लिए भी किया जाना चाहिए।इस प्रकार, अनुच्छेद 15 (4) और अनुच्छेद 15 (5) कुछ और नहीं बल्कि अनुच्छेद 15 (1) में निर्धारित समानता के अधिकार की गारंटी है।

24. उपरोक्त चर्चा का सार यह है कि योग्यता और आरक्षण का द्विआधारी अब अनावश्यक हो गया है जब इस न्यायालय ने मूल समानता के सिद्धांत को अनुच्छेद 14 के अधिदेश के रूप में और अनुच्छेद 15 (1) और 16 (1) के एक पहलू के रूप में मान्यता दी है।एक खुली प्रतियोगी परीक्षा औपचारिक समानता सुनिश्चित कर सकती है जहाँ सभी को भाग लेने का समान अवसर मिलता है।हालांकि, शैक्षिक सुविधाओं की उपलब्धता और पहुंच में व्यापक असमानताओं के परिणामस्वरूप कुछ वर्गों के लोग वंचित हो जाएंगे जो इस तरह की प्रणाली में प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होंगे।विशेष प्रावधान (जैसे आरक्षण) ऐसे वंचित वर्गों को उन बाधाओं को दूर करने में सक्षम बनाते हैं जिनका वे आगे के वर्गों के साथ प्रभावी रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सामना करते हैं और इस प्रकार पर्याप्त समानता सुनिश्चित करते हैं।अग्रगामी वर्गों को जो विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वे प्रतिस्पर्धी परीक्षा की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्कूली शिक्षा और शिक्षण और कोचिंग केंद्रों तक पहुंच तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि उनके सामाजिक नेटवर्क और सांस्कृतिक पूंजी (संचार कौशल, उच्चारण, किताबें या शैक्षणिक उपलब्धियां) भी शामिल हैं जो उन्हें अपने परिवार से विरासत में मिलती हैं।42 सांस्कृतिक पूंजी यह सुनिश्चित करती है कि एक बच्चे को अपने परिवार की स्थिति के अनुरूप उच्च शिक्षा या उच्च पदों को लेने के लिए पारिवारिक वातावरण द्वारा अनजाने में प्रशिक्षित किया जाए।यह उन व्यक्तियों के लिए नुकसानदायक है जो पहली पीढ़ी के शिक्षार्थी हैं और उन समुदायों से आते हैं जिनके पारंपरिक व्यवसायों के परिणामस्वरूप खुली परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आवश्यक कौशल का संचरण नहीं होता है।उन्हें अग्रगामी समुदायों के अपने साथियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करना पड़ता है।43 दूसरी ओर, सामाजिक नेटवर्क (सामुदायिक संपर्कों पर आधारित) तब उपयोगी हो जाते हैं जब व्यक्ति मार्गदर्शन लेते हैं और सलाह देते हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे करें और अपने करियर में आगे कैसे बढ़ें, भले ही उनके

ग

डी.

ई.

च

जी.

40 1992 पूरक (3) एस. सी. सी. 217

41 (2021) 8 एससीसी 1

42 के. वी. स्याम्प्रसाद, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में योग्यता और जातिःकेरल, भारत में वंचितों के लिए सकारात्मक कार्रवाई को उचित ठहराते हुए, जर्नल फॉर क्रिटिकल एजुकेशन पॉलिसी स्टडीज, खंड 17,p.50-81 (2019)।

43 आई. बी. आई.

एच.

तत्काल परिवार के पास आवश्यक एक्सपोजर नहीं है।इस प्रकार, पारिवारिक आदतों, सामुदायिक संबंधों और विरासत में मिले कौशल का एक संयोजन कुछ वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के लाभ के लिए काम करता है, जिसे फिर "योग्यता" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और सामाजिक प्रजनन की पुष्टि की जाती है।

पदानुक्रम।बी. के. पवित्रा बनाम भारत संघ **44** में, दो-न्यायाधीशों की पीठ

इस न्यायालय का, जिसमें हममें से एक हिस्सा थे (न्यायमूर्ति डी. वाई. चंद्रचूड़) ने कहा था कि कैसे परीक्षा की स्पष्ट रूप से तटस्थ प्रणालियाँ सामाजिक असमानताओं को कायम रखती हैं।इस न्यायालय ने टिप्पणी कीः

"134. यह अच्छी तरह से तय है कि समाज में मौजूदा असमानताएं विशेषाधिकार प्राप्त उम्मीदवारों के पक्ष में भेदभाव करने वाली एक "तटस्थ" प्रणाली को जन्म दे सकती हैं।जैसा कि मार्क गैलांटर ने नोट किया है, प्रतियोगी परीक्षाओं में परिणाम देने के लिए तीन व्यापक प्रकार के संसाधन आवश्यक हैं जो "योग्यता" के संकेतक के रूप में अर्हता प्राप्त करते हैं।ये हैंः

ग

"... (क) आर्थिक संसाधन (पूर्व शिक्षा, प्रशिक्षण, सामग्री, काम से स्वतंत्रता आदि के लिए); (ख) सामाजिक और सांस्कृतिक संसाधन (संपर्क, विश्वास, मार्गदर्शन और सलाह, सूचना आदि के नेटवर्क); और (ग) आंतरिक क्षमता और कड़ी मेहनत। "भारत में कानून और पिछड़े वर्ग, (ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली 1984), देशपांडे एस. द्वारा उद्धृत, समावेश बनाम उत्कृष्टताःजाति और भारतीय उच्च शिक्षा में उचित पहुंच का निर्माण, 40:1 समाजशास्त्र की दक्षिण अफ्रीकी समीक्षा 127-147।]

डी.

ई.

135. पहले दो मानदंड स्पष्ट रूप से किसी उम्मीदवार के अपने प्रयासों के उत्पाद नहीं हैं, बल्कि वे संरचनात्मक स्थितियां हैं जिनमें वे पैदा होते हैं।सरकारी नियुक्तियों और पदोन्नति में योग्यता की नैतिक दिशा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उत्थान को जोड़कर, संविधान इस जोखिम को कम करता है कि पहले दो मानदंडों की कमी समाज में मौजूद संरचनात्मक असमानताओं को कायम रखेगी।"

च

25. इसका मतलब यह नहीं है कि प्रतियोगी परीक्षा या उच्च शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में प्रदर्शन के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि यह समझना आवश्यक है कि "योग्यता" केवल स्वयं की रचना नहीं है।योग्यता के आसपास की बयानबाजी उस तरीके को अस्पष्ट करती है जिसमें परिवार, स्कूली शिक्षा, भाग्य और प्रतिभाओं का एक उपहार जिसे समाज वर्तमान में महत्व देता है, किसी की उन्नति में सहायता करता है।45

जी.

44 (2019) 16 एस. सी. सी 129

45 माइकल सैंडल, मेरिट का अत्याचारःआम अच्छे का क्या हुआ (पेंगुइन बोक्स)

एच.

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

इस प्रकार, योग्यता का बहिष्कृत मानक उन लोगों की गरिमा को कम करने का काम करता है जो अपनी उन्नति में बाधाओं का सामना करते हैं जो उनकी खुद की नहीं हैं।लेकिन "परीक्षा में प्राप्तांक" के आधार पर योग्यता के विचार की गहन जांच की आवश्यकता है।जबकि परीक्षाएँ शैक्षिक अवसरों को वितरित करने का एक आवश्यक और सुविधाजनक तरीका है, अंक हमेशा व्यक्तिगत योग्यता का सबसे अच्छा पैमाना नहीं हो सकते हैं।फिर भी अंकों का उपयोग अक्सर योग्यता के लिए एक प्रतिनिधि के रूप में किया जाता है।व्यक्तिगत क्षमता एक परीक्षा में प्रदर्शन को पार करती है।परीक्षा परिणाम जैसे मानकीकृत उपाय उम्मीदवारों के बीच गुणात्मक अंतर का सबसे सटीक मूल्यांकन नहीं हैं।46 अश्विनी देशपांडे इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि परीक्षाओं में क्या मापने का दावा किया जाता है और वे वास्तव में क्या मापते हैं, इसके बीच हमेशा एक डिग्री का अंतर होता है।वह कहता हैः

ग

"...अधिकांश परीक्षाओं और परीक्षणों में अनिवार्य रूप से एक अनुक्रमिक चरित्र होता है-वे अपने द्वारा निर्धारित वास्तविक कार्यों से कुछ अधिक (या इसके अलावा) मापने का दावा करते हैं।इस प्रकार, उदाहरण के लिए, सिविल सेवा में शामिल होने का इच्छुक उम्मीदवार एक प्रवेश परीक्षा दे सकता है जहाँ वह भूविज्ञान, दर्शन और सामान्य ज्ञान के पेपरों में दिखाई देती है।इन पेपरों में उनके प्रदर्शन के आधार पर, प्रवेश परीक्षा एक अच्छी सिविल सेवक बनने की उनकी संभावित क्षमता का अनुमान लगाने का दावा करती है।भूविज्ञान, दर्शन और सामान्य ज्ञान में परीक्षा के उत्तर लिखने में अच्छे होने और एक अच्छे सिविल सेवक होने के बीच एक अप्रत्यक्ष संबंध है।यह वह अर्थ है जिसमें परीक्षा और इसमें उम्मीदवार का प्रदर्शन एक सूचकांक के रूप में कार्य करता है-एक संकेतक-कुछ और अर्थात् एक अच्छा सिविल सेवक बनने की उसकी क्षमता।

डी.

ई.

सभी परीक्षाएँ कम अनुक्रमिक होती हैं, यहाँ तक कि जिनमें बहुत सारे 'व्यावहारिक' घटक होते हैं जिनमें ऐसी गतिविधियाँ शामिल होती हैं जो सफल उम्मीदवारों द्वारा अंततः पेशेवर रूप से किए जाने वाले कार्यों के बहुत करीब प्रतीत होती हैं।अन्य सभी चीजें समान होने के कारण, अनुक्रमणिका परीक्षा के नैदानिक दावों को कमजोर करती है।इसके कारण, दांव जितना अधिक होगा, परीक्षा को दी गई प्रतिष्ठा और लोकप्रिय सम्मान के निर्माण पर उतनी ही अधिक वैचारिक ऊर्जा खर्च की जाएगी।यही कारण है कि एक बेशकीमती पेशे या स्थिति के प्रवेश द्वार की रक्षा करने वाली परीक्षाएँ अतिशयोक्ति में डूबी हुई हैं और सामाजिक रूप से आवश्यक (कहने के लिए) दर्दनाक रक्तपात हैं।कुछ भी कम होगा।

च

जी.

46 अश्विनी देशपांडे, भारत में सकारात्मक कार्रवाई के माध्यम से सामाजिक न्यायः जेनेट विक्स-लिम और रॉबर्ट पोलिन (संपादक) कैपिटलिस्म ऑन ट्रायल में एक आकलनः थॉमस वीस्कॉफ की परंपरा में अन्वेषण, प्रकाशकःएडवर्ड एल्गर पब्लिशिंग इंक. (नॉर्थम्प्टन, एमए), 2013

एच.

यह न केवल उस स्थिति की स्थिति को कमजोर करता है जिसकी वे रक्षा कर रहे हैं, बल्कि यह मुख्य सामाजिक कार्य को भी खतरे में डाल देगा जो इस तरह की परीक्षाएँ करती हैं, जो कि अधिकांश उम्मीदवारों को उनके बहिष्कार के लिए सहमति देने के लिए राजी करना है।" 47

सबसे अच्छा, एक परीक्षा केवल एक व्यक्ति की वर्तमान क्षमता को प्रतिबिंबित कर सकती है, लेकिन उनकी क्षमता, क्षमताओं या उत्कृष्टता के सरगम को नहीं, 48 जो जीवित अनुभवों, बाद के प्रशिक्षण और व्यक्तिगत चरित्र से भी आकार लेते हैं।"योग्यता" के

अर्थ को अंकों तक सीमित नहीं किया जा सकता है, भले ही यह शैक्षिक संसाधनों को वितरित करने का एक सुविधाजनक तरीका हो।जब परीक्षाएँ संसाधन आवंटन की प्रणालियों से अधिक होने का दावा करती हैं, तो वे छात्रों या पेशेवरों के रूप में व्यक्तियों के मूल्य का पता लगाने की एक विकृत प्रणाली का निर्माण करती हैं।इसके अतिरिक्त, चूंकि परीक्षाओं में सफलता के परिणामस्वरूप एक "मेधावी व्यक्ति" के रूप में उच्च सामाजिक स्थिति का उल्लेख किया जाता है, वे अक्सर सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने वाले सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक लाभों को अदृश्य रूप से प्रस्तुत करके कुछ समुदायों की मौजूदा वर्णनात्मक पहचान को "बौद्धिक" और "सक्षम" के रूप में स्थायी और सुदृढ़ करते हैं।इस प्रकार, हमें "योग्यता" के अर्थ को फिर से समझने की आवश्यकता है।उदाहरण के लिए, यदि कोई उच्च अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार अच्छा प्रदर्शन करने के लिए अपनी प्रतिभा का उपयोग नहीं करता है, तो उन्हें केवल इसलिए "मेधावी" कहना मुश्किल होगा क्योंकि उन्होंने उच्च अंक प्राप्त किए हैं।कार्यों के औचित्य और लोक सेवा के प्रति समर्पण को भी योग्यता के मार्कर के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसका मूल्यांकन प्रतियोगी परीक्षा में नहीं किया जा सकता है।समान रूप से, अभाव की स्थितियों से खुद को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक धैर्य और लचीलापन व्यक्तिगत क्षमता को दर्शाता है।इस न्यायालय द्वारा प्रदीप जैन (ऊपर) में योग्यता के इस तरह के सूत्रीकरण पर जोर दिया गया था, जहाँ उसने कहा थाः

ग

डी.

ई.

“12. लेकिन आइए समझते हैं कि हमारा क्या मतलब है जब हम कहते हैं कि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चयन योग्यता पर आधारित होना चाहिए।योग्यता क्या है जो चयन की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है?इसमें निस्संदेह उच्च स्तर की बुद्धिमत्ता के साथ-साथ एक उत्सुक और तीक्ष्ण दिमाग, बुनियादी विषयों का अच्छा ज्ञान और कड़ी मेहनत के लिए असीम क्षमता होती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है; इसके लिए सामाजिक प्रतिबद्धता और समर्पण की भावना की भी आवश्यकता होती है।

च

जी.

47 सतीश देशपांडे, पास, फेल, डिस्टिंक्शनःएक सामाजिक संस्थान के रूप में परीक्षा।मार्जोरी साइक्स मेमोरियल लेक्चर, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, अजमेर, 3 मार्च, 2010।राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित।

48 इबिद ए

एच.

631

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

गरीबों से।हम न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर से सहमत हैं, जब वे जगदीश सरन मामले [(1980) 2 एस. सी. सी. 768 में कहते हैंःआकाशवाणी 1980 एससी 820:(1980) 2 एससीआर 831]:(एस. सी. सी. पी. 778, पैरा 21)

“यदि ग्रामीण सेवा की क्षमता या पिछड़े लोगों के बीच चिकित्सा प्रदान करने की योग्यता योग्यता का एक मानदंड है-और यह, निस्संदेह, बीमारी और दुख, उपेक्षा और गरीबी, विलाप और आँसू की भूमि में है-तो निश्चित रूप से, एक वंचित क्षेत्र को पूरा करने वाले विश्वविद्यालय से संबंधित होना योग्यता का एक प्लस पॉइंट है।उत्कृष्टता समग्र है और हृदय और इसकी संवेदनशीलता शैक्षिक मूल्यों के पैमाने में उतनी ही मूल्यवान है जितनी कि सिर और आम लोगों के लिए इसकी रचनात्मकता और सामाजिक चिकित्सा अजीब मामलों में शीर्ष प्रदर्शन की तुलना में अधिक प्रासंगिक है।"

ग

योग्यता को केवल अंकों के संदर्भ में नहीं मापा जा सकता है, लेकिन मानवीय सहानुभूति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।चिकित्सा पेशे के सदस्य के सामाजिक मूल्य का आकलन करने में हृदय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रमुख।यह एक ऐसा पहलू भी है जिसे मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए योग्यता का निर्धारण करते समय सीमित सीमा तक ध्यान में रखा जा सकता है, हालांकि यह स्वीकार किया जाता है कि ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यह एक ऐसा कारक है जिसका आकलन करना बेहद मुश्किल है और मूल्यांकन के लिए आसानी से अतिसंवेदनशील नहीं है।"

डी.

ई.

26. हालाँकि, योग्यता के अर्थ को प्रासंगिक बनाने के बाद, अगले पैराग्राफ में इस न्यायालय ने योग्यता के प्रवेश के लिए अपनाई गई चयन प्रक्रिया को योग्यता के बराबर करने के लिए वापस कर दिया।हालाँकि, योग्यता के वास्तविक उद्देश्य के बावजूद, यह न्यायालय नोट करता है कि प्रवेश के लिए चयन प्रक्रिया को समानता की कसौटी को पूरा करना चाहिए।इस न्यायालय ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

च

“13. अब हम इस बात पर विचार करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं कि कौन सी परिस्थितियाँ हैं जिनमें योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धांत से न्यायोचित रूप से विचलन किया जा सकता है।जाहिर है, इस तरह के प्रस्थान को केवल समानता-उन्मुख आधारों पर ही उचित ठहराया जा सकता है, क्योंकि मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए चयन का सिद्धांत जो भी हो, उसे समानता की कसौटी को पूरा करना चाहिए।अब संविधान के तहत समानता की अवधारणा एक गतिशील अवधारणा है।यह बराबरी और सुरक्षात्मक भेदभाव की हर प्रक्रिया को अपने दायरे में लेता है।समानता को केवल निष्क्रिय मंत्र नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसे बड़ी संख्या में लोगों के लिए एक जीवित वास्तविकता बनना चाहिए।एक अमिट सामंती छाप और लाइलाज वास्तविक के साथ एक पदानुक्रमित समाज में

जी.

एच.

असमानता, यह सुझाव देना बेतुका है कि सामूहिक अक्षमताओं को समाप्त करने और सामूहिक समानता को बढ़ावा देने के लिए प्रगतिशील उपाय इस आधार पर समानता के विरोधी हैं कि प्रत्येक व्यक्ति विशुद्ध रूप से उसके द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर योग्यता के आधार पर अवसर की समानता का हकदार है।हम इस तरह के सुझाव को स्वीकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा करने से समानता खंड निर्जल हो जाएगा और मौजूदा असमानताओं को कायम रखा जा सकेगा।अवसर की समानता केवल कानूनी समानता का मामला नहीं है।इसका अस्तित्व केवल अक्षमताओं की अनुपस्थिति पर ही नहीं बल्कि क्षमताओं की उपस्थिति पर भी निर्भर करता है।जहाँ, इसलिए, असमानता है, वास्तव में, कानूनी समानता हमेशा इसे बढ़ाती है।प्रसिद्ध कवि विलियम ब्लेक ने चित्रात्मक रूप से जो कहा वह बहुत सच है, अर्थात्, "शेर और बैल के लिए एक नियम उत्पीड़न है।"वास्तव में, जो असमान हैं, उनके साथ समान मानकों द्वारा व्यवहार नहीं किया जा सकता है; यह कानून में समानता हो सकती है लेकिन यह निश्चित रूप से वास्तविक समानता नहीं होगी।इसलिए, यह आवश्यक है कि समाज में मौजूद वास्तविक असमानताओं को ध्यान में रखा जाए और वास्तविक समानता लाने के लिए सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को प्राथमिकता देकर या अधिक लाभप्रद लोगों पर बाधाएं डालकर सकारात्मक कार्रवाई की जाए।इस तरह की सकारात्मक कार्रवाई, हालांकि स्पष्ट रूप से भेदभावपूर्ण है, वास्तविक असमानताओं को समाप्त करके और समुदाय के कमजोर वर्गों को मजबूत और अधिक शक्तिशाली वर्गों के साथ समानता के आधार पर रखते हुए व्यापक आधार पर समानता पैदा करने के लिए गणना की जाती है ताकि समुदाय का प्रत्येक सदस्य, चाहे उसका जन्म, व्यवसाय या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अपने शरीर, चरित्र और बुद्धि के प्राकृतिक दान का पूर्ण रूप से उपयोग करने का समान अवसर प्राप्त कर सके।हम इस संबंध में

अहमदाबाद सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी बनाम गुजरात राज्य [(1974) 1 एस. सी. सी. 717,799 में जे. मैथ्यू ने जो कहा, उसे उपयोगी रूप से उद्धृत कर सकते हैंःए. आई. आर 1974 एस. सी. 1389:(1975) 1 एससीआर 173]:(एस. सी. सी. पी. 799, पैरा 132)

ग

डी.

ई.

च

“... यह स्पष्ट है कि 'कानून में समानता किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकती है; जबकि वास्तव में समानता में एक परिणाम प्राप्त करने के लिए अंतर व्यवहार की आवश्यकता शामिल हो सकती है जो विभिन्न स्थितियों के बीच एक संतुलन स्थापित करती है' [अल्बानिया में अल्पसंख्यक स्कूलों पर सलाहकार राय, 6 अप्रैल, 1935 न्यायालय के प्रकाशन, श्रृंखला ए/बी नंबर 64, पी 19]।"

जी.

इसलिए, हमारे पास ऐसी शुष्क समानता नहीं हो सकती है जो उन सामाजिक और आर्थिक अक्षमताओं और असमानताओं को ध्यान में न रखे जिनसे देश में बड़ी संख्या में लोग पीड़ित हैं।ए में समानता

एच.

633

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

कानून को वास्तविक समानता पैदा करनी चाहिए; न्यायिक समानता को अंततः वास्तविक समानता में अपना कारण खोजना चाहिए।इसलिए, राज्य को उन लोगों को, जो वास्तव में अपनी संपत्ति, शिक्षा या सामाजिक वातावरण में असमान हैं, निर्दिष्ट क्षेत्रों में समान बनाने के उद्देश्य से प्रतिपूरक राज्य कार्रवाई का सहारा लेना चाहिए।राज्य को जगदीश सरन मामले [(1980) 2 एस. सी. सी. 768 में न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर के शब्दों का फिर से उपयोग करना चाहिएःआकाशवाणी 1980 एससी 820: (1980) 2 एस. सी. आर. 831] (एस. सी. सी. पृष्ठ 782, पैरा 29) "उन विशेष सुविधाओं को समानता के जाल में बुनते हैं जो एक न्यायसंगत व्यवस्था में, कमजोरों के लिए प्रदान करते हैं और उनके स्तर को बढ़ावा देते हैं ताकि, लंबे समय में, बड़े पैमाने पर समुदाय वास्तविक समान के सामान्य उपाय का आनंद ले सके।इसलिए, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश की योजना योग्यता के आधार पर चयन के सिद्धांत से अलग हो सकती है, जहां असमान लोगों के बीच अवसर की वास्तविक समानता लाने के उद्देश्य से ऐसा करना आवश्यक है।"27. यहां यह स्पष्ट करना महत्वपूर्ण है कि एन. एम. थॉमस (उपरोक्त) में निर्णय के बाद योग्यता और आरक्षण के द्विआधारी को स्वीकार करने का कोई संवैधानिक आधार नहीं है।यदि खुली परीक्षाएं उम्मीदवारों को प्रतिस्पर्धा करने के लिए अवसर की समानता प्रदान करती हैं, तो आरक्षण यह सुनिश्चित करता है कि अवसरों को इस तरह से वितरित किया जाए कि पिछड़े वर्ग ऐसे अवसरों से समान रूप से लाभान्वित हो सकें जो आमतौर पर संरचनात्मक बाधाओं के कारण उनसे बच जाते हैं।यह एकमात्र तरीका है जिसमें योग्यता एक लोकतांत्रिक शक्ति हो सकती है जो विरासत में मिले नुकसान और विशेषाधिकारों को बराबर करती है।अन्यथा व्यक्तिगत योग्यता के दावे कुछ और नहीं बल्कि विरासत को अस्पष्ट करने के उपकरण हैं जो उपलब्धियों को रेखांकित करते हैं।

ग

डी.

ई.

च

28. यदि योग्यता एक सामाजिक भलाई है जिसकी रक्षा की जानी चाहिए, तो हमें पहले योग्यता की सामग्री की आलोचनात्मक जांच करनी चाहिए।जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, एक परीक्षा में अंक उत्कृष्टता या क्षमता का एकमात्र निर्धारक नहीं हैं।भले ही तर्क के लिए, यह माना जाता है कि अंक उत्कृष्टता को दर्शाते हैं, लेकिन यह एकमात्र मूल्य नहीं है जिसे सामाजिक भलाई माना जाता है।हमें योग्यता के वितरण संबंधी परिणामों को देखना चाहिए।तदनुसार, हम योग्यता का आकलन कैसे करते हैं, यह भी शामिल होना चाहिए कि क्या यह असमानताओं को कम करता है या बढ़ाता है।जैसा कि अमर्त्य सेन तर्क देते हैंः

जी.

"यदि, उदाहरण के लिए, एक अच्छे समाज की अवधारणा में गंभीर आर्थिक असमानताओं का अभाव शामिल है, तो

एच.

आर्थिक असमानता को कम करने या उत्पन्न करने के लिए अनुमानित योग्यता की प्रवृत्ति पर ध्यान देना होगा, जिसमें योग्यता के रूप में क्या गिना जाता है, इसका मूल्यांकन शामिल है।इस मामले में, योग्यता का पुरस्कार इसके वितरण संबंधी परिणामों से स्वतंत्र नहीं किया जा सकता है।

.....

हालाँकि, आधुनिक योग्यता के अधिकांश संस्करणों में, चयनित उद्देश्य लगभग विशेष रूप से समग्र उपलब्धियों (असमानता के खिलाफ किसी भी प्राथमिकता के बिना) की ओर उन्मुख होते हैं, और कभी-कभी चुने गए उद्देश्य अधिक भाग्यशाली समूहों के हितों के प्रति पक्षपाती (अक्सर निहित रूप से) होते हैं (उन परिणामों का पक्ष लेते हैं जो आबादी के "प्रतिभाशाली" और "सफल" वर्गों द्वारा अधिक पसंद किए जाते हैं।यह असमानता की प्रवृत्ति को मजबूत और बढ़ा सकता है जो एक वस्तुनिष्ठ कार्य के साथ भी मौजूद हो सकता है जो अन्य बातों के साथ-साथ, असमानता के स्तर को कम करने के लिए कुछ वजन जोड़ता है।

ग

डी.

योग्यता की इसी तरह की समझ इस न्यायालय द्वारा बी. के. पवित्र (ऊपर) में दी गई थी, जहाँ इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया थाः

"131. एक बार जब हम उन वस्तुओं को प्राप्त करने में सहायक के रूप में योग्यता को समझते हैं जिन्हें हम एक समाज के रूप में महत्व देते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ संकीर्ण रूप से परिभाषित मानदंडों पर प्रदर्शन के साथ योग्यता का समीकरण अधूरा है।एक मेधावी प्रणाली वह है जो उन कार्यों को पुरस्कृत करती है जिनके परिणामस्वरूप परिणाम होते हैं जिन्हें हम एक समाज के रूप में महत्व देते हैं।"

ई.

योग्यता और आरक्षण का एक विरोधी प्रतिमान आरक्षित उम्मीदवारों को अक्षमता के क्षेत्र में धकेलकर और उनकी क्षमताओं को कम करके असमानताओं को बढ़ाने का काम करता है।हम पहले ही कह चुके हैं कि जबकि परीक्षाएँ शैक्षिक संसाधनों को आवंटित करने के लिए एक आवश्यक और सुविधाजनक तरीका है, वे योग्यता के प्रभावी मार्कर नहीं हैं।जिस तरह से हम योग्यता को समझते हैं, वह व्यक्तिगत एजेंसी या क्षमता तक सीमित नहीं होना चाहिए (जो किसी भी मामले में केवल हमारे अपने काम से नहीं है), बल्कि इसकी कल्पना एक सामाजिक भलाई के रूप में की जानी चाहिए जो समानता को आगे बढ़ाती है क्योंकि यही

वह मूल्य है जिसका हमारा संविधान समर्थन करता है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यहाँ समानता का केवल एक पुनर्वितरण आयाम नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्येक व्यक्ति के मूल्य और गरिमा को पहचानना भी शामिल है।की सामग्री

च

जी.

49 अमर्त्य सेन, 'मेरिट एंड जस्टिस' इन एरो केजे, एट अल (एड), मेरिटोक्रेसी एंड इकोनॉमिक इनइक्वेलिटी (प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस 2000)।

एच.

635

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

योग्यता समाज में हम जो महत्व देते हैं, उससे रहित नहीं हो सकती।उपरोक्त चर्चा के आधार पर, हमें योग्यता की संकीर्ण परिभाषा (यानी व्यक्तिगत उपलब्धि) को स्वीकार करना मुश्किल लगता है।हमारा मानना है कि इस तरह की परिभाषा मूल समानता की प्राप्ति में बाधा डालती है।

29. इस मुद्दे पर आते हुए कि क्या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है, यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 15 (5) स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के बीच अंतर नहीं करता है।अनुच्छेद 15 (5) इस प्रकार पढ़ता हैः

“(5) इस अनुच्छेद में या अनुच्छेद 19 के खंड (1) के उपखंड (छ) में कुछ भी राज्य को कानून द्वारा किसी भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग के नागरिकों या अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकेगा, जहां तक कि ऐसे विशेष प्रावधान अनुच्छेद 30 के खंड (1) में निर्दिष्ट अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के अलावा, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त या बिना सहायता प्राप्त, निजी शैक्षणिक संस्थानों सहित शैक्षणिक संस्थानों में उनके प्रवेश से संबंधित हैं।"

ग

डी.

संविधान राज्य को स्नातक और स्नातकोत्तर दोनों स्तरों पर शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने में सक्षम बनाता है।जबकि कुछ अवसरों पर, इस न्यायालय ने टिप्पणी की है कि एसएस पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं हो सकता है, इस न्यायालय ने कभी यह नहीं माना है कि मेडिकल पीजी पाठ्यक्रमों में आरक्षण की अनुमति नहीं है।प्रदीप जैन (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय ने यह नहीं माना कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण पूरी तरह से अस्वीकार्य है।डॉ. प्रीति श्रीवास्तव (उपरोक्त) मामले में, यह न्यायालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण के मुद्दे से संबंधित नहीं था, बल्कि इस सवाल से संबंधित था कि क्या सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की तुलना में आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए योग्यता अंकों का कम न्यूनतम प्रतिशत निर्धारित करने की अनुमति है।एम्स छात्र संघ बनाम एम्स 50 में, यह न्यायालय स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण के सवाल से संबंधित था और यह अभिनिर्धारित किया कि उसी संस्थान के छात्रों को सीमित वरीयता दी जा सकती है।

ई.

च

पीजी स्तर।सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ **51** में**,** एक संविधान

जी.

इस न्यायालय की पीठ ने कहा कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में उचित सीमा तक आरक्षण समानता खंड का उल्लंघन नहीं करता है।52 श्री दीवान ने याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया था कि कई व्यक्तियों के लिए पीजी अंत है।

50 2002 (1) एस. सी. सी. 428 51 2003 (11) एस. सी. सी. 146 52 आई. बी. आई. डी., पैराग्राफ 67।

एच.

सड़क और इसलिए, पीजी पाठ्यक्रमों को एसएस पाठ्यक्रमों के बराबर माना जाना चाहिए और पीजी में किसी भी आरक्षण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। हमें इस तर्क को स्वीकार करना मुश्किल लगता है जब इस न्यायालय ने बार-बार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में आरक्षण की अनुमति दी है।यह तर्क केवल स्नातकोत्तर स्तर पर प्रस्तावित पाठ्यक्रमों के बीच एक कृत्रिम अंतर पैदा करने का प्रयास करता है।इसके अलावा, केवल कुछ चिकित्सा क्षेत्रों में एसएस पाठ्यक्रम नहीं हैं और इसके आधार पर हम यह नहीं मान सकते कि समग्र रूप से पीजी में आरक्षण की अनुमति नहीं है।महत्वपूर्ण रूप से, यहाँ मुद्दा यह है कि क्या स्नातक होने के बाद कोई व्यक्ति इस आधार पर आरक्षण का हकदार है कि वह उस वर्ग से संबंधित है जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित है।हमारी राय में, यह नहीं कहा जा सकता है कि पिछड़ेपन का प्रभाव केवल इसलिए गायब हो जाता है क्योंकि एक उम्मीदवार के पास स्नातक योग्यता होती है।वास्तव में, एक स्नातक योग्यता कुछ सामाजिक और आर्थिक गतिशीलता प्रदान कर सकती है, लेकिन यह अपने आप में आगे के वर्गों और पिछड़े वर्गों के बीच समानता पैदा नहीं करती है। किसी भी स्थिति में, अति-समावेशन का दावा नहीं किया जा सकता है जहां अयोग्य उम्मीदवारों को आरक्षण से लाभ हो रहा है क्योंकि क्रीमी लेयर में आने वाले ओ. बी. सी. उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ लेने से बाहर रखा जाता है।इस प्रकार, हम पाते हैं कि स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों (या ओ. बी. सी.) के लिए आरक्षण शुरू करने में कोई रोक नहीं है।

ग

डी.

डी**. 2** न्यायालय और ए**.** आई**.** क्यू**.** सीटें

30. याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को संबोधित करने के लिए कि इस न्यायालय ने प्रदीप जैन (उपरोक्त) और बाद के मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि ए. आई. क्यू. सीटों में कोई आरक्षण नहीं होगा, यह आवश्यक है कि हम कालानुक्रमिक रूप से विभिन्न मामलों द्वारा ए. आई. क्यू. सीटों की अवधारणा के विकास का उल्लेख करें।

ई.

31. प्रदीप जैन (उपरोक्त) मामले में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ मेडिकल कॉलेजों या उच्च शिक्षा के संस्थानों में अधिवास और संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर निर्णय ले रही थी।उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन 53 और

च

नूकावरपु कनकदुर्गा देवी बनाम काकतीय मेडिकल कॉलेज **54,**

जहाँ उत्तराखंड और तेलंगाना में पहाड़ों के लोगों के लिए आरक्षण की अनुमति दी गई थी क्योंकि वे पिछड़े क्षेत्र थे जो अनुच्छेद 15 (4) में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के दायरे में आते थे, वहाँ यह माना गया था कि आरक्षण या कोई अन्य सकारात्मक

जी.

53 (1975) 2 एससीआर 761 54 एआईआर 1972 एपी 83 ए

एच.

637

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

निवास या अधिवास पर आधारित कार्रवाई कार्यक्रम मनमाना और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं है।हालाँकि, यह भी देखा गया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में छात्रों को अखिल भारतीय आधार पर, 'योग्यता' को आगे बढ़ाने के लिए, निवास के आधार पर किसी भी वर्गीकरण के बिना प्रवेश देना वांछनीय है।यह देखा गया कि हालांकि, समाज में असमानता को देखते हुए जहां एक राज्य के भीतर कुछ क्षेत्र हैं, और कुछ राज्य दूसरों की तुलना में पिछड़े हैं, अखिल भारतीय परीक्षा के आधार पर प्रवेश से असमानता पैदा होगीः“19. […]सैद्धांतिक रूप से, निश्चित रूप से, यदि प्रवेश अखिल भारतीय राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिए जाते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति के पास प्रवेश प्राप्त करने का समान अवसर होगा, लेकिन इसमें विभिन्न क्षेत्रों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तर, विभिन्न राज्यों में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या में असमानता, एक क्षेत्र के छात्रों द्वारा अनुभव की जाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखा जाएगा, जो अखिल भारतीय आधार पर प्रतियोगिता में भाग ले सकते हैं और अपने स्वयं के और अन्य संबद्ध कारकों से बहुत दूर दूसरे क्षेत्र में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं।इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि अखिल भारतीय आधार पर एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश सुनिश्चित करने की नीति एक अत्यधिक वांछनीय नीति है, क्योंकि यह इस धारणा पर आधारित है कि भारत एक राष्ट्र है और भारत का प्रत्येक नागरिक शिक्षा और उन्नति के लिए समान अवसर का हकदार है, लेकिन इसे लक्षित करना एक आदर्श है और वर्तमान परिस्थितियों में इसे अपनाना वास्तविक रूप से संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि यह तब तक अवसर की वास्तविक समानता पैदा नहीं कर सकता जब तक कि असमानताओं और असमानताओं का पूर्ण अभाव न हो-एक ऐसी स्थिति जो आज देश में मौजूद नहीं है।"

ग

डी.

ई.

32. कानूनी और तथ्यात्मक समानता के दावों के बीच संतुलन बनाने के लिए, यह देखा गया कि भले ही केंद्र सरकार चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लेती है, लेकिन निवास के आधार पर उम्मीदवारों के लिए एक निश्चित प्रतिशत सीटें आरक्षित की जा सकती हैं।इसके अलावा, यह माना गया कि शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए अधिवास के आधार पर 100 प्रतिशत का थोक आरक्षण असंवैधानिक हैः

च

जी.

“20 […] हम विद्वान न्यायाधीश द्वारा की गई इन टिप्पणियों से पूरी तरह सहमत हैं और हम कुछ राज्य सरकारों द्वारा राज्य के भीतर 'अधिवास' या निवास की आवश्यकता के आधार पर या उत्तीर्ण छात्रों के लिए संस्थागत वरीयता के आधार पर किए गए थोक आरक्षण की बिना शर्त निंदा करते हैं।

एच.

638

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

योग्यता की परवाह किए बिना, इस आवश्यकता को पूरा नहीं करने वाले सभी छात्रों को छोड़कर विश्वविद्यालय या राज्य द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा।हम इस तरह के थोक आरक्षण को असंवैधानिक और अमान्य घोषित करते हैं क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है।"33. यह न्यायालय तब निवास और संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण की मात्रा निर्धारित करता है।इस न्यायालय ने कहा कि एमबीबीएस में निवास के आधार पर आरक्षण 70 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

अन्य आरक्षणों को ध्यान में रखते हुए कुल उपलब्ध सीटें

वैध रूप से बनाया गया।यह भी देखा गया कि भारतीय चिकित्सा परिषद को हर तीन साल में निवास मानदंड के आधार पर आरक्षण के प्रतिशत को संशोधित करने पर विचार करना चाहिए।उम्मीदवार के निवास की परवाह किए बिना शेष 30 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय आधार पर प्रवेश के लिए उपलब्ध थीं:

ग

“21. लेकिन, फिर राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या विश्वविद्यालय या राज्य द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के लिए संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण को किस हद तक संवैधानिक रूप से अनुमत माना जा सकता है?इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर देना संभव नहीं है, क्योंकि जैसा कि भारत सरकार के नीतिगत वक्तव्य में बताया गया है, इस तरह के आरक्षण की सीमा "उस विशेष क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा के अवसरों, प्रतिस्पर्धा की सीमा, क्षेत्र के शैक्षिक विकास के स्तर और अन्य प्रासंगिक कारकों सहित कई कारकों पर निर्भर करेगी।"ऐसा हो सकता है कि एक ऐसे राज्य में जहां शैक्षिक विकास का स्तर बहुत कम है, चिकित्सा विशेषज्ञता में प्रशिक्षण के लिए तुलनात्मक रूप से अपर्याप्त अवसर हैं और बड़े पैमाने पर सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन है, राज्य के मेडिकल कॉलेजों में अधिक प्रतिशत सीटों के आरक्षण के लिए औचित्य हो सकता है और इतना अधिक प्रतिशत "सामाजिक न्याय के परिप्रेक्ष्य में देखे जाने वाले समानता जनादेश" के खिलाफ नहीं हो सकता है।शैक्षणिक अवसरों के संदर्भ में सामाजिक और आर्थिक तथ्यों के आधार पर इतने सारे चर इस प्रश्न के निर्धारण में प्रवेश करेंगे कि किसी विशेष राज्य के मामले में, राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण की सीमा क्या होनी चाहिए।लेकिन हमारी राय में, इस तरह

डी.

ई.

च

जी.

वैध रूप से किए गए अन्य प्रकार के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए आरक्षण किसी भी स्थिति में खुली सीटों की कुल संख्या के **70** प्रतिशत की बाहरी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए।द ए**.**

एच.

639

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति ने सुझाव दिया है कि बाहरी सीमा 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमारा विचार है कि 70 प्रतिशत पर बाहरी सीमा तय करना उचित और उचित होगा।हम आरक्षण की इस बाहरी सीमा को समानता और उत्कृष्टता के परस्पर विरोधी दावों के बीच सामंजस्य स्थापित करने के प्रयास में निर्धारित कर रहे हैं।हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि हमारे द्वारा निर्धारित यह बाहरी सीमा किसी भी कमी या क्षीणता के अधीन होगी जो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा की जा सकती है जो चिकित्सा चिकित्सकों का वैधानिक निकाय है जिसके कार्यात्मक दायित्वों में चिकित्सा शिक्षा के लिए मानक स्थापित करना और इसके विनियमन और समन्वय का प्रावधान करना शामिल है।हमारी राय है कि वर्षों से हमारे द्वारा निर्धारित इस बाहरी सीमा को धीरे-धीरे कम किया जाना चाहिए, लेकिन यह एक ऐसा कार्य है जिसे भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाना चाहिए।हम भारतीय चिकित्सा परिषद को आज से नौ महीने की अवधि के भीतर विचार करने का निर्देश देंगे कि क्या हमारे द्वारा निर्धारित 70 प्रतिशत की बाहरी सीमा को कम करने की आवश्यकता है और यदि भारतीय चिकित्सा

परिषद एक छोटी बाहरी सीमा निर्धारित करती है, तो यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बाध्यकारी होगी।हम भारतीय चिकित्सा परिषद को यह भी निर्देश देंगे कि इस प्रकार निर्धारित बाहरी सीमा पर हर तीन साल के अंत में पुनर्विचार किया जाए, लेकिन किसी भी स्थिति में बाहरी सीमा पर विचार नहीं किया जाना चाहिए।

ग

डी.

हमारे द्वारा तय किए गए **70** प्रतिशत से अधिक।परिणाम यह है कि किसी भी स्थिति में अखिल भारतीय आधार पर छात्रों के प्रवेश के लिए कम से कम **30** प्रतिशत सीटें उपलब्ध होंगी**,** चाहे वे किसी भी राज्य या विश्वविद्यालय से आए हों और ऐसे प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा या राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे।बेशक**,** हमें इसकी आवश्यकता नहीं है

ई.

यह भी कि जहां निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण इस निर्णय में दिए गए निर्देशों के अनुसार किया जाता है, ऐसे आरक्षण द्वारा इंगित स्रोत या स्रोतों से प्रवेश केवल योग्यता के आधार पर होगा, क्योंकि उद्देश्य ऐसे स्रोत या स्रोतों से सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी छात्रों का चयन करना होना चाहिए।"

च

जी.

(जोर दिया गया**)**

34. इस न्यायालय ने तब एम. बी. बी. एस. पाठ्यक्रम (यू. जी. स्तर पर) और एम. डी. पाठ्यक्रम (पी. जी. स्तर पर) में प्रवेश को अलग किया।इसने पाया कि स्नातकोत्तर स्तर पर योग्यता से समझौता नहीं किया जा सकता है क्योंकि चिकित्सा सुविधाओं के मानक से समझौता करना राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक होगा।

एच.

न्यायालय ने चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति की प्रस्तुतियों का उल्लेख किया जिसके अनुसारः

“22. [...] किसी भी संस्थान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में सभी प्रवेश अखिल भारतीय आधार पर उम्मीदवारों के लिए खुले होने चाहिए और उस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में अधिवास के संबंध में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए जिसमें संस्थान स्थित है।

भारत सरकार द्वारा दायर नीति विवरण इस प्रकार थाः

“22. [...] जहाँ तक स्नातकोत्तर महाविद्यालयों और विशेष व्यावसायिक महाविद्यालयों के संस्थानों में प्रवेश का संबंध है, यह पूरी तरह से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में संवैधानिक आरक्षण के अधीन अखिल भारतीय योग्यता के आधार पर होना चाहिए।"35. नतीजतन, यह माना गया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में निवास के आधार पर आरक्षण प्रदान नहीं करना वांछनीय होगा, हालांकि संस्थागत वरीयता के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत आरक्षण होगा। इसलिए, एक डॉक्टर जिसने एक निश्चित कॉलेज से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उसे पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उसी कॉलेज में वरीयता दी जा सकती है।यह देखा गयाः

ग

डी.

“22. [.....] इसलिए हमारा विचार है कि जहाँ तक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों जैसे कि एम. एस., एम. डी. और इसी तरह के पाठ्यक्रमों में प्रवेश की बात है,

ई.

संबंधित, यह विशेष रूप से वांछनीय होगा कि निवास की आवश्यकता के आधार पर किसी भी आरक्षण का प्रावधान न किया जाए।

राज्य या संस्थागत वरीयता पर।लेकिन, शिक्षा में अवसर की समानता और संस्थागत निरंतरता के व्यापक विचारों को ध्यान में रखते हुए, जिसका अपना महत्व और मूल्य है, हम निर्देश देंगे कि हालांकि राज्य के भीतर निवास की आवश्यकता स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण का आधार नहीं होगी, लेकिन वर्तमान में सीटों का एक निश्चित प्रतिशत हो सकता है

च

परिस्थितियां**,** संस्थागत आधार पर आरक्षित की जाए

इस अर्थ में वरीयता कि एक छात्र जिसने किसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय से एमबीबीएस पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया है, उसे उसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए वरीयता दी जा सकती है, लेकिन संस्थागत वरीयता के आधार पर ऐसा आरक्षण किसी भी स्थिति में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल खुली सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।"

जी.

एच.

(जोर दिया गया**)**

641

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

ये अवलोकन राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में चिकित्सा और दंत चिकित्सा दोनों पाठ्यक्रमों का मार्गदर्शन करने के लिए थे।

36. पीठ ने प्रदीप जैन (ऊपर) मामले में दिनेश कुमार (आई) (ऊपर) मामले में अपने फैसले को स्पष्ट किया।पीठ ने कहा कि ए. आई. क्यू. कोटा सीटों (यू. जी. में 30 प्रतिशत और पी. जी. में 50 प्रतिशत) में प्रवेश केवल एक समान अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से होगा।केंद्र सरकार का यह सुझाव कि यूजी और पीजी चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ए. आई. क्यू. सीटों में प्रवेश व्यक्तिगत योग्यता परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के माध्यम से किया जा सकता है, यह कहते हुए खारिज कर दिया गयाः

“उनके द्वारा प्राप्त अंकों के संदर्भ में अपनी सापेक्ष योग्यता का आकलन करने वाले छात्रों को प्रवेश देना पूरी तरह से अन्यायपूर्ण होगा, न कि उसी योग्यता परीक्षा में जहां निर्णय लेने का मानक यथोचित रूप से समान होगा, बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों या विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित विभिन्न योग्यता परीक्षाओं में जहां निर्णय लेने का मानक आवश्यक रूप से भिन्न होगा और समान नहीं होगा।यह संविधान के अनुच्छेद 14 में निहित समानता की अवधारणा का स्पष्ट रूप से उल्लंघन होगा।"

ग

डी.

इसके अलावा, पीठ ने ए. आई. क्यू. के लिए सीटों के सीमांकन को भी स्पष्ट किया। यह देखा गया कि एआईक्यू के लिए कुल सीटों में से 30 प्रतिशत का सीमांकन नहीं किया गया था। बल्कि, आरक्षण द्वारा भरी गई सीटों को काटने के बाद, शेष 30

प्रतिशत सीटें ए. आई. क्यू. के लिए आरक्षित हैं। उदाहरण के लिए, यदि 100 सीटें उपलब्ध हैं, जिनमें से 30 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं (यानी 30 सीटें), तो शेष सीटों में से 30 प्रतिशत (यानी शेष 70 सीटों में से 21) को ए. आई. क्यू. द्वारा भरा जाना चाहिए। यह देखा गयाः

ई.

"5. हम एक गलतफहमी को भी दूर करना चाहते हैं जो 22 जून, 1984 के हमारे फैसले के सही मायने के संबंध में कुछ राज्य सरकारों और विश्वविद्यालयों के साथ प्रबल प्रतीत होती है।उन्होंने हमारे फैसले की गलत व्याख्या करते हुए कहा कि मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए उपलब्ध कुल सीटों में से 30 प्रतिशत को निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण से मुक्त रखा जाना चाहिए।यह हमारे निर्णय का पूरी तरह से गलत अध्ययन है।हमने अपने फैसले में जो कहा है, वह यह है कि वैध रूप से आरक्षण का प्रावधान करने के बाद, गैर-आरक्षित श्रेणियों के लिए जो भी सीटें उपलब्ध रहती हैं, उनमें से कम से कम 30 प्रतिशत सीटों को खुली प्रतिस्पर्धा के लिए मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए और ऐसी 30 प्रतिशत खुली सीटों में प्रवेश निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए, बल्कि ऐसे छात्रों के लिए होना चाहिए।

च

जी.

एच.

642

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

पूरे देश में ऐसी 30 प्रतिशत खुली सीटों पर प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए।उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि एक कट्टरपंथी कॉलेज या विश्वविद्यालय में 100 सीटें हैं और 30 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए वैध रूप से आरक्षित हैं।इससे गैर-आरक्षित श्रेणियों से संबंधित अन्य लोगों के लिए 70 सीटें उपलब्ध होंगी।हमारे निर्णय के अनुसार, 70 सीटों में से 30 प्रतिशत, यानी 70 में से 21 सीटें और कुल 100 सीटों में से 30 प्रतिशत नहीं, यानी 30 सीटें, निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता की परवाह किए बिना खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा भरी जानी चाहिए।"

37. दिनेश कुमार (आई) (उपरोक्त) में पीठ द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार, भारतीय चिकित्सा परिषद ने यूजी और पीजी में ए. आई. क्यू. सीटों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय चिकित्सा प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए एक योजना तैयार की। हालांकि, योजना के कार्यान्वयन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हुईं।इस न्यायालय ने इन खामियों को दूर करना आवश्यक समझा और 16 सितंबर 1985 के एक आदेश द्वारा भारत सरकार को स्वास्थ्य मंत्रालय में मेडिकल कॉलेजों के डीन, भारतीय चिकित्सा परिषद और भारतीय दंत चिकित्सा परिषद के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाने का निर्देश दिया।एक संशोधित योजना तैयार की गई और अनुमोदन के लिए इस न्यायालय को प्रस्तुत की गई।विभिन्न राज्य सरकारों ने दो-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष संशोधित योजना पर आपत्ति जताई।

ग

डी.

दिनेश कुमार **(**द्वितीय**)** बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज **55.**राज्य

ई.

तमिलनाडु सरकार ने कहा कि चूंकि विभिन्न राज्यों में आरक्षण का कुल प्रतिशत भिन्न होता है, यदि एआईक्यू सीटों की गणना उन सीटों को घटाने के बाद की जाती है जिनमें आरक्षण वैध रूप से किया जाता है, तो राज्य में एक मेडिकल कॉलेज में कुल एआईक्यू सीटें राज्य में आरक्षण के प्रतिशत के विपरीत आनुपातिक होंगी।इस न्यायालय ने इस निवेदन को संबोधित किया और कहा कि तब राज्य सरकारों के लिए यह खुला रहेगा कि वे राज्य में आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाकर ए. आई. क्यू. में उपलब्ध सीटों की संख्या को कम करें।इसलिए, इस न्यायालय ने प्रदीप जैन (ऊपर) में अपनाए गए सीट मैट्रिक्स के सूत्र को बदल दिया और दिनेश कुमार (I) (ऊपर) में स्पष्ट किया।इस न्यायालय ने कहा कि यूजी के लिए, प्रत्येक मेडिकल कॉलेज या संस्थान में कुल सीटों का 15 प्रतिशत एआईक्यू (केंद्र सरकार की संशोधित योजना के अनुसार) के लिए सीमांकित किया जाएगा, बिना किसी वैध आरक्षण को ध्यान में रखे।पीजी के लिए, यह माना गया था कि वैध रूप से किए गए आरक्षण को ध्यान में रखे बिना, कुल सीटों का 25 प्रतिशत एआईक्यू के लिए आरक्षित किया जाएगा।यह देखा गयाः

च

जी.

55 1986 (3) एससीसी 727 ए

एच.

643

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

“5. [...] इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि प्रत्येक राज्य में, वैध रूप से किए गए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए 30 प्रतिशत सीटें उपलब्ध कराई जाती हैं, तो अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या उस राज्य में वैध रूप से किए गए आरक्षण के प्रतिशत के विपरीत होगी।यदि आरक्षण का प्रतिशत तमिलनाडु राज्य या कर्नाटक राज्य की तरह अधिक है, तो अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या उस राज्य की तुलना में अपेक्षाकृत कम होगी जहां आरक्षण का प्रतिशत कम है।इस प्रकार अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए सीटें उपलब्ध कराने के मामले में पूरी तरह से असमानता होगी।यह राज्य सरकार के लिए खुला होगा कि वह अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर आरक्षित श्रेणियों की संख्या बढ़ाकर या आरक्षण के प्रतिशत को बढ़ाकर प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या को कम करे।इसलिए हम भारत सरकार से सहमत हैं कि अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या निर्धारित करने के लिए 22 जून, 1984 (डॉ. प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, (1984) 3 एस. सी. सी. 654) के अपने मुख्य निर्णय में हमारे द्वारा अपनाए गए सूत्र को बदला जाना चाहिए।हम भारत सरकार द्वारा योजना में दिए गए सुझाव के अनुसार निर्देश देंगे कि प्रत्येक चिकित्सा में कुल सीटों की संख्या का 15 प्रतिशत से कम न हो।

ग

डी.

ई.

वैध रूप से किए गए किसी भी आरक्षण को ध्यान में रखे बिना कॉलेज या संस्थान को अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरा जाएगा।यह नया सूत्र हमारे

च

एक राज्य में छात्रों को दूसरे राज्य के छात्रों की तुलना में लाभप्रद या नुकसानदेह स्थिति में रखे बिना एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश में निष्पक्ष और न्यायपूर्ण और अवसर की वास्तविक समानता लाता है।यही सूत्र स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में भी लागू होना चाहिए और वैध रूप से किए गए आरक्षण को ध्यान में रखते हुए अखिल भारतीय आधार पर 50 प्रतिशत खुली सीटों पर प्रवेश के लिए उपलब्ध कराने के बजाय, हम निर्देश देंगे कि किसी भी आरक्षण को ध्यान में रखे

बिना कुल सीटों की संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।यह सुझाव

जी.

एच.

644

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

भारत सरकार स्वीकार किए जाने की हकदार है और इस पर आपत्ति को खारिज किया जाना चाहिए।"

(जोर दिया गया**)**

दिनेश कुमार (आई) (उपरोक्त) में जारी स्पष्टीकरण के विपरीत, जहां अनुच्छेद 15 के तहत पिछड़े वर्गों के लिए किए गए आरक्षण के बाद उपलब्ध कुल सीटों के खिलाफ निवास के आधार पर आरक्षण था, दिनेश कुमार (II) आरक्षित सीटों को हटाए बिना उपलब्ध कुल सीटों के खिलाफ निवास के आधार पर आरक्षण लागू करते हैं।38. राजेश्वरन (ऊपर) में, प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें भारत संघ को एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों के लिए अलग रखी गई ए. आई. क्यू. सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्देश देने की मांग की गई।मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया कहा कि इस न्यायालय द्वारा ए. आई. क्यू. सीटों में अनुच्छेद 15 के तहत आरक्षण लागू नहीं करने का कोई विशिष्ट आदेश नहीं था।यह भी देखा गया कि ए. आई. क्यू. सीटों का सीमांकन केवल निवास के आधार पर आरक्षण को दूर करने के लिए किया गया था।मद्रास उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को ए. आई. क्यू. सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 15 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्देश देने वाली रिट याचिका को स्वीकार कर लिया।भारत संघ ने मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील दायर की।इस न्यायालय ने दिनेश कुमार (द्वितीय) (उपर्युक्त) मामले में निर्णय का उल्लेख करते हुए अपील में कहा कि चूंकि इस न्यायालय ने योजना का निपटारा कर दिया है, इसलिए यह निर्धारित करना उचित नहीं होगा कि एससी और एसटी श्रेणियों के उम्मीदवार एआईक्यू सीटों में आरक्षण के हकदार हैं या नहीं क्योंकिः(i) प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अलग-अलग श्रेणियां होंगी, और केंद्रीय सूची भी अलग-अलग होगी जिससे सीटों को समायोजित करना मुश्किल हो जाएगा; और (ii) राज्य वैसे भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए उनके लिए सीमांकित 85 प्रतिशत सीटों में आरक्षण प्रदान करते हैं। यह देखा गयाः

ग

डी.

ई.

च

“7. स्नातक पाठ्यक्रम के संबंध में, योजना इस तरह से काम करती है।यदि किसी राज्य में कुल 100 सीटें हैं और उस राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजातियों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं, तो राज्य अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए 15 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 10 प्रतिशत सीटें भरेगा, शेष 75 सीटों में से 60 सीटें राज्य सरकार द्वारा अनारक्षित के रूप में भरी जाएंगी और 15 सीटें अखिल भारतीय कोटे के लिए निर्धारित की जाएंगी।

जी.

8. चूंकि इस न्यायालय द्वारा बनाई गई योजना के तहत 15 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा निर्धारित किया गया है और वह योजना ही उस तरीके का प्रावधान करती है जिसमें इसे तैयार किया जाना चाहिए, हम ए नहीं करते हैं।

एच.

645

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

सोचिए, यह पता लगाने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता के पद पर कोई व्यक्ति मांगे गए तरीके से याचिका दायर करने का हकदार होगा, उक्त प्रावधानों से बाहर जाना उचित होगा क्योंकि प्रत्येक राज्य अपने पास उपलब्ध 85 प्रतिशत सीटों के संबंध में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए आरक्षण का भी प्रावधान कर सकता है।यदि हम इस निर्धारित कोटा में हस्तक्षेप करते हैं, तो हमें असंख्य और दुर्गम कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।प्रत्येक राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की अलग-अलग श्रेणियां होंगी और केंद्र सरकार की एक अलग श्रेणी हो सकती है और इसलिए सीटों का समायोजन करना मुश्किल हो जाएगा।अखिल भारतीय आधार पर 15 प्रतिशत आरक्षण तय करने का निर्देश आरक्षण पर ध्यान देता है और इसलिए उच्च न्यायालय को आगे कोई निर्देश देने की आवश्यकता नहीं है।"

ग

39. सौरभ चौधरी (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय की एक संविधान पीठ ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अधिवास और संस्थागत वरीयता के आधार पर आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर निर्णय लिया।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि प्रदीप जैन (उपरोक्त) में निर्धारित अनुपात से अलग होने का कोई कारण नहीं है कि संस्थागत वरीयता और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में निवास के आधार पर आरक्षण संवैधानिक रूप से मान्य है।प्रदीप जैन (ऊपर) के अनुपात को संदर्भित किया गया था और न्यायालय ने कहाः

डी.

“70. इसलिए हम डॉ. प्रदीप जैन के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात से अलग होने का कोई कारण नहीं पाते हैं।हमारे निष्कर्ष का तार्किक परिणाम यह है कि संस्थागत वरीयता के माध्यम से आरक्षण को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन नहीं माना जाना चाहिए।"

ई.

संविधान पीठ ने एआईक्यू सीटों का कुल प्रतिशत 25 प्रतिशत (जैसा कि दिनेश (द्वितीय) (उपरोक्त) में आयोजित किया गया था) से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया, यह तर्क देते हुए कि स्थिति में काफी हद तक सुधार हुआ है और देश ने समय के साथ कई पीजी डॉक्टर पैदा किए हैं।

च

40. बुद्धि प्रकाश शर्मा बनाम भारत संघ **56** में**,** रिट

जी.

याचिकाकर्ताओं ने 7 दिसंबर 2004 को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 57 द्वारा जारी किए गए संचार को चुनौती दी, जिसमें राज्यों को निम्नलिखित के तहत स्नातकोत्तर चिकित्सा सीटों की कुल संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

56 (2005) 13 एस. सी. सी 61

एच.

57 “ डीजीएचएस "

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षित सीटों को छोड़कर 50 प्रतिशत ए. आई. क्यू. सीटें।21 फरवरी 2005 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने राज्यों को बिना किसी बहिष्कार के स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में कुल सीटों की संख्या प्रदान करने का निर्देश दिया।इस न्यायालय ने कहा कि डी. जी. एच. एस. को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण लागू करने के बाद ए. आई. क्यू. सीटों की पहचान करके सीट वितरण के आधार को बदलने की अनुमति नहीं थी।इस न्यायालय ने कहा कि ए. आई. क्यू. में कुल सीटें बिना किसी बहिष्कार के उपलब्ध सीटों की कुल संख्या का 50 प्रतिशत होंगी।यह देखा गयाः

"3. [...] यह कोई विवाद नहीं है कि जब तक अखिल भारतीय सीटों का कोटा 25 प्रतिशत था, तब तक स्नातकोत्तर सीटों की संख्या बिना किसी बहिष्कार के कुल सीटों के आधार पर निर्धारित की गई थी।यह इसलिए है क्योंकि दिनांकित 7-12-2004 पत्र में आरक्षित सीटों को छोड़कर अखिल भारतीय कोटे के लगभग 50 प्रतिशत की जानकारी की आवश्यकता होती है, जिससे यह गड़बड़ हो जाती है

ग

बनाया गया है।किसी ने भी डी. जी. एच. एस. को आधार बदलने की अनुमति नहीं दी

इस साल।संचार का परिणाम यह है कि कई राज्यों में स्नातकोत्तर सीटों की कुल संख्या उस समय की तुलना में कम हो गई है जब अखिल भारतीय प्रतिशत लगभग दोगुना होने के बजाय 25 प्रतिशत था क्योंकि इस न्यायालय का निर्देश था कि इस शैक्षणिक वर्ष से यह संख्या 50 प्रतिशत हो जाएगी।

डी.

4. हमारे सामने रखी गई सामग्री से यह स्पष्ट है कि कुछ राज्यों ने डी. जी. एच. एस. को आवश्यक जानकारी नहीं दी है।

ई.

हम निर्देश देते हैं कि अखिल भारतीय आधार पर स्नातकोत्तर सीटों की कुल संख्या बिना किसी बहिष्कार के कुल सीटों की संख्या का **50** प्रतिशत होगी और सीटों की गणना उसी आधार पर की जाएगी जिसे अखिल भारतीय स्तर पर अपनाया गया था।

कोटा 25 प्रतिशत था।जिन राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों ने इस आधार पर डी. जी. एच. एस. को आवश्यक जानकारी प्रदान नहीं की है, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे आई. डी. 1 पर शाम 5 बजे तक इसकी आपूर्ति करें और इस न्यायालय में अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करें।जानकारी प्रदान करने में विफलता को संबंधित मुख्य सचिवों द्वारा इस न्यायालय के निर्देश के उल्लंघन के रूप में गंभीरता से देखा जाएगा।पहले से घोषित तिथियों पर परामर्श शुरू हो जाएगा क्योंकि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि सीटों की उपलब्धता के बारे में पूरी जानकारी सभी संबंधितों द्वारा डी. जी. एच. एस. को दी जाएगी।

च

जी.

(जोर दिया गया**)**

एच.

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

41. जयकुमार (उपरोक्त) में, यूजी मेडिकल पाठ्यक्रम में 15 प्रतिशत ए. आई. क्यू. सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की मांग करने वाली एक जनहित याचिका 58 में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ इस अदालत में एक अपील दायर की गई थी।मद्रास उच्च न्यायालय ने यह देखते हुए जनहित याचिका का निपटारा किया कि आरक्षण एक संवैधानिक जनादेश है और सरकार भविष्य में ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण लागू कर सकती है।इस न्यायालय ने राजेश्वरन (ऊपर) में निर्णय के संदर्भ में अपील को स्वीकार कर लिया, जहां यह अभिनिर्धारित किया गया था कि ए. आई. क्यू. सीटों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।यह देखा गयाः

"6. हमारी सुविचारित राय में, आर. राजेश्वरन में इस न्यायालय के निर्णय में इस प्रश्न पर सीधे विचार किया गया है, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, और यह संकेत दिया गया है कि यदि आरक्षण के प्रावधान अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली सीटों पर लागू किए जाते हैं तो यह कितना असंगत होगा।आर. राजेश्वरन के साथ-साथ डॉ. दिनेश कुमार के मामले में इस न्यायालय के फैसले के बाद हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में पूरी तरह से गलती की थी कि आरक्षण की आवश्यकता अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरी जाने वाली सीटों पर भी लागू होनी चाहिए।"

ग

डी.

42. अभय नाथ (ऊपर) में भारत संघ ने स्पष्टीकरण मांगा

बुद्धि प्रकाश शर्मा (ऊपर) में पारित आदेश जिसमें यह था

ई.

यह अभिनिर्धारित किया गया कि ए. आई. क्यू. सीटों के लिए 50 प्रतिशत सीटों में आरक्षण शामिल नहीं होगा।तीन न्यायाधीशों की पीठ ने आदेश की समीक्षा की और कहा कि ए. आई. क्यू. में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षण हो सकता है। इस न्यायालय का आदेश इस प्रकार थाः

"1. यह न्यायालय प्रदीप जैन (डॉ.) बनाम भारत संघ [(1984) में है।

3 एस. सी. सी. 654] ने निर्देश दिया कि भारत के विभिन्न कॉलेजों द्वारा भरी जाने वाली स्नातकोत्तर सीटों में से 50 प्रतिशत सीटों को अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा।यह निर्देश दिया गया कि कुल सीटों में से 50 प्रतिशत खाली सीटों को अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा द्वारा भरा जाएगा।

च

2. इसके बाद दिनेश कुमार (डॉ.) बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल मामले में

जी.

कॉलेज [(1985) 3 एस. सी. सी. 22], यह समझाया गया थाः(एस. सी. सी. पृष्ठ 28, पैरा 5) "5. ... यह हमारे फैसले का पूरी तरह से गलत अध्ययन है।हमने अपने निर्णय में जो कहा है वह यह है कि

58 "पी. आई. एल "

एच.

वैध रूप से किया गया आरक्षण, गैर-आरक्षित श्रेणियों के लिए जो भी सीटें उपलब्ध रहती हैं, उनमें से कम से कम 30 प्रतिशत सीटों को खुली प्रतिस्पर्धा के लिए मुक्त छोड़ दिया जाना चाहिए और ऐसी 30 प्रतिशत खुली सीटों में प्रवेश निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता के आधार पर नहीं होना चाहिए, लेकिन देश भर के छात्रों को ऐसी 30 प्रतिशत खुली सीटों पर प्रवेश के लिए प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होना चाहिए।उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि किसी मेडिकल कॉलेज या विश्वविद्यालय में 100 सीटें हैं और 30 प्रतिशत सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए वैध रूप से आरक्षित हैं।इससे गैर-आरक्षित श्रेणियों से संबंधित अन्य लोगों के लिए 70 सीटें उपलब्ध होंगी।हमारे निर्णय के अनुसार, 70 प्रतिशत सीटों में से 30 प्रतिशत, यानी 70 में से 21 सीटें और कुल 100 सीटों में से 30 प्रतिशत नहीं, यानी 30 सीटें, निवास की आवश्यकता या संस्थागत वरीयता की परवाह किए बिना खुली प्रतिस्पर्धा द्वारा भरी जानी चाहिए।"

ग

3. और दिनेश कुमार (डॉ.) (II) बनाम मोतीलाल नेहरू मेडिकल में

कॉलेज [(1986) 3 एस. सी. सी. 727], यह स्पष्ट किया गया थाः(एस. सी. सी. पी. 733, पैरा 5)

डी.

“5. ... कि किसी भी आरक्षण को ध्यान में रखे बिना कुल सीटों की संख्या का कम से कम 25 प्रतिशत अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के आधार पर भरने के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।भारत सरकार के इस सुझाव को स्वीकार किया जाना चाहिए और इस पर आपत्ति को खारिज किया जाना चाहिए।"

ई.

4. सौरभ चौधरी बनाम भारत संघ [(2003) 11 एस. सी. सी.

146] अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में सीटों का प्रतिशत बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया गया।

5. इस न्यायालय में बुद्धि प्रकाश शर्मा बनाम भारत संघ [(2005) 13 एस. सी. सी. 61] में एक और रिट याचिका दायर की गई थी।इस रिट याचिका में इस न्यायालय द्वारा 28-2-2005 [(2005) 13 SCC 61] पर एक आदेश पारित किया गया था जिसमें कहा गया था कि अखिल भारतीय आधार पर स्नातकोत्तर सीटों की कुल संख्या को बिना किसी बहिष्कार के कुल सीटों की संख्या के 50 प्रतिशत के आधार पर तैयार किया जाएगा।आदेश में संकेत दिया गया है कि आवंटित 50 प्रतिशत में से अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा द्वारा प्रवेश दिया जाना है और यह स्पष्ट किया गया है कि आरक्षण में कोई भी सीट बाहर नहीं रखी जाएगी।

च

जी.

6. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि 50 प्रतिशत सीटों के अखिल भारतीय कोटे में, यदि 22.5% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आरक्षित है, तो राज्य के लिए पूरे A को देना मुश्किल होगा।

एच.

649

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

उनके लिए छोड़ी गई 50 प्रतिशत सीटों में से आरक्षण का प्रतिशत।डी. जी. एच. एस. के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा में प्रवेश के लिए आवंटित 50 प्रतिशत सीटों में से संपूर्ण 22.5% आरक्षण होना भी उतना ही कठिन है।इसलिए, यह सुझाव दिया

जाता है कि भारत संघ ने शैक्षणिक वर्ष 2007-2008 के बाद से अखिल भारतीय कोटे में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए 22.5% आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया है।

7. भारत संघ ने पारित आदेश का स्पष्टीकरण मांगा है

बुद्धि प्रकाश शर्मा बनाम भारत संघ [(2005) 13 एस. सी. सी.

61] 1 पर पारित किया गया, इस प्रभाव से कि अखिल भारतीय कोटे के लिए 50 प्रतिशत सीटें आरक्षण को बाहर कर देंगी। हम उस आदेश की समीक्षा करते हैं।

ग

और यह स्पष्ट करें कि अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली **50** प्रतिशत सीटों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए प्रदान किया जाने वाला आरक्षण शामिल होगा।उस हद तक **28-2-2005 [(2005) 13 SCC 61]** पर पारित आदेश को स्पष्ट किया गया है।

डी.

(जोर दिया गया**) 43**।गुलशन प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य **59** में**,** एक रिट याचिका

महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय, रोहतक, हरियाणा द्वारा शैक्षणिक सत्र 2007-2008 के लिए जारी विवरण-पत्र को इस हद तक रद्द करने की मांग करते हुए दायर किया गया था कि इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीटों का कोई आरक्षण प्रदान नहीं किया गया था।याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि अभय नाथ (उपरोक्त) मामले में इस अदालत ने निर्देश दिया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आरक्षण प्रदान किया जाए।हालांकि, गुलशन प्रकाश (ऊपर) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि अभय नाथ (ऊपर) के निर्देश केवल ए. आई. क्यू. सीटों पर लागू होंगे और इसका पीजी पाठ्यक्रम के लिए राज्य कोटे में प्रवेश पर कोई असर नहीं पड़ेगा।यह भी स्पष्ट किया गया कि यदि हरियाणा राज्य ने राज्य कोटे में सीटों के लिए स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आरक्षण प्रदान नहीं करने का निर्णय लिया है, तो यह न्यायालय राज्य को इस तरह का आरक्षण प्रदान करने का निर्देश नहीं दे सकता है।यह देखा गयाः

ई.

च

“29. चूंकि हरियाणा सरकार ने स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए कोई आरक्षण निर्धारित नहीं किया है, न तो विश्वविद्यालय और न ही किसी अन्य प्राधिकरण को विवरण पत्रिका को मंजूरी देने और प्रकाशित करने के लिए दोषी ठहराया जा सकता है जिसमें स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए आरक्षण शामिल नहीं है।अभय में इस न्यायालय का स्पष्टीकरणात्मक आदेश

जी.

59 (2010) 1 एस. सी. सी. 477

एच.

650

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

नाथ [(2009) 17 एस. सी. सी. 705] केंद्र सरकार द्वारा प्रबंधित/संचालित संस्थानों के लिए लागू है और जब तक राज्य सरकार एम. डी./एम. एस./पी. जी. डिप्लोमा और एम. डी. एस. पाठ्यक्रमों में आरक्षण देने के लिए कोई निर्णय नहीं लेती है,

तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता है।चूंकि राज्य सरकार किसी विशेष वर्ग या श्रेणी के लिए आरक्षण देने में सक्षम है, जब तक कि यह राज्य द्वारा एक नीतिगत मामले के रूप में तय नहीं किया जाता है, तब तक स्नातकोत्तर स्तर पर आरक्षण प्रदान करने का कोई निर्देश नहीं हो सकता है।हरियाणा राज्य ने स्पष्ट किया है कि स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में आरक्षण उनकी नीति के अनुसार सख्ती से प्रदान किया जा रहा है।चिकित्सा शिक्षा में स्नातकोत्तर डिग्री/डिप्लोमा चिकित्सा परिषद द्वारा नियंत्रित किया जाता है।यहां तक कि भारतीय चिकित्सा परिषद ने भी स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए प्रवेश में आरक्षण नीति के नियम का सख्ती से पालन नहीं किया है।"44. यूजी और पीजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में ए. आई. क्यू. के विकास का पता लगाने के बाद, हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देते हैंः(i) क्या प्रदीप जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया है कि अखिल भारतीय स्तर पर एक खुली परीक्षा द्वारा भरी जाने वाली ए. आई. क्यू. सीटें सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुच्छेद 15 (4) द्वारा सक्षम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण से मुक्त होनी चाहिए; और (ii) क्या ए. आई. क्यू. में आरक्षण केवल इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार प्रदान किया जा सकता है।

ग

डी.

45. यह न्यायालय प्रदीप जैन (उपरोक्त) मामले में अधिवास/निवास के आधार पर आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर निर्णय ले रहा था।यह अभिनिर्धारित करने के बाद कि निवास-आधारित आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है, अगला प्रश्न जिसे इस न्यायालय को सौंपा गया था, वह निवास-आधारित आरक्षण की मात्रा का निर्णय करना था जिसकी अनुमति दी जा सकती थी। जगदीश सरन बनाम भारत संघ 60 में इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया था कि थोक आरक्षण (यानी 100 प्रतिशत आरक्षण) नहीं हो सकता है।यह देखा गया कि एक निश्चित प्रतिशत सीटों को निवास के आधार पर आरक्षण के बिना अखिल भारतीय परीक्षा द्वारा खुली योग्यता से भरा जाना चाहिए।चिकित्सा शिक्षा समीक्षा समिति ने सुझाव दिया था कि एक चिकित्सा महाविद्यालय में 75 प्रतिशत सीटें राज्य के निवासियों के लिए आरक्षित की जाएंगी।इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य के निवासियों के लिए 70 प्रतिशत सीटें आरक्षित करना उचित होगा।इसलिए, 30 प्रतिशत सीटें अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से भरी जानी थीं।इसका मतलब यह होगा कि देश भर के उम्मीदवार राज्य द्वारा संचालित मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध 30 प्रतिशत सीटों के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।में

ई.

च

जी.

60 1980 एयर 820 ए

एच.

651

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

इस संदर्भ में, इस न्यायालय ने कहा था, "इस तरह के आरक्षण को वैध रूप से किए गए अन्य प्रकार के आरक्षण को ध्यान में रखते हुए किसी भी स्थिति में खुली सीटों की कुल संख्या के 70 प्रतिशत की बाहरी सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए" (पैराग्राफ 21)।पीठ ने आगे कहा कि "कम से कम 30 प्रतिशत खुली सीटें अखिल भारतीय आधार पर छात्रों के प्रवेश के लिए उपलब्ध होंगी, चाहे वे किसी भी राज्य या विश्वविद्यालय से आए हों और ऐसे प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा या राज्य द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे" (पैराग्राफ 21)।इस न्यायालय की यह टिप्पणी कि ए. आई. क्यू. सीटें विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर भरी जानी चाहिए, की व्याख्या इस अर्थ में नहीं की जा सकती है कि ए. आई. क्यू. सीटों में कोई आरक्षण नहीं होगा।जैसा कि इस निर्णय की धारा डी. 1 में उल्लेख किया गया है, योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए और इसके वितरण परिणामों के अनुसार पुनर्संकल्पित किया जाना चाहिए जहां यह संविधान के अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) के संदर्भ में पर्याप्त समानता को आगे बढ़ाता है।निर्णय के

पैराग्राफ 21 में योग्यता के संदर्भ को निर्णय में की गई पिछली टिप्पणियों के साथ पढ़ा जाना चाहिए।इस न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे की पहचान करते हुए, न्यायमूर्ति पी. एन. भगवती ने तीन न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए निम्नलिखित प्रश्न तैयार किया:

ग

डी.

"1. [...] सवाल यह है कि क्या संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप, किसी राज्य में स्थित मेडिकल कॉलेज या उच्च शिक्षा के किसी अन्य संस्थान में प्रवेश केवल उन लोगों तक सीमित किया जा सकता है जिनके पास राज्य के भीतर "अधिवास" है या जो एक निर्दिष्ट संख्या में वर्षों के लिए राज्य के भीतर निवासी हैं या उनके लिए प्रवेश में कोई आरक्षण किया जा सकता है ताकि उन्हें उन लोगों पर वरीयता दी जा सके जिनके पास "अधिवास" या आवासीय योग्यता नहीं है।

ई.

राज्य के भीतर, योग्यता की परवाह किए बिना।"

(जोर दिया गया**)**

च

46. अधिवास-आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर चर्चा करते हुए, यह देखा गया कि अखिल भारतीय खुली परीक्षा के आधार पर प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन से योग्यता बढ़ेगी क्योंकि यह 'देश में सर्वश्रेष्ठ दिमाग' के चयन की अनुमति देगा।इस संदर्भ में, यह देखा गया कि योग्यता-आधारित चयन के सिद्धांत से विचलन को उचित ठहराने में इस न्यायालय के साथ वजन करने वाले दावे हैं:(i) राज्य हित का दावा, जहां छात्रों से उनके निवास स्थान को देखते हुए बसने और अपने राज्य की सेवा करने की उम्मीद की जाती है; और (ii) क्षेत्रों के पिछड़ेपन का दावा (पैराग्राफ 16)।इसके अलावा, यह देखा गया कि हालांकि सैद्धांतिक रूप से, मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश एक अखिल भारतीय परीक्षा पर आधारित होना चाहिए क्योंकि यह आगे योग्यता प्रदान करेगा और प्रदान करेगा।

जी.

एच.

देश भर में उम्मीदवारों के लिए अवसर की समानता, विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक विकास के विभिन्न स्तरों को ध्यान में रखते हुए, तथ्यात्मक समानता प्राप्त नहीं की जाएगी।इसलिए, फैसले के पैराग्राफ 21 में यह कहा गया है कि ए. आई. क्यू. सीटें विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय परीक्षा के माध्यम से दाखिल की जाएंगी, इसकी व्याख्या केवल निवास-आधारित आरक्षण और चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय परीक्षा की आवश्यकता पर की गई चर्चा के संदर्भ में की जानी चाहिए।इसलिए 'योग्यता' के संदर्भों को योग्यता और निवास आरक्षण के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए।यह निर्णय के पैराग्राफ 21 में दिए गए अवलोकन से और स्पष्ट होता है, जहां यह कहा गया है कि

यह देखा गया कि "कम से कम 30 प्रतिशत खुली सीटें अखिल भारतीय आधार पर छात्रों के प्रवेश के लिए उपलब्ध होंगी, चाहे वे किसी भी राज्य या विश्वविद्यालय से आए हों और ऐसे प्रवेश विशुद्ध रूप से योग्यता के आधार पर अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा या विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा के आधार पर दिए जाएंगे।

ग

राज्य '।पीठ ने सोचा कि यह उचित है कि अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा के माध्यम से प्रवेश से आगे योग्यता बढ़ेगी, जिससे पूरे देश में सर्वश्रेष्ठ मस्तिष्क चिकित्सा का अध्ययन करने में सक्षम होंगे।नीचे दी गई पीठ की टिप्पणियाँ भी उस व्याख्या की सहायता करती हैं जिस पर हम पहुंचे हैं:"10. देश भर में शिक्षा और उन्नति के लिए अवसर की समानता के माध्यम से सार्वभौमिक उत्कृष्टता का दर्शन और व्यावहारिकता हमारे संस्थापक विश्वास और संवैधानिक पंथ का हिस्सा है।इसलिए, देश के सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करके तकनीकी संस्थानों और मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी छात्रों का चयन करने का प्रयास हमेशा होना चाहिए और किसी भी नागरिक को वैध रूप से, राष्ट्र की एकता और अखंडता को गंभीर नुकसान पहुंचाए बिना, हमारे संवैधानिक ढांचे में एक बाहरी व्यक्ति के रूप में नहीं माना जा सकता है।इसके अलावा, मेडिकल कॉलेजों या विशेषज्ञता में शिक्षा देने वाले अन्य संस्थानों में प्रवेश देना राष्ट्रीय हित के खिलाफ होगा, कम मेधावी छात्रों को जब अधिक मेधावी छात्र उपलब्ध हों, केवल इसलिए कि पहले वाले राज्य में एक निश्चित संख्या के लिए स्थायी निवासी या निवासी हैं, जबकि बाद वाले नहीं हैं, हालांकि दोनों श्रेणियां भारत के नागरिक हैं।इस आधार पर कि वे राज्य के भीतर निवासी नहीं हैं, अधिक मेधावी छात्रों को बाहर करने से घटिया उम्मीदवारों को बढ़ावा मिलने की संभावना होगी और चिकित्सा क्षमता में गिरावट आएगी, जो लंबे समय में इस क्षेत्र के लिए हानिकारक होगी।"सीमा पर प्रतिभा के थोक बलिदान द्वारा लोगों पर क्वाक्स और मेडिकल मिडगेट्स डालना कोई आशीर्वाद नहीं है।न ही ए कर सकता है

डी.

ई.

च

जी.

एच.

653

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

सर्वश्रेष्ठ को प्रवेश से अस्वीकार कर दिया जाए क्योंकि यह एक राष्ट्रीय नुकसान होगा और किसी भी क्षेत्र के हित राष्ट्र के हितों से अधिक नहीं हो सकते हैं।" इसलिए, चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों के चयन में प्राथमिक विचार योग्यता होना चाहिए।मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश को विनियमित करने के लिए बनाए जाने वाले किसी भी नियम का उद्देश्य सर्वश्रेष्ठ और सबसे मेधावी छात्रों को सुरक्षित करना होना चाहिए।"

47. इस पहलू को दिनेश कुमार (आई) मामले में पीठ द्वारा और स्पष्ट किया गया, जहां इस न्यायालय ने कहा कि केंद्र सरकार और भारतीय चिकित्सा परिषद ने ए. आई. क्यू. सीटों में प्रवेश के लिए अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए कोई पहल नहीं की है।विभिन्न राज्यों या/और विश्वविद्यालयों द्वारा आयोजित योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर ए. आई. क्यू. में प्रवेश दिए जाने के सुझाव को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि मूल्यांकन का मानक समान नहीं होगा।इस प्रकार यह स्पष्ट है कि प्रदीप जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय का इरादा केवल देश भर के उम्मीदवारों को देश के अन्य हिस्सों के कॉलेजों में भी चिकित्सा का अध्ययन करने का अवसर प्रदान करना था, क्योंकि विभिन्न राज्यों में चिकित्सा महाविद्यालयों (और अवसरों) की संख्या असमान थी।

ग

डी.

48. पिछड़े वर्गों के आरक्षण का संदर्भ केवल सीट मैट्रिक्स निर्धारित करने के सीमित उद्देश्य के लिए दिया गया था।सीट मैट्रिक्स की गणना पर प्रदीप जैन (ऊपर) में पैराग्राफ 21 में अवलोकन दिनेश कुमार (I) (ऊपर) में स्पष्ट किया गया था।पीठ ने स्पष्ट किया था कि आरक्षण (राज्यों द्वारा प्रदान किए गए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए) वैध

होने के बाद, शेष 30 प्रतिशत सीटें ए. आई. क्यू. के लिए आरक्षित की जाएंगी। सीमांकन का चित्रमय प्रतिनिधित्व निम्नानुसार हैः

ई.

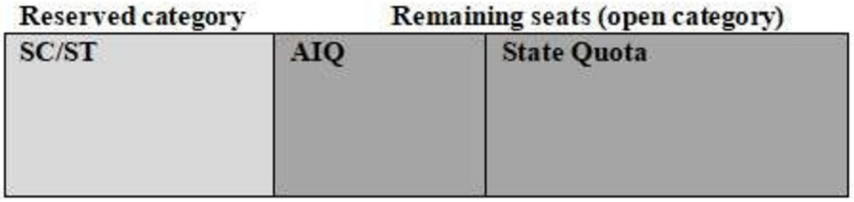

च

जी.

(चित्र **1)**

49. इसलिए, सीटों के सीमांकन पर दिनेश कुमार (आई) (उपरोक्त) में स्पष्टीकरण के अनुसार, पहला विभाजन आरक्षित और गैर-आरक्षित सीटों के बीच होना चाहिए, और खुली श्रेणी में शेष सीटों को राज्य कोटा और ए. आई. क्यू. में विभाजित किया जाना चाहिए। यह इस प्रकार था कि

एच.

तीन गुना ऊर्ध्वाधर आरक्षण, जिसमें आरक्षित श्रेणी को ए. आई. क्यू. या राज्य कोटे के भीतर नहीं माना जा रहा है।सीटों के सीमांकन की इस पद्धति की तार्किक भ्रांति यह है कि विभिन्न राज्य आरक्षण के अलग-अलग प्रतिशत प्रदान करते हैं।इसलिए, अनारक्षित सीटों का कुल प्रतिशत राज्य द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण के प्रतिशत पर विपरीत रूप से निर्भर करेगा।तमिलनाडु राज्य ने दिनेश कुमार (द्वितीय) (ऊपर) में यह आपत्ति उठाई।इसके अनुसार, यह अभिनिर्धारित किया गया कि वैध रूप से किए गए किसी भी आरक्षण को हटाए बिना ए. आई. क्यू. सीटों का निर्धारण किया जाएगा।सीटों को पहले राज्य कोटे और ए. आई. क्यू. में विभाजित किया गया था, और ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण (उदाहरण के लिए, विकलांग व्यक्तियों के लिए) को राज्य कोटे के भीतर समायोजित किया गया था।संशोधित सीट मैट्रिक्स को नीचे चित्रात्मक रूप से दर्शाया गया हैः

ग

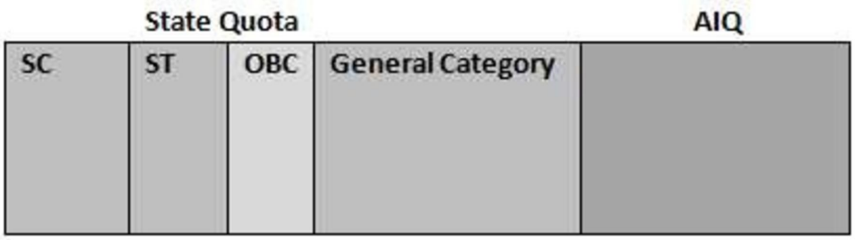

डी.

(चित्र **2)**

50. जब दिनेश कुमार (द्वितीय) (उपरोक्त) मामले में फैसला सुनाया गया था, तब केंद्र सरकार ने एआईक्यू सीटों में आरक्षण प्रदान करने पर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया था।इसके बाद 2009 में केंद्र सरकार ने ए. आई. क्यू. में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का नीतिगत निर्णय लिया था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जयकुमार (ऊपर) और राजेश्वरन (ऊपर) में याचिकाकर्ताओं ने ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करने के लिए इस अदालत से निर्देश की मांग की थी।राजेश्वरन (ऊपर) में, इस न्यायालय ने यह पता लगाने से इनकार कर दिया कि क्या कोई व्यक्ति ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण का हकदार होगा।यह देखा गया कि यदि ए. आई. क्यू. सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाता है, तो इससे सीटों के समायोजन में कठिनाई होगी क्योंकि राज्य और केंद्रीय सूचियां अलग-अलग होंगी।हालाँकि, जब केंद्र सरकार ने अभय नाथ (ऊपर) में इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उसने ए. आई. क्यू. में सीटें आरक्षित करने का निर्णय लिया है, तो यह स्पष्ट किया गया कि इस तरह के आरक्षण के कार्यान्वयन में कोई बाधा नहीं है।

ई.

च

जी.

51. बुद्धि प्रकाश शर्मा (ऊपर) में, स्थापित न्यायशास्त्र से थोड़ा विचलन था।इस न्यायालय ने निर्णय दिया था कि ए. आई. क्यू. में पीजी सीटों की कुल संख्या कुल सीटों ए का 50 प्रतिशत होगी।

एच.

655

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

आरक्षण के लिए किसी भी बहिष्करण के बिना।पीठ ने दिनेश कुमार (द्वितीय) (उपरोक्त) में इस टिप्पणी की व्याख्या की थी कि ए. आई. क्यू. सीटों का निर्धारण आरक्षण को हटाए बिना किया जाएगा (जैसा कि चित्र 1 में दर्शाया गया है) जिसका अर्थ है कि ए. आई. क्यू. में कोई आरक्षण नहीं होगा। इसलिए, चूंकि प्रदीप जैन (ऊपर) ने ए. आई. क्यू. सीटों को आरक्षण से नहीं रोका, इसलिए अभय नाथ (ऊपर) की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने स्पष्ट किया कि स्नातकोत्तर चिकित्सा और दंत चिकित्सा सीटों में ए. आई. क्यू. की 50 प्रतिशत सीटों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण शामिल होगा।

D. 3 ए**.** आई**.** क्यू**.** में आरक्षण लागू करने की कार्यपालिका की शक्ति

सीटें

ग

52. इसके बाद हम याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को संबोधित करते हैं कि केंद्र सरकार को ए. आई. क्यू. में आरक्षण को अधिसूचित करने से पहले इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर करना चाहिए था क्योंकि ए. आई. क्यू. योजना इसी न्यायालय द्वारा बनाई गई है।हम इस तर्क से सहमत नहीं हो सकते।अभय नाथ (उपरोक्त) मामले में केंद्र सरकार ने इस न्यायालय को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ए. आई. क्यू. में आरक्षण प्रदान करने के अपने इरादे के बारे में बताया था, तब से सीट मैट्रिक्स के सीमांकन पर भ्रम को देखते हुए, इस बात पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि ए. आई. क्यू. में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है या नहीं। अभय नाथ (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने स्पष्ट किया कि ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण की अनुमति है।इसलिए, अभय नाथ (ऊपर) में आदेश केवल बुद्धि प्रकाश शर्मा (ऊपर) में पहले की टिप्पणियों को देखते हुए स्पष्टीकरणात्मक था।आदेश की व्याख्या इस अर्थ में करना कि भारत संघ ने आरक्षण प्रदान करने से पहले इस न्यायालय से अनुमति मांगी थी, एक ऐसी व्याख्या में सहायता करने के बराबर होगा जो न्यायिक अतिक्रमण को बढ़ावा देगी।इसलिए, यह तर्क कि केंद्र सरकार को ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों के लिए आरक्षण को अधिसूचित करने से पहले इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए था, गलत है।

डी.

ई.

च

53. अभय नाथ (उपरोक्त) मामले में, केंद्र सरकार ने इस न्यायालय को ए. आई. क्यू. में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के अपने फैसले से अवगत कराया था। इसने तब एक नीतिगत निर्णय के रूप में केवल एससी और एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया था।संसद ने अनुच्छेद 15 (5) में सक्षम प्रावधान को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (प्रवेश में आरक्षण) अधिनियम 2006 लागू किया।धारा 3 में कहा गया है कि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जाति के लिए 15 प्रतिशत, अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण होगा।अशोक में एक संविधान पीठ

जी.

एच.

कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 61 ने 2006 के अधिनियम के तहत ओ. बी. सी. श्रेणी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।यद्यपि 2006 का अधिनियम राज्य द्वारा संचालित संस्थानों में ए. आई. क्यू. के लिए निर्धारित सीटों पर लागू नहीं होगा क्योंकि यह अधिनियम के तहत केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा, अनुच्छेद 15 (5) को देखते हुए भारत संघ के पास ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. के लिए आरक्षण प्रदान करने की शक्ति है।ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करना राज्यों के लिए उचित नहीं है क्योंकि इन सीटों को केंद्र को सौंप दिया गया है।यह दिनेश कुमार (द्वितीय) (उपरोक्त) में उजागर विसंगति को भी जन्म देगा क्योंकि विभिन्न राज्यों द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण का प्रतिशत अलग-अलग है, जिससे विभिन्न राज्यों में ए. आई. क्यू. में उपलब्ध सीटों का असमान प्रतिशत होगा।यह इस तथ्य के साथ भी जुड़ा हुआ है कि एससी, एसटी और ओ. बी. सी. सूचियाँ सभी राज्यों में समान नहीं हैं।इस प्रकार, ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण लागू करना केंद्र सरकार का विशेषाधिकार है।

ग

D. 4 खेल के नियमों को बदलना

डी.

54. 18 अप्रैल 2021 को परीक्षा के लिए पंजीकरण बंद होने के बाद ए. आई. क्यू. में ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला विवादित नोटिस 29 जुलाई 2021 को जारी किया गया था।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि परीक्षा के नियमों को पंजीकरण की अंतिम तिथि से पहले ही बदला जा सकता था।याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि एक विशेष सीट मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए परीक्षा के लिए पंजीकृत उम्मीदवार और पंजीकरण के बाद सीट मैट्रिक्स में परिवर्तन मनमाना होगा।हालांकि, केंद्र सरकार ने तर्क दिया है कि पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी सूचना बुलेटिन में खंड 11 प्रदान करता है कि सीट मैट्रिक्स के बारे में जानकारी परामर्श प्राधिकरण द्वारा अलग से जारी की जाएगी। खंड 11 इस प्रकार हैः

ई.

च

“ 11.1.स्नातकोत्तर सीटों का आरक्षण भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के मानदंडों के अनुसार होगा जो लागू हो सकता है।

11.2.एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 के लिए नामित परामर्श प्राधिकरण द्वारा परामर्श प्रक्रिया और लागू आरक्षण के विवरण की सूचना देने वाली एक अलग पुस्तिका जारी की जाएगी।"

जी.

खंड 11.2 के पठन से यह स्पष्ट है कि आवेदकों को सीट मैट्रिक्स (यानी लागू आरक्षण) के बारे में केवल तभी सूचित किया जाता है जब

61 (2008) 6 एससीसी 1 ए

एच.

657

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

परामर्श प्राधिकरण द्वारा एक अलग पुस्तिका जारी की जाती है।उम्मीदवारों को पंजीकरण के समय सीट मैट्रिक्स की कोई जानकारी नहीं होगी।

55. मंजुश्री बनाम आंध्र प्रदेश राज्य 62 में, आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा में जिला और सत्र न्यायाधीशों (ग्रेड II) के दस रिक्त पदों के लिए उम्मीदवारों का चयन अपील का विषय था।जिला और सत्र न्यायाधीशों (ग्रेड II) के पद पर चयन और नियुक्तियां आंध्र प्रदेश राज्य उच्च न्यायिक सेवा नियम 1958 द्वारा शासित होती हैं।नियम निर्धारित करते हैं कि एक तिहाई पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जाना है।हालांकि, भर्ती की विधि नियमों में निर्धारित नहीं है।इसलिए, जब रिक्तियों को अधिसूचित किया जाता है तो उच्च न्यायालय चयन की विधि निर्धारित करता है।28 मई 2004 को आवेदनों के लिए एक विज्ञापन जारी किया गया था।प्रशासनिक समिति ने 30 नवंबर 2004 के अपने प्रस्ताव द्वारा पचहत्तर अंकों के लिए लिखित परीक्षा और पँचिश अंकों के लिए साक्षात्कार आयोजित करने का निर्णय लिया और लिखित परीक्षा के लिए न्यूनतम श्रेणी अंक निर्धारित किए।यह परीक्षा 30 जनवरी 2005 को आयोजित की गई थी।परिणाम 24 फरवरी 2005 को घोषित किए गए थे।लिखित परीक्षा में 100 में से प्राप्त अंकों और साक्षात्कार में 25 अंकों को जोड़कर योग्यता सूची तैयार की गई थी।हालांकि, पूर्ण न्यायालय चयन सूची से सहमत नहीं था और सूची तैयार करने के लिए न्यायाधीशों की एक अन्य समिति का गठन किया गया था।समिति का विचार था कि चयन सूची ने लिखित परीक्षा के अंकों के अनुपात को साक्षात्कार में 3 से बदल दिया:1 4 तक:1 चूंकि लिखित परीक्षा के अंकों (100 में से) को 75 अंकों में परिवर्तित नहीं किया गया था।उप-समिति ने यह भी निर्देश दिया कि साक्षात्कार घटक के लिए न्यूनतम अंक होने चाहिए, उसी कट-ऑफ प्रतिशत में जो लिखित परीक्षा घटक पर लागू होते हैं।संशोधित चयन मानदंड के आधार पर एक और चयन सूची तैयार की गई थी।जिन उम्मीदवारों के नाम पहली चयन सूची में शामिल थे लेकिन दूसरी सूची में अनुपस्थित थे, उन्होंने दूसरी चयन सूची को चुनौती दी।इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि लिखित परीक्षा में अधिकतम 75 अंकों के अनुपात में अंकों को कम करना वैध था क्योंकि यह 30 नवंबर 2004 के प्रस्ताव के अनुरूप था। हालांकि, यह देखा गया कि न्यूनतम अंकों की शुरुआत

ग

डी.

ई.

च

जी.

साक्षात्कार घटक 'पूरी चयन प्रक्रिया (लिखित परीक्षा और साक्षात्कार सहित) के पूरा होने के बाद, खेल खेले जाने के बाद खेल के नियमों को बदलने के बराबर होगा।

62 (2008) 3 एस. सी. सी. 512

स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य है।' मंजुश्री मामले के तथ्य

(उपर्युक्त) हमारे सामने मौजूद तथ्यात्मक मैट्रिक्स से अलग है क्योंकि ए. आई. क्यू. में आरक्षण को अधिसूचित करने वाला विवादित नोटिस परीक्षा आयोजित होने से पहले ही पेश किया गया था।इसके अलावा, हमारे सामने के मामले के विपरीत, उस मामले में, चयन मानदंड में बदलाव किया गया था।

56. महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम.

राजेंद्र भीमराव मांडवे 63, ड्राइवर और कंडक्टर के पद पर चयन सवाल में था।रिट याचिकाकर्ताओं ने योग्यताओं को पूरा किया और उनके पास अपेक्षित अनुभव था।शुरू में व्यक्तिगत साक्षात्कार घटक के लिए कुल 12.50 प्रतिशत अंक आवंटित किए गए थे।हालांकि, ड्राइविंग टेस्ट आयोजित होने के बाद चयन के मानदंडों में बदलाव किया गया था।इस अदालत ने तब माना कि नया मानदंड अमान्य था क्योंकि उसने खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों को बदलने का प्रस्ताव रखा था।उमराव सिंह बनाम पंजाबी विश्वविद्यालय 64 के मामले में, इस न्यायालय ने कहा कि आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद और चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद व्याख्याताओं के पदों पर चयन के लिए चयन मानदंडों में ढील नहीं दी जा सकती थी।तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय 65 में, राजस्थान उच्च न्यायालय ने 'अनुवादकों' के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे।राजस्थान उच्च न्यायालय कर्मचारी सेवा नियम 2002 के अनुसार, लिखित परीक्षा के लिए 100 अंक और व्यक्तिगत साक्षात्कार के लिए 50 अंक निर्धारित किए गए थे।परीक्षा आयोजित होने के बाद, लिखित परीक्षा में योग्यता अंकों के रूप में 75 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए थे।न्यायमूर्ति चेलमेश्वर ने तीन-न्यायाधीशों की पीठ के लिए लिखते हुए कहा कि खेल के बीच में या खेल खेले जाने के बाद 'खेल के नियमों' को बदलना 'पूर्वव्यापी कानून बनाने की शक्ति का एक पहलू' है।इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मंजुश्री (उपरोक्त) में लागू सिद्धांत, आगे की जांच के बिना, सार्वजनिक न्याय और कुशल प्रशासन को आगे नहीं बढ़ाएगा।इस न्यायालय ने निम्नलिखित शब्दों में प्रश्न को एक बड़ी पीठ को भेजा 66:

ग

डी.

ई.

च

"15. इसमें कोई संदेह नहीं है कि राज्य या उसके उपकरणों को "खेल के नियमों" के साथ छेड़छाड़ करने की अनुमति नहीं देना एक हितकारी सिद्धांत है, जहां तक पात्रता मानदंडों के निर्धारण का संबंध है, जैसा कि किया गया था।

जी.

63 (2011) 10 एस. सी. सी 51

64 (2005) 13 एससीसी 365

65 (2013) 4 एससीसी 540

66 पीठ ने हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह, (1974) 3 एस. सी. सी. 220 के फैसले पर ध्यान दिया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवारों की नियुक्ति नहीं करने के राज्य के फैसले को बरकरार रखा।

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

सी. चन्नबसवैह बनाम मैसूर राज्य [ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1293], आदि में भर्ती प्रक्रिया और उसके परिणामों में हेरफेर से बचने के लिए।क्या इस तरह के सिद्धांत को "खेल के नियमों" के संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए जो चयन के लिए प्रक्रिया को निर्धारित करता है, विशेष रूप से जब परिवर्तन की मांग की जाती है तो चयन के लिए अधिक कठोर जांच लागू करने के लिए इस न्यायालय की एक बड़ी पीठ के आधिकारिक निर्णय की आवश्यकता होती है।इसलिए हम आदेश देते हैं कि इस संबंध में उचित आदेश के लिए मामले को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए।"

57. डॉ. प्रेरणा शर्मा बनाम डॉ. बिलू 67 में, एन. ई. ई. टी.-एस. एस. 2020 के लिए सूचना बुलेटिन 3 अगस्त 2020 को जारी किया गया था।परीक्षा 15 सितंबर 2020 को आयोजित की गई थी और परिणाम 25 सितंबर 2020 को घोषित किए गए थे।पंजीकरण प्रक्रिया शुरू होने पर जारी सूचना बुलेटिन के खंड 5.16 में निर्धारित किया गया था कि एसएस पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं होगा।चिकित्सा परामर्श समिति ने एन. ई. ई. टी.-एस. एस. पाठ्यक्रम 2020-21 के लिए ए. आई. क्यू. के लिए परामर्श योजना जारी की जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि डॉ. प्रीति में इस न्यायालय के फैसलों का उल्लेख करके एस. एस. पाठ्यक्रमों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा।

ग

डी.

श्रीवास्तव **(**ऊपर**)** और डॉ**.** संदीप सदाशिवराव बनाम भारत संघ **68.**

एसएस पाठ्यक्रम के लिए परामर्श स्थगित कर दिया गया था।तमिलनाडु राज्य ने 7 नवंबर 2020 को जी. ओ. एम. एस. संख्या 462 जारी किया जिसमें कहा गया था कि तमिलनाडु राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एसएस की 50 प्रतिशत सीटें सेवाकालीन उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगी।इस न्यायालय ने कहा कि जब एसएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हुई थी, तो सूचना बुलेटिन के माध्यम से यह अधिसूचित किया गया था कि एसएस पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं होगा।इसलिए, यह निर्णय लिया गया कि वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए सेवाकालीन डॉक्टरों के लिए आरक्षण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ई.

च

58. ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने वाला विवादित नोटिस पंजीकरण बंद होने के बाद लेकिन परीक्षा आयोजित होने से पहले जारी किया गया था।इस प्रकार, यह निम्नलिखित कारणों से खेल के नियमों में बदलाव के बराबर नहीं होगाः

जी.

(i) याचिकाकर्ता के वकील द्वारा 'खेल के नियमों को बीच में बदलने' पर दिए गए निर्णयों में चयन मानदंड या चयन की प्रक्रिया में बदलाव का उल्लेख किया गया है।वे।

67 सिविल अपील संख्या 2020 की 3840 68 (2016) 2 एस. सी. सी. 328

एच.

मामले हमारे सामने मामले से अलग हैं क्योंकि विवादित नोटिस ने चयन मानदंड को नहीं बदला है;

(ii) निर्दिष्ट निर्णयों ने चयन प्रक्रिया (परीक्षा और साक्षात्कार) के पूरा होने के बाद खेल के नियमों को बीच में ही नहीं बदलने के सिद्धांत को लागू किया; और (iii) सूचना बुलेटिन के खंड 11 में निर्दिष्ट किया गया है कि लागू आरक्षण को परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत से पहले परामर्श प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।

डॉ. प्रेरणा शर्मा (ऊपर) के तथ्यों के विपरीत।द.

एन. ई. ई. टी.-पी. जी. के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सीट मैट्रिक्स के वितरण पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है।इस तरह की जानकारी परामर्श प्राधिकरण द्वारा परामर्श सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदान की जाती है।

ग

ई. निष्कर्ष

59. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए हम मानते हैं कि यूजी और पीजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. उम्मीदवारों के लिए आरक्षण निम्नलिखित कारणों से संवैधानिक रूप से मान्य हैः

डी.

(i) अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) अनुच्छेद 15 (1) के अपवाद नहीं हैं, जो स्वयं मूल समानता (मौजूदा असमानताओं की मान्यता सहित) के सिद्धांत को निर्धारित करता है।इस प्रकार, अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) मूल समानता के नियम के एक विशेष पहलू का पुनर्कथन बन जाता है जो अनुच्छेद 15 (1) में निर्धारित किया गया है।

ई.

((ii) योग्यता को एक खुली प्रतियोगी परीक्षा में प्रदर्शन की संकीर्ण परिभाषाओं तक सीमित नहीं किया जा सकता है जो केवल अवसर की औपचारिक समानता प्रदान करता है।प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाएँ शैक्षिक संसाधनों को आवंटित करने के लिए बुनियादी वर्तमान क्षमता का आकलन करती हैं, लेकिन किसी व्यक्ति की उत्कृष्टता, क्षमताओं और क्षमता को प्रतिबिंबित नहीं करती हैं जो जीवित अनुभवों, बाद के प्रशिक्षण और व्यक्तिगत चरित्र से भी आकार लेती हैं।महत्वपूर्ण रूप से, खुली प्रतियोगी परीक्षाएँ उस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक लाभ को नहीं दर्शाती हैं जो कुछ वर्गों को प्राप्त होता है और ऐसी परीक्षाओं में उनकी सफलता में योगदान देता है।

च

जी.

(iii) किसी परीक्षा में उच्च अंक योग्यता के लिए एक प्रॉक्सी नहीं हैं।योग्यता को सामाजिक रूप से प्रासंगिक बनाया जाना चाहिए और पुनः संकल्पित किया जाना चाहिए

एच.

661

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

एक ऐसे साधन के रूप में जो समानता जैसी सामाजिक वस्तुओं को आगे बढ़ाता है जिसे हम एक समाज के रूप में महत्व देते हैं।ऐसे संदर्भ में, आरक्षण योग्यता के विपरीत नहीं है, बल्कि इसके वितरण संबंधी परिणामों को आगे बढ़ाता है।

(iv) अनुच्छेद 15 (4) और 15 (5) समूह पहचान को एक ऐसी विधि के रूप में नियोजित करते हैं जिसके माध्यम से मूल समानता प्राप्त की जा सकती है।इससे एक विसंगति पैदा हो सकती है जहां किसी चिन्हित समूह के कुछ व्यक्तिगत सदस्य जिन्हें आरक्षण दिया जा रहा है, वे पिछड़े नहीं हो सकते हैं या गैर-चिन्हित समूह से संबंधित व्यक्ति किसी चिन्हित समूह के सदस्यों के

साथ पिछड़ेपन की कुछ विशेषताओं को साझा कर सकते हैं।व्यक्तिगत अंतर विशेषाधिकार, भाग्य या परिस्थितियों का परिणाम हो सकता है, लेकिन इसका उपयोग कुछ समूहों को होने वाले संरचनात्मक नुकसान को दूर करने में आरक्षण की भूमिका को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता है।

ग

(v) ए. आई. क्यू. की योजना राज्य द्वारा संचालित चिकित्सा और दंत चिकित्सा संस्थानों में सीटें आवंटित करने के लिए तैयार की गई थी जिसमें देश भर के छात्र प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं।प्रदीप जैन (ऊपर) में टिप्पणी कि ए. आई. क्यू. सीटों को योग्यता से भरा जाना चाहिए, को योग्यता और निवास आरक्षण तक सीमित पढ़ा जाना चाहिए।प्रदीप जैन (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय ने यह नहीं माना कि ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण की अनुमति नहीं है।

डी.

ई.

(vi) भारत संघ ने अभय नाथ (उपरोक्त) मामले में इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया जिसमें सीट मैट्रिक्स के सीमांकन पर भ्रम को देखते हुए एआईक्यू सीटों में एससी और एसटी श्रेणियों के लिए आरक्षण प्रदान करने के लिए सरकार के नीतिगत निर्णय को रखा गया था, इस पर कोई स्पष्टता नहीं थी कि एआईक्यू सीटों में आरक्षण प्रदान किया जा सकता है या नहीं।ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करने से पहले केंद्र सरकार को इस न्यायालय की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं थी।इसलिए, ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करना सरकार का एक नीतिगत निर्णय है, जो प्रत्येक आरक्षण नीति के समान न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा के अधीन होगा।

च

जी.

(vii) दिनेश कुमार (द्वितीय) (उपर्युक्त) में यह स्पष्ट किया गया था कि

ए. आई. क्यू. के लिए सीमांकित कुल सीटों का निर्धारण आरक्षण को हटाए बिना किया जाएगा जैसा कि पहले प्रदीप जैन (उपरोक्त) द्वारा निर्देशित किया गया था और दिनेश कुमार (आई) में स्पष्ट किया गया था।हालांकि,

एच.

इस न्यायालय ने बुद्धि प्रकाश शर्मा (उपरोक्त) मामले में

दिनेश कुमार (द्वितीय) के स्पष्टीकरण का गलत अर्थ यह लगाया कि ए. आई. क्यू. सीटों में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। इसलिए, अभय नाथ (ऊपर) में आदेश बुद्धि में टिप्पणियों को देखते हुए केवल स्पष्टीकरणात्मक था।

प्रकाश शर्मा (ऊपर); और

(viii) सूचना बुलेटिन के खंड 11 में निर्दिष्ट किया गया है कि एन. ई. ई. टी.-पी. जी. के लिए लागू आरक्षण को परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत से पहले परामर्श प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।इसलिए, एन. ई. ई. टी.-पी. जी. के लिए आवेदन करते समय उम्मीदवारों को सीट मैट्रिक्स के वितरण पर कोई जानकारी नहीं दी जाती है।इस तरह की जानकारी परामर्श प्राधिकरण द्वारा परामर्श सत्र शुरू होने से पहले ही प्रदान की जाती है।इस प्रकार यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि खेल के नियम तब निर्धारित किए गए थे जब परीक्षा के लिए पंजीकरण बंद हो गया था।

ग

डी.

60. 29 जुलाई 2021 के नोटिस के माध्यम से पेश किए गए ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की संवैधानिक वैधता की चुनौती को उपरोक्त चर्चा को देखते हुए खारिज कर दिया गया है।

61. 29 जुलाई 2021 के नोटिस के माध्यम से लागू किए गए ओ. बी. सी. आरक्षण के मुद्दे से संबंधित लंबित आवेदन, यदि कोई हो, का निपटारा कर दिया गया है।

ई.

आदेश

विश्लेषण को सुविधाजनक बनाने के लिए इस आदेश को निम्नलिखित खंडों में विभाजित किया गया हैः

च

ए**.** विवाद की उत्पत्ति**. 3** बी**.** इस न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दे**. 6** सी**.** केंद्र सरकार का प्रारंभिक रुख**. 8** डी**.** प्रमुख सिंह आयोग की रिपोर्ट**. 11** ई**.** केंद्र सरकार का निर्णय

जी.

ईडब्ल्यूएस मानदंड**. 13**

एफ**.** पांडे समिति के निष्कर्ष। **14**

जी**.** वकील की प्रस्तुतियाँ**. 22** एच**.** विश्लेषण**. 33** ए

एच.

663

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

ए**.** विवाद की उत्पत्ति

1. ये रिट याचिकाएं राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (स्नातकोत्तर) परीक्षा 4 में अखिल भारतीय कोटा 3 सीटों में अन्य पिछड़े वर्ग 1 और आर्थिक रूप से कमजोर धारा 2 के लिए आरक्षण को चुनौती देती हैं।संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम 2019 के अनुसरण में दस प्रतिशत आरक्षण के लिए ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के मानदंड चुनौती के दायरे में आ गए हैं।ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण की अनुमति को 20 जनवरी 2022 के फैसले में संबोधित किया गया है।यह आदेश केवल ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के निर्धारण के मानदंडों की चुनौती से निपटेगा।

2. 18 अप्रैल 2021 को एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 परीक्षा का कार्यक्रम निर्धारित करते हुए 23 फरवरी 2021 को एक सूचना विवरणिका जारी की गई थी।पंजीकरण प्रक्रिया 23 फरवरी 2021 को शुरू हुई और पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2021 थी।हालाँकि, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय 5 ने 15 अप्रैल 2021 को एक नोटिस जारी कर परीक्षा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया।3 मई 2021 को जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 परीक्षा को और चार महीने के लिए स्थगित कर दिया गया था। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज, नई दिल्ली ने 13 अप्रैल 2021 को एक नोटिस जारी कर एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 परीक्षा को 11 सितंबर 2021 तक पुनर्निर्धारित किया।स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, एम. ओ. एच. एफ. डब्ल्यू. ने 29 जुलाई 2021 को वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 में 15 प्रतिशत स्नातक 6 और 50 प्रतिशत पीजी ए. आई. क्यू. सीटों में 27 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण (गैर-मलाईदार परत) और 10 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण को लागू करने के लिए एक नोटिस जारी किया। नोटिस में इस प्रकार कहा गया हैः

ग

डी.

ई.

“सूचना

च

एन. ई. ई. टी.-यू. जी. और एन. ई. ई. टी.-पी. जी. के उम्मीदवारों का तत्काल ध्यानः

भारत सरकार द्वारा 15 प्रतिशत ए. आई. क्यू. यू. जी. सीटों और 50 प्रतिशत अखिल भारतीय कोटा सीटों (एम. बी. बी. एस./बी. डी. एस. और एम. डी./एम. एस./एम. डी. एस.) में 27 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण (गैर-क्रीमी बाद में) और 10 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण लागू करने का निर्णय लिया गया है।

जी.

1 “ओ. बी. सी. "2" ई. डब्ल्यू. एस "3" ए. आई. क्यू "

4 “ एन. ई. ई. टी.-पी. जी. "5" एम. ओ. एच. एफ. डब्ल्यू "6" यू. जी "

एच.

यूटी)।यह आरक्षण वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रभावी होगा।

नतीजतन, 15 प्रतिशत यूजी और 50 प्रतिशत पीजी अखिल भारतीय कोटा सीटों में समग्र आरक्षण इस प्रकार होगाः

एससी-15 प्रतिशत

एसटी-7.5%

केंद्रीय ओ. बी. सी. सूची के अनुसार ओ. बी. सी. (गैर-मलाईदार परत)-27 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस.-केंद्र सरकार के मानदंडों के अनुसार-10 प्रतिशत

एन. एम. सी. मानदंडों के अनुसार पीडब्ल्यूडी-5 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण "

ग

3. संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था, जिसमें अनुच्छेद 15 (6) और 16 (6) शामिल थे।अनुच्छेद 15 (6) में कहा गया है कि खंड (4) और (5) में उल्लिखित वर्गों के अलावा अन्य वर्गों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान (आरक्षण सहित) किए जाएंगे।संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15 का स्पष्टीकरण भी शामिल किया गया था जो इस प्रकार हैः

डी.

“स्पष्टीकरण-इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, "आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग" ऐसे होंगे जिन्हें राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जा सके।

ई.

4. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन विभाग, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने अनुच्छेद 15 (6) के स्पष्टीकरण के अनुसरण में 17 जनवरी 2019 को ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान के मानदंडों को परिभाषित करते हुए एक कार्यकारी आदेश (ओ. एम. सं. 36039/1/2019) जारी किया। ओ. एम. का प्रासंगिक उद्धरण इस प्रकार हैः

च

"3. संरक्षण से मुक्ति

3.1 "वैज्ञानिक और तकनीकी "पद जो निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करते हैं, उन्हें मंत्रालयों/विभागों द्वारा आरक्षण आदेशों के दायरे से छूट दी जा सकती हैः

जी.

(i) पद संबंधित सेवा के समूह ए में निम्नतम श्रेणी से ऊपर के ग्रेड में होने चाहिए।

(ii) उन्हें कैबिनेट सचिवालय (ओ. एम. सं. 85/11 सी. एफ.-61 (1) दिनांक के संदर्भ में 'वैज्ञानिक या तकनीकी' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

एच.

7 " ओम "

665

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

28.12.1961), जिसके अनुसार वैज्ञानिक और तकनीकी पद जिनके लिए प्राकृतिक विज्ञान या सटीक विज्ञान या अनुप्रयुक्त विज्ञान या प्रौद्योगिकी में योग्यता निर्धारित की जाती है और जिनके अधिकारियों को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में उस ज्ञान का उपयोग करना होता है।

((iii) पद 'अनुसंधान करने के लिए' या 'अनुसंधान के आयोजन, मार्गदर्शन और निर्देशन के लिए' होने चाहिए।

3.2 उपरोक्त शर्तों को पूरा करने वाले किसी भी पद को आरक्षण योजना के दायरे से छूट देने से पहले संबंधित मंत्री के आदेश प्राप्त किए जाने चाहिए।

ग

4.आय और परिसंपत्तियों के लिए मानदंड

4.1 ऐसे व्यक्ति जो आरक्षण की योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए और जिनके परिवार की सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है

आरक्षण के लाभ के लिए ई. डब्ल्यू. एस. के रूप में पहचाना गया।आय में आवेदन के वर्ष से पहले के वित्तीय वर्ष के लिए सभी स्रोतों यानी वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि से आय भी शामिल होगी।जिन व्यक्तियों के परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति है या जिनके पास है, उन्हें पारिवारिक आय की परवाह किए बिना ई. डब्ल्यू. एस. के रूप में पहचाने जाने से बाहर रखा जाएगाः- -प.व.१४ का कथन भी उपयोगी रूप से पुनः इस प्रकार पेश किया जा सकता है -

डी.

ई.

आई.5 एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक;ii. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय क्षेत्र।

iii.100 वर्ग मीटर का आवासीय भूखंड।अधिसूचित नगर पालिकाओं में यार्ड और उससे ऊपर;

iv.आवासीय, 200 वर्ग मीटर का भूखंड।अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में यार्ड और उससे ऊपर।

च

4.2.ई. डब्ल्यू. एस. की स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में एक "परिवार" द्वारा धारण की गई संपत्ति को एक साथ जोड़ा जाएगा।

जी.

4.3 इस उद्देश्य के लिए "परिवार" शब्द में आरक्षण का लाभ चाहने वाला व्यक्ति, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसके जीवनसाथी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल होंगे।"

5. याचिकाकर्ता वे डॉक्टर हैं जो एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 की परीक्षा में उपस्थित हुए थे।याचिकाकर्ताओं ने 24 अगस्त 2021 को एक रिट याचिका दायर की

एच.

एन. ई. ई. टी.-पी. जी. परीक्षा में ओ. बी. सी. श्रेणी और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लिए आरक्षण प्रदान करने वाले 29 जुलाई 2021 को जारी किए गए नोटिस की वैधता को चुनौती दी और नोटिस को रद्द करने की मांग की।याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाई गई दलीलों में से एक यह थी कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के लिए ओएम के तहत मानदंड मनमाना है।

B. इस न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दे

6. नोटिस 6 सितंबर 2021 को जारी किया गया था।एन. ई. ई. टी.-पी. जी. परिणाम 28 सितंबर 2021 को घोषित किए गए थे।7 अक्टूबर 2021 को पीठ द्वारा दलीलों को आंशिक रूप से सुना गया था।पीठ ने ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए आय सीमा के रूप में 8 लाख रुपये का उपयोग करने के आधार पर सवाल उठाया। केंद्र सरकार को 8 लाख रुपये की आय मानदंड को अपनाने के आधार को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया था।

ग

7. जब 21 अक्टूबर 2021 को याचिकाओं को सुनवाई के लिए बुलाया गया था, तो केंद्र सरकार ने ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा के आधार को स्पष्ट करते हुए एक हलफनामा दायर नहीं किया था। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने पीठ को सूचित किया कि वह दो दिनों में एक हलफनामा दायर करने की स्थिति में होंगे।पीठ ने 8 लाख रुपये की आय सीमा और केंद्र सरकार से आवश्यक प्रकटीकरण पर विशिष्ट प्रश्न तैयार किए।21 अक्टूबर 2021 के आदेश में इस प्रकार कहा गया हैः

डी.

“2. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज का कहना है कि उन्हें मौखिक निर्देश प्राप्त हुए हैं और वे दो दिनों की अवधि के भीतर हलफनामा दायर करने की स्थिति में होंगे।साथ ही, सुनवाई के दौरान, हमने ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पहचान के लिए अपनाए गए मानदंडों के संबंध में कुछ मुद्दे तैयार किए हैं।हम उन्हें इस क्रम में तैयार करने का प्रस्ताव करते हैं ताकि केंद्र

सरकार अपना हलफनामा दाखिल करके मुद्दों पर स्पष्टता ला सके।जिन विशिष्ट मुद्दों पर हलफनामे में खुलासा किया जाएगा, वे इस प्रकार हैंः

ई.

च

(i) क्या केंद्र सरकार ने ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के निर्धारण के मानदंडों पर पहुंचने से पहले कोई अभ्यास किया है;

जी.

(ii) यदि उपरोक्त (i) का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या मानदंड मेजर जनरल सिन्हो (2010) द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित हैं।यदि मानदंड मेजर जनरल सिन्हो की रिपोर्ट पर आधारित हैं, तो रिपोर्ट की एक प्रति इन कार्यवाही के रिकॉर्ड पर रखी जानी चाहिए।

एच.

667

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(iii) क्या ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी समावेशी है;

(iv) ओ. बी. सी. श्रेणी और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की मलाईदार परत के निर्धारण के मानदंडों में आय सीमा समान है, अर्थात् 8 लाख रुपये।जबकि ओ. बी. सी. श्रेणी में मलाईदार परत की पहचान समुदाय के एक ऐसे वर्ग को बाहर करने के लिए की जाती है जिसने इस हद तक 'आर्थिक रूप से प्रगति' की है कि समुदाय का सामाजिक पिछड़ेपन कम हो जाता है, ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान उस वर्ग को शामिल करने के लिए की जाती है जो बाकी समुदाय की तुलना में 'गरीब' है।इसलिए (ए) ओ. बी. सी. श्रेणी के संबंध में आय मानदंड का उद्देश्य एक वर्ग से बहिष्कार करना है, जबकि ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के मामले में, इसका उद्देश्य समावेश करना है; और (बी) ओ. बी. सी. श्रेणी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ी हुई है और इसलिए, सामान्य श्रेणी से संबंधित लोगों की तुलना में अतिरिक्त बाधाओं को दूर करना है।इन परिस्थितियों में, क्या ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. दोनों श्रेणियों के लिए समान आय सीमा प्रदान करना मनमाना होगा?

ग

डी.

(v) क्या विभिन्न राज्यों की सकल घरेलू उत्पाद/प्रति व्यक्ति आय में अंतर को 8 लाख रुपये की आय सीमा पर पहुँचते समय गिना गया है;

(vi) क्या आय सीमा तय करते समय ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच क्रय शक्ति में अंतर का हिसाब रखा गया है; और

ई.

(vii) केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार (ओ. एम. नं. 8 लाख रुपये से कम आय वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर रखा जाएगा यदि परिवार के पास (ए) पांच एकड़ कृषि भूमि और उससे अधिक की संपत्ति है; (बी) अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड और अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड; और (सी) 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट।इस संदर्भ में निम्नलिखित पहलुओं पर खुलासा किया जा सकता हैः(i) किस आधार पर परिसंपत्ति अपवाद पर पहुंचा गया है और क्या उस उद्देश्य के लिए कोई अभ्यास किया गया था; डब्ल्यू. पी. (सी) 961/21;

च

जी.

((ii) क्या अपवाद के तहत आवश्यक नगरपालिकाओं को अधिसूचित किया गया है;

एच.

668

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

(iii) आवासीय समतल मानदंड महानगरीय और गैर-महानगरीय क्षेत्रों के बीच अंतर क्यों नहीं करता है।

3. हम केंद्र सरकार को ऊपर उठाए गए मुद्दों पर रिकॉर्ड पर पूरा खुलासा करते हुए अपना हलफनामा रिकॉर्ड पर रखने की स्वतंत्रता देते हैं क्योंकि न्यायालय को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आय मानदंड तय करते समय की गई कवायद की प्रकृति से अवगत कराया जाना चाहिए।इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण होगा कि अनुच्छेद 15 (6) का स्पष्टीकरण, जिसे 2019 में 103 वें संवैधानिक संशोधन के परिणामस्वरूप पेश किया गया था, विशेष रूप से यह स्पष्ट करता है कि अनुच्छेद 15 (6) और अनुच्छेद 16 (6) के प्रयोजनों के लिए, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ऐसे होंगे जिन्हें परिवार की आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों के आधार पर राज्य द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा सके।इस संदर्भ में केंद्र सरकार के लिए यह आवश्यक होगा कि वह न्यायालय के समक्ष उस कवायद की प्रकृति का खुलासा करे जो अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण के प्रावधानों द्वारा अनिवार्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को वर्गीकृत करने के लिए की गई थी।हम इस स्तर पर स्पष्ट कर सकते हैं कि न्यायालय नीति के किसी भी मुद्दे पर काम शुरू नहीं कर रहा है, जबकि उसके समक्ष इस तरह के प्रकटीकरण की आवश्यकता है, लेकिन यह निर्धारित करेगा कि क्या संवैधानिक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया है।4 जवाबी हलफनामा, यदि कोई हो, तो 26 अक्टूबर 2021 को या उससे पहले दाखिल किया जाना चाहिए। 5 बोर्ड में पहली मद के रूप में 28 अक्टूबर 2021 को रिट याचिकाओं को सूचीबद्ध करें।"

ग

डी.

ई.

C. केंद्र सरकार का प्रारंभिक रुख

च

8. 25 अक्टूबर 2021 को केंद्र सरकार ने याचिकाओं के लंबित होने के कारण परामर्श को स्थगित कर दिया।केंद्र सरकार ने 26 अक्टूबर 2021 को ईडब्ल्यूएस मानदंडों को उचित ठहराते हुए एक हलफनामा दायर किया, जिसमें निम्नलिखित प्रस्तुतियां दी गईः

(i) ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी निर्धारित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अभ्यास किया गया थाःसामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सभी संबंधित हितधारकों के भीतर उचित विचार-विमर्श के बाद ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के लिए मानदंड तय किए गए थे।17 जनवरी 2019 को ओ. एम. जारी होने से पहले ही यूनियन ए.

जी.

एच.

669

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

सरकार ने 2005 में ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान करने और वर्ग के लिए आरक्षण की संवैधानिक अनुमति निर्धारित करने के लिए प्रमुख सिंह आयोग का गठन किया था; (ii) ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के निर्धारण के लिए मानदंड अति-समावेशिता से ग्रस्त नहीं हैंःकिसी भी कट-ऑफ मानदंड में कुछ हद तक धारणा होने की संभावना है।8 लाख रुपये का निर्धारण ओ. बी. सी. की मलाईदार परत के निर्धारण के मानदंड पर आधारित है। मेजर जनरल सिंह आयोग ने माना था कि ओ. बी. सी. की क्रीमी लेयर के निर्धारण के लिए आय सीमा का उपयोग ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान के लिए किया जा सकता है।17 जनवरी 2019 का ओ. एम. संपत्ति छूट के रूप में आगे की जाँच प्रदान करता है ताकि केवल जरूरतमंद लोगों को अनुच्छेद 15 (5) और 16 (6) के तहत आरक्षण का लाभ मिल सके।

ग

(iii) ई. डब्ल्यू. एस. और ओ. बी. सी. की क्रीमी लेयर दोनों को निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली समान आय सीमा मानदंड मनमाना नहीं हैःओ. बी. सी. आरक्षण के उद्देश्य के लिए क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए आयोजित अभ्यास ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के निर्धारण के लिए समान रूप से लागू होगा क्योंकि आधार यह है कि पर्याप्त आर्थिक स्थिति वाले व्यक्तियों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है।अदालतें केवल यह निर्धारित कर सकती हैं कि आय मानदंड पर पहुंचने के लिए 'कुछ सामग्री' है या नहीं।अदालतें मानदंडों की समीक्षा नहीं कर सकतीं।

डी.

ई.

((iv) शहरी-ग्रामीण और राज्य विभाजनःयद्यपि विभिन्न क्षेत्रों (शहरी/ग्रामीण; राज्यों के बीच, किसी राज्य के विभिन्न जिलों के बीच) की क्रय शक्ति और सकल घरेलू उत्पाद में अंतर होगा, लेकिन यह पर्याप्त है यदि मानदंड 'कुछ सामग्री' पर आधारित है। ग्रामीण और शहरी परिवारों के लिए अलग-अलग आय सीमा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईडब्ल्यूएस ज्यादातर उच्च शिक्षा और रोजगार में छात्रों के लिए है।चूंकि शिक्षा और रोजगार के लिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में लगातार पलायन हो रहा है, इसलिए एक अलग मानदंड की आवश्यकता नहीं होगी।यह पर्याप्त है यदि मानदंड व्यापक संभावनाओं पर आधारित हैं क्योंकि गणितीय परिशुद्धता प्राप्त करना असंभव है।

च

जी.

(v) परिसंपत्ति अपवादःपरिसंपत्ति अपवाद यह सुनिश्चित करने के लिए प्रदान किया जाता है कि आरक्षण केवल जरूरतमंदों को प्रदान किया जाए।'अधिसूचित किया गया

एच.

नगरपालिकाएं कानूनी रूप से गठित सभी नगर पालिकाओं को संदर्भित करती हैं; और

(vi) अन्य तर्कःपिछले छह वर्षों में एमबीबीएस में कुल सीटों में 56 प्रतिशत और पीजी में 80 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।इसलिए, सामान्य श्रेणी के लिए उपलब्ध सीटों की कुल संख्या में वृद्धि हुई है।यह मुद्दा कि क्या ई. डब्ल्यू. एस. के लिए आरक्षण इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 8 में निर्धारित कानून का उल्लंघन करेगा क्योंकि यह 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा से अधिक है, जनहित अभियान बनाम भारत संघ 9 में पांच-न्यायाधीशों की पीठ के संदर्भ का विषय है, जो संविधान (एक सौ तीसरा संविधान संशोधन) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता पर निर्णय ले रही है।

ग

D. प्रमुख सिन्हो आयोग की रिपोर्ट

9. इस स्तर पर, प्रमुख सिंह आयोग की रिपोर्ट का संदर्भ दिया जाना चाहिए क्योंकि केंद्र सरकार ने ई. डब्ल्यू. एस. का निर्धारण करने के लिए ओ. बी. सी. की मलाईदार परत की पहचान करने के लिए आय सीमा का उपयोग करने पर रिपोर्ट में टिप्पणियों पर दृढ़ता से भरोसा किया है। प्रमुख सिंह आयोग का गठन अनारक्षित श्रेणियों में ई. डब्ल्यू. एस. का निर्धारण करने के लिए किया गया था।आयोग की रिपोर्ट के अध्याय III में उल्लेख किया गया है कि कल्याणकारी उपायों (आरक्षण को छोड़कर जिसमें अन्य विचारों की आवश्यकता होगी) को ईडब्ल्यूएस श्रेणी तक बढ़ाया जा सकता है।10 रिपोर्ट के अध्याय IV में ईडब्ल्यूएस श्रेणी को निर्धारित करने के लिए मापदंडों पर चर्चा की गई है।ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान के लिए प्रासंगिक मापदंडों की गणना निम्नानुसार की गई थीः

डी.

ई.

च

8 ए. आई. आर 1993 एस. सी 477

9 डब्ल्यूपी (सी) 55/2019

10 रिपोर्ट का आंतरिक पृष्ठ 20।रिपोर्ट में कहा गया है, "उपरोक्त के आधार पर, यह आयोग संवैधानिक और कानूनी समझ एकत्र करता है कि आर्थिक मानदंडों के आधार पर रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने के लिए 'पिछड़े वर्गों' की पहचान नहीं की जा सकती है और इसलिए 'आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों' (ईबीसी) की पहचान राज्य द्वारा केवल कल्याणकारी उपायों को बढ़ाने के लिए की जा सकती है और उन्हें (ईबीसी) किसी भी मात्रा में आरक्षण प्रदान करने के लिए दो आवश्यक पहलुओं पर विचार करने की आवश्यकता हैः

जी.

((i) सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ेपन, और

(ii) जब तक उच्चतम न्यायालय द्वारा एक अलग निर्देश नहीं दिया जाता है या एक संवैधानिक संशोधन नहीं किया जाता है, तब तक आरक्षण के लिए 50 प्रतिशत की सीमा किसी भी वर्ग के लिए आरक्षण की मात्रा में किसी भी और वृद्धि के लिए राज्य पर बाध्यकारी बनाती है।"

एच.

671

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(क) मासिक प्रति व्यक्ति व्यय; (ख) गरीबी रेखा से नीचे 11 श्रेणी;

(ग) व्यावसायिक स्वरूप और पिछड़ेपन; (घ) शैक्षिक पिछड़ेपन।

(ई) स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति; और (च) आवास की स्थिति

10. विभिन्न श्रेणियों में उपरोक्त मापदंडों का विश्लेषण करते हुए आयोग निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुंचाः

(i) सामान्य श्रेणी के एक हिस्से ने अन्य सामाजिक समूहों के गरीबों के साथ गरीबों का एक वर्ग बनाया।भूमिहीन, उच्च महिला निरक्षरता, सीमांत कृषि भूमि और गैर-मान्यता प्राप्त क्षेत्र में अंशकालिक/अस्थायी काम के कारण गरीब परिवार प्रभावित हुए।ऐसे लोगों को कच्चे आवास, खराब स्वच्छता और बुनियादी चीजों पर खर्च करने में असमर्थता का सामना करना पड़ता है;

ग

डी.

((ii) सामान्य श्रेणी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति अन्य सामाजिक समूहों की तुलना में बेहतर है, लेकिन सामान्य श्रेणी के अंतर्गत आने वाले वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग के बराबर या उससे भी बदतर स्थिति में हैं; और

(iii) सामान्य श्रेणी में ओ. बी. सी. की तुलना में गहरी मलाईदार परत होती है। सामान्य श्रेणी और ओ. बी. सी. के वर्णक्रम का निचला छोर तुलनीय है।

ई.

प्रमुख सिन्हो आयोग ने ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए निम्नलिखित सिफारिशें कीं:

(i) सामुदायिक स्तर पर सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन व्याप्त है।हालांकि, परिवार के स्तर पर आर्थिक पिछड़ेपन बना रहता है। इस प्रकार, ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान के लिए परिवार इकाई होनी चाहिए; और

च

((ii) बी. पी. एल. परिवारों की पहचान ई. डब्ल्यू. एस. के रूप में की जानी चाहिए। यह विचार विभिन्न राज्यों द्वारा भी व्यक्त किया गया था।जबकि मलाईदार परत मानदंड का उपयोग ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए किया जा सकता है, मलाईदार परत एक ऐसी अवधारणा थी जो एक ऐसे वर्ग के लिए विशिष्ट थी जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन दोनों से पीड़ित है।ई. डब्ल्यू. एस. की आर्थिक जरूरतें अलग-अलग होती हैं और इसलिए केवल बी. पी. एल. का एक मानदंड या ऊपरी सीमा के रूप में ओ. बी. सी. की मलाईदार परत निर्धारित करना है।

जी.

एच.

11 “ बी. पी. एल "

672

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

ई. डब्ल्यू. एस. को अपेक्षित लाभ सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी नहीं होगा। सामान्य श्रेणी में बी. पी. एल. का प्रतिशत पिछड़े वर्ग की तुलना में कम था, हालांकि सामान्य श्रेणी के गरीब (हालांकि बी. पी. एल. से ऊपर) अभी भी कुपोषण, खराब स्वास्थ्य और निम्न जीवन स्तर से पीड़ित थे।इसलिए, जिन परिवारों की आय वर्तमान गैर-कर योग्य सीमा रुपये से कम है। 1,60,000 (जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) और बी. पी. एल. परिवारों की पहचान ई. डब्ल्यू. एस. के रूप में की जानी चाहिए।

ई. ई. डब्ल्यू. एस. मानदंडों पर पुनर्विचार करने का केंद्र सरकार का निर्णय

11. 28 अक्टूबर 2021 को, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने स्थगन की मांग करते हुए अनुरोध किया कि याचिकाओं पर सुनवाई दिवाली की छुट्टी के बाद की जाए।इसके बाद, 25 नवंबर 2021 को, विद्वान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सरकार ने संविधान (एक सौ तीसरा संविधान संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा जोड़े गए संविधान के अनुच्छेद 15 के

स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अनुसार ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के मानदंडों पर पुनर्विचार करने का एक सुविचारित निर्णय लिया है।सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि इस अभ्यास को संचालित करने के लिए चार सप्ताह की अवधि की आवश्यकता होगी और ऐसी अवधि के दौरान परामर्श निलंबित रहेगा।मानदंडों पर पुनर्विचार करने के केंद्र सरकार के अनुरोध को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय ने याचिकाओं को सुनवाई के लिए 6 जनवरी 2022 को स्थगित कर दिया।

ग

डी.

12. केंद्र सरकार ने 30 नवंबर 2021 के अपने आदेश द्वारा ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के मानदंडों की समीक्षा के लिए एक समिति 12 का गठन किया।समिति के संदर्भ की शर्तों में इस प्रकार कहा गया है:"क) ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के निर्धारण में ओ. एम. दिनांक 17.01.2019 में दिए गए मानदंड पर फिर से विचार करना, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपने दिनांक 21.10.2021 के आदेश में की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए,ख) आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के निर्धारण के लिए देश में अब तक अपनाए गए विभिन्न दृष्टिकोणों की जांच करना, और

ई.

च

ग) भविष्य में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पहचान करने के लिए अपनाए जाने वाले मानदंडों की सिफारिश करें।"

पांडे समिति ने 31 दिसंबर 2021 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

जी.

13. इसके बाद, केंद्र सरकार ने इस न्यायालय के समक्ष एक हलफनामा दायर किया जिसमें कहा गया कि उसने आयोग की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

12 "पांडे समिति "

एच.

673

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

पांडे समिति ने अपनी सिफारिशों को शामिल करते हुए कहा कि ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए नए मानदंडों को संभावित रूप से लागू किया जाना चाहिए न कि वर्तमान प्रवेश वर्ष 2021-2022 में।

एफ. पांडे समिति के निष्कर्ष

14. 21 अक्टूबर 2021 के अपने आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पांडे समिति के निष्कर्षों का विज्ञापन करना महत्वपूर्ण है।इस न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पांडे समिति की संक्षिप्त प्रतिक्रियाएँ नीचे दी गई तालिका में दी गई हैं:

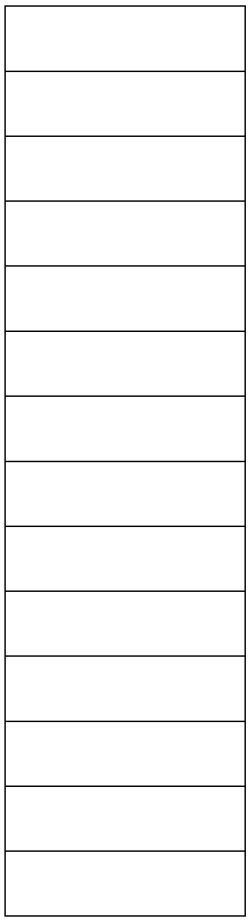

ग

डी.

ई.

च

जी.

13 रिपोर्ट का आंतरिक पृष्ठ संख्या 29

एच.

674

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2022] 11 एस सी आर।

15. पांडे समिति ने पाया कि आय सीमा बहु-मानदंड दृष्टिकोण के विपरीत ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए सबसे उपयुक्त मानदंड है क्योंकि बाद वाले के लिए जटिल और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है।आवधिक सर्वेक्षण ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की विकसित प्रकृति को पकड़ने में सक्षम नहीं हो सकते हैं।इसके अलावा, खपत के तरीकों पर अधिक निर्भरता के परिणामस्वरूप लाभार्थी वस्तुओं और सेवाओं की खपत को छिपाएंगे या टालेंगे।रिपोर्ट में इस प्रकार कहा गया हैः

"3.3.1.24.एक बहु-मानदंड दृष्टिकोण के साथ समस्या यह है कि इसके लिए जटिल, बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है।हालांकि समय-समय पर इस तरह के विस्तृत सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण करना संभव हो सकता है, लेकिन यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस के बारे में हमारा विचार विकसित होता रहता है।उदाहरण के लिए, रेफ्रिजरेटर या फोन कनेक्शन का उपयोग मापदंडों में से एक के रूप में करना 2011 में बहिष्करण के लिए मान्य हो सकता है लेकिन आज यह सच

नहीं हो सकता है।इसके अलावा, अगर हम लाभार्थियों की पहचान करने के लिए कुछ खपत पैटर्न पर बहुत अधिक भरोसा करना शुरू कर देते हैं, तो हम कुछ वस्तुओं और सेवाओं को छिपाकर या टालकर सिस्टम का खेल खेलने वाले लोगों के साथ समाप्त हो जाएंगे।"16. पांडे समिति ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी के निर्धारण के लिए 8 लाख रुपये की आय-कटौती के उपयोग को उचित ठहराने की मांग की, जिसमें प्रमुख सिंह आयोग की रिपोर्ट पर भरोसा किया गया, जिसे उसने प्रस्तुत किया, जिसमें सामान्य श्रेणी के बीच ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए ओ. बी. सी. में "क्रीमी लेयर" की अवधारणा का उपयोग करने का प्रस्ताव रखा गया था।इसके अलावा, इसने नोट किया कि 8 लाख रुपये की समान सीमा होने के बावजूद, ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. में मलाईदार परत के निर्धारण के लिए लागू मानदंड अलग हैं।रिपोर्ट में निम्नलिखित तालिका है जिसमें दो मानदंडों के बीच अंतर गिना गया है 14:तालिका III:ओ. बी. सी. बनाम ई. डब्ल्यू. एस. मानदंडों में क्रीमी वकील

ग

डी.

ई.

च

जी.

एच.

14 रिपोर्ट ए का आंतरिक पृष्ठ संख्या 44

675

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

पांडे समिति ने यह भी कहा कि यदि पर्याप्त निवेश किया जाता है और कटौती का लाभ उठाया जाता है, तो प्रभावी आयकर छूट सीमा 7 से 8 लाख रुपये है।रिपोर्ट का प्रासंगिक हिस्सा नीचे दिया गया हैः

“3.3.1.39 वर्तमान वार्षिक आयकर छूट सीमा 2,50,000 रुपये है।हालांकि, फरवरी 2019 में सरकार ने वित्त अधिनियम के माध्यम से कम आय वाले व्यक्तियों को राहत प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम में संशोधन किया, जिसमें प्रति वर्ष पांच लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले किसी भी व्यक्ति को आयकर का भुगतान करने से छूट दी गई थी।रुपये से अधिक की आय के लिए जो भी कर की गणना की गई थी, उसे छूट के माध्यम से करदाता को वापस कर दिया गया था, जिसका प्रभावी रूप से मतलब था कि 5 लाख रुपये तक की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों की पूरी आय कर मुक्त थी।इसके परिणामस्वरूप, एक लाख रुपये तक की सकल आय वाले व्यक्ति भी लाभान्वित होते हैं। अगर वे भविष्य निधि, निर्दिष्ट बचत, बीमा आदि में निवेश करते हैं तो 6.5 लाख रुपये का कोई आयकर देने की आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, 2 लाख रुपये तक के गृह ऋण पर ब्याज, शिक्षा ऋण पर ब्याज, राष्ट्रीय पेंशन योजना योगदान, चिकित्सा बीमा, वरिष्ठ नागरिकों पर चिकित्सा व्यय आदि जैसी अतिरिक्त कटौती के साथ, अधिक आय वाले व्यक्तियों को कोई कर नहीं देना पड़ता है।इसके अलावा, वेतनभोगी व्यक्तियों को 50,000 रुपये की अतिरिक्त मानक कटौती मिलती है।सूचीबद्ध शेयरों/इकाइयों पर 100,000 रुपये तक के पूंजीगत लाभ से होने वाली आय भी कर से मुक्त है।प्रभावी रूप से, लगभग 8 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति को वित्तीय

वर्ष 2019-2020 के बाद से कोई आयकर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बशर्ते वह कुछ निर्दिष्ट बचत आदि करता हो। इसके अलावा, इस मामले में कृषि से होने वाली आय भी आयकर के उद्देश्य से शामिल नहीं है।

ग

डी.

ई.

च

....

3.3.1.42 यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस में शामिल करने के लिए 8 लाख रुपये की वार्षिक सकल वार्षिक आय सीमा है -

-5 लाख रुपये की व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा के मुकाबले पूरे परिवार के लिए है।

जी.

-आयकर के विभिन्न प्रावधान जैसे 80 सी, मानक कटौती आदि बिना किसी कटौती के उपलब्ध हैं।

-इसमें कृषि आय भी शामिल है।व्यक्तिगत आयकर छूट सीमा में कृषि आय शामिल नहीं है।

एच.

3.3.1.43 वर्तमान आयकर मानदंडों के अनुसार, 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों के लिए प्रभावी आयकर शून्य है। बचत, बीमा आदि के लिए विभिन्न प्रावधानों का लाभ उठाने के बाद, करदाता को 7 से 8 लाख रुपये की वार्षिक आय तक कोई कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है।इस प्रकार, ई. डब्ल्यू. एस. कट-ऑफ, यदि केवल एक व्यक्ति पर लागू होती है, तो शून्य कर देयता के लिए आयकर आवश्यकताओं के आधार में है।एक बार पारिवारिक आय और कृषि आय को शामिल करने के लिए आवेदन करने के बाद, यह बहुत अधिक मांग वाला हो जाता है।"

पांडे समिति की राय में, कम आय सीमा योग्य उम्मीदवारों को बाहर करने के जोखिम को बढ़ाएगी।हालांकि, अयोग्य उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ लेने से रोकने के लिए, आय सीमा को कम करने के बजाय ऐसे उम्मीदवारों को हटाने के लिए सरल परिसंपत्ति मानदंडों का एक सेट पेश किया जाना चाहिए।15

ग

17. पांडे समिति ने कहा कि ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए एक समान मानदंड लागू किया जाना चाहिए क्योंकि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्रय शक्ति में अंतर के आधार पर अलग-अलग आय सीमा निर्धारित करने से जटिलताएं पैदा होंगी, विशेष रूप से प्रवास के कारण।इससे कार्यान्वयन में प्रशासनिक कठिनाई भी होगी।पांडे समिति ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

डी.

" 3.3 .2.5 ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए देश भर में एक समान आय मानदंड स्थापित करने के वर्तमान संदर्भ में, यह निर्णय देश भर में ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए एक समान मानदंड की आवश्यकता पर ध्यान केंद्रित करता है, क्योंकि यह

इस तरह के मानदंड के व्यावहारिक कार्यान्वयन से संबंधित है।जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल (सुप्रा) मामले में उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया था कि राज्यों द्वारा इस तरह के मानकों की स्थापना से वोट-बैंक की राजनीति हो सकती है और एक राष्ट्रीय निकाय जो इस तरह के समान मानदंड स्थापित करने के लिए जिम्मेदार होगा, वह निष्पक्ष रूप से "चुनावी राजनीति की धूल और शोर से दबाव डाले बिना" लाभ प्रदान करने में सक्षम होगा।3.3 .2.6 इसलिए, समिति का विचार है कि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों या क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आय सीमा होना न तो संभव है और न ही वांछनीय है।"

ई.

च

जी.

18. पांडे समिति ने प्रस्तुत किया कि 8 लाख रुपये की कट-ऑफ अति-समावेशी नहीं है क्योंकि आंकड़ों से पता चलता है कि अधिकांश उम्मीदवार 5 लाख रुपये से कम आय वर्ग में आते हैं।

एच.

15 पैरा 3.3.1.34 रिपोर्ट के आंतरिक पृष्ठ 44 पर।

677

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

पांडे समिति ने यूपीएससी, एनईईटी-यूजी 2020 और जे. ई. ई. (2021) परीक्षाओं में योग्य ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवारों के लिए घरेलू आय वितरण के आंकड़ों पर भरोसा किया।पांडे समिति का निष्कर्ष नीचे प्रस्तुत किया गया हैः

“ 3.3 .3.6 तीन अलग-अलग प्रवेश परीक्षाओं के आंकड़ों का विश्लेषण करने के बाद।समिति का मानना है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि 8 लाख रुपये की वर्तमान कटौती अयोग्य उम्मीदवारों को शामिल करने की एक बड़ी समस्या का कारण बन रही है।फिर भी, समिति ने पाया कि आय में अस्थिरता, परिवार के आकार, कृषि आय को शामिल करने, कुछ स्थानों पर रहने की उच्च लागत आदि जैसे विभिन्न कारकों के लिए योग्य उम्मीदवारों के वितरण की एक लंबी "पूंछ" होगी।इसलिए, इस तथ्य के बावजूद कि योग्य उम्मीदवारों का बड़ा हिस्सा 5 लाख रुपये से कम है, कुछ हद तक उच्च सीमा की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करती है कि वितरण के अंतिम चरण में योग्य लाभार्थियों को बाहर नहीं किया गया है।

ग

डी.

3.3 .3.7 इस प्रकार, समिति की राय है कि 8 लाख रुपये प्रति वर्ष की आय मानदंड साक्ष्य के आधार पर अच्छा प्रदर्शन करता है और ईडब्ल्यूएस की पहचान के लिए इसे अपरिवर्तित रखा जाना चाहिए।

19. पांडे समिति का विचार था कि 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि वाले परिवारों को ईडब्ल्यूएस की श्रेणी से बाहर करने से संबंधित मौजूदा मानदंडों में कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, भले ही उनकी सकल आय 8 लाख रुपये से कम हो।पांडे समिति ने पाया कि यह सीमांत और छोटे किसान हैं जिनके पास 5 एकड़ तक की कृषि भूमि है जिनकी मासिक आय 10,000 रुपये के दायरे में है।पांडे समिति ने इस प्रकार टिप्पणी कीः

ई.

च

“3.3.4.17 सीमांत (1 हेक्टेयर से कम) और छोटे किसानों (1-2 हेक्टेयर भूमि) के लिए स्थिति काफी कमजोर है क्योंकि उनकी आय मध्यम और बड़े किसानों की तुलना में बहुत कम है।भूमि के आकार के अनुसार किसानों के एक सूक्ष्म वर्गीकरण से

पता चलता है कि सीमांत और छोटे किसानों की औसत मासिक आय क्रमशः मुश्किल से 9,099 रुपये और 11,000 रुपये है।

जी.

3.3.4.18 इसलिए, यह देखते हुए कि सीमांत और छोटे किसान (जिनके पास 5 एकड़ तक भूमि है) केवल 10,000 रुपये के दायरे में मासिक आय प्राप्त करने में सक्षम हैं, समिति का विचार है कि 5 एकड़ कृषि भूमि के मानदंड में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है।"

एच.

20. पांडे समिति ने राय दी कि ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए आवासीय संपत्ति मानदंड को हटा दिया जाना चाहिए।पांडे समिति ने नोट किया कि एक सामान्य भाजक की पहचान करने में व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं जिनका उपयोग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। पांडे समिति ने कहा कि एक संयुक्त परिवार के आवासीय घर में एकल परिवार के हिस्से को विभाजित करना मुश्किल हो सकता है।इसके अलावा, ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण क्षेत्रों में, घर के भूखंडों का उपयोग अनाज, कृषि उपकरणों के भंडारण और मवेशियों को आश्रय देने के लिए भी किया जाता है।आवासीय घर के मानदंडों का सीमांकन करना मुश्किल होगा।शहरी क्षेत्रों में, विभिन्न मापों का उपयोग किया जाता है जैसे कालीन क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र और अति-निर्मित क्षेत्र।यह एक उम्मीदवार पर निर्धारित प्राधिकारी से प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए इन क्षेत्रों को मापने और गणना करने का भारी बोझ डालेगा।पांडे समिति ने यह भी पाया कि आवासीय घर या भूखंड क्षेत्र का मानदंड भूमि के मूल्य को समाहित नहीं करता है जो भौगोलिक स्थिति के अनुसार भिन्न हो सकता है।पांडे समिति ने इस प्रकार निष्कर्ष निकालाः

ग

डी.

"3.3.4.31....इसलिए समिति का विचार है कि ई. डब्ल्यू. एस. के लिए एक समान दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है जिसमें सरलता, आसानी और सुविधा के लिए आवासीय संपत्ति बहिष्करण मानदंड को हटाया जा सकता है।संक्षेप में, आवासीय भूखंड के आकार या समतल तल क्षेत्र पर एक परिसंपत्ति मानदंड तब तक लागू नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस बात का स्पष्ट प्रमाण न हो कि इस प्रणाली को व्यवहार में व्यापक रूप से खेला जा रहा है।भले ही दुरुपयोग का सबूत था, समिति की राय है कि स्वामित्व और मूल्यांकन के बारे में जटिल बहस में फंसने के बजाय वास्तविक आय स्थापित करने के लिए डिजिटल जानकारी के धन का खनन करना आसान हो सकता है।"

ई.

21. इस प्रकार, प्रभावी रूप से एकमात्र संशोधन जिसकी पांडे समिति ने सिफारिश की है, वह है ई. डब्ल्यू. एस. की श्रेणी निर्धारित करने में आवासीय संपत्ति मानदंड का बहिष्कार। पांडे समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि नए मानदंडों को लागू करने से चल रहे दाखिले बाधित होंगे और देरी होगी।यह आगे कहा गया कि चूंकि वर्तमान ईडब्ल्यूएस मानदंड 2019 से लागू किया जा रहा था, इसलिए यदि इसे वर्तमान वर्ष में भी लागू किया जाता है तो कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा।पांडे समिति की प्रासंगिक टिप्पणियों को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

च

जी.

" 4.19....

.....

एच.

679

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

((iv) समिति ने इस परेशान करने वाले प्रश्न पर विचार-विमर्श किया कि उनकी रिपोर्ट में सुझाए गए मानदंडों का उपयोग किस वर्ष से किया जाना चाहिए, उन्हें अपनाया जाना चाहिए और उन्हें लागू किया जाना चाहिए।समिति ने पाया कि मौजूदा मानदंड (इस रिपोर्ट से पहले लागू मानदंड) 2019 से उपयोग में हैं।मौजूदा मानदंडों की वांछनीयता का सवाल उठा और इसके फिर से देखे जाने की संभावना हाल ही में नील ऑरेलियो नून्स और ओआरएस में उत्पन्न हुई।बनाम भारत संघ और ओआरएस।और 2021 के उत्तरार्ध की ओर याचिकाओं का एक समूह।जब तक इस माननीय न्यायालय ने उक्त प्रश्न की जांच शुरू की और केंद्र सरकार ने इस समिति की नियुक्ति करके मानदंडों पर पुनर्विचार करने का फैसला किया, तब तक कुछ नियुक्तियों/प्रवेशों के संबंध में प्रक्रिया हो चुकी थी या अपरिवर्तनीय और उन्नत चरण में थी।2019 से चल रही मौजूदा प्रणाली, यदि प्रक्रिया के अंत या अंतिम चरण में बाधित होती है, तो लाभार्थियों के साथ-साथ अधिकारियों के लिए भी अपेक्षा से अधिक जटिलताएं पैदा होंगी।

ग

डी.

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के मामले में, अनिवार्य रूप से और आवश्यक रूप से एक नए मानदंड को अचानक अपनाने से प्रक्रिया में कई महीनों तक की देरी होगी, जिसका भविष्य की सभी प्रवेश और शैक्षणिक गतिविधियों/शिक्षण/परीक्षा पर अपरिहार्य प्रभाव पड़ेगा, जो विभिन्न वैधानिक/न्यायिक समय निर्देश के तहत समयबद्ध हैं।

ई.

इन परिस्थितियों में, नए मानदंडों (जिनकी इस रिपोर्ट में सिफारिश की जा रही है) को लागू करना और चल रही प्रक्रियाओं के बीच लक्ष्य स्थान को बदलना पूरी तरह से अनुचित और अव्यावहारिक है, जिसके परिणामस्वरूप अपरिहार्य देरी और परिहार्य जटिलताएं होती हैं।जब मौजूदा प्रणाली 2019 से चल रही है, तो कोई गंभीर पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा यदि यह इस वर्ष भी जारी रहता है।मानदंडों को बीच में बदलने के परिणामस्वरूप उन लोगों/व्यक्तियों द्वारा देश भर की विभिन्न अदालतों में मुकदमों की झड़ी लगनी तय है जिनकी पात्रता अचानक बदल जाएगी।

च

इसलिए समिति, इस मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष का विश्लेषण करने के बाद और गंभीरता से विचार करने के बाद, सिफारिश करती है कि प्रत्येक चल रही प्रक्रिया में मौजूदा और चल रहे मानदंडों को जारी रखा जाए, जहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध है और इस रिपोर्ट में अनुशंसित मानदंडों को अगले विज्ञापन/प्रवेश चक्र से लागू किया जा सकता है।"

जी.

एच.

680

22. सॉलिसिटर जनरल द्वारा तत्काल सूचीबद्ध करने के अनुरोध के बाद याचिकाओं को 5 जनवरी 2022 को सूचीबद्ध किया गया था।केंद्र सरकार की ओर से यह आग्रह किया गया कि ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण (पुराने मानदंडों का पालन करते हुए) को वर्तमान प्रवेश वर्ष में लागू करने की अनुमति दी जानी चाहिए।याचिकाकर्ताओं ने इसका विरोध किया है।
23. 7 जनवरी 2022 के एक आदेश द्वारा, इस न्यायालय ने ए. आई. क्यू. मेडिकल और डेंटल यू. जी. और पीजी सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों की संवैधानिकता अभी तय नहीं की गई है।हालाँकि, अंतरिम में, इस अदालत ने निर्देश दिया कि एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 और एन. ई. ई. टी.-यू. जी. 2021 में परामर्श 29 जुलाई 2021 के नोटिस द्वारा प्रदान किए गए आरक्षण को प्रभावी बनाकर आयोजित किया जाए, जिसमें 27 प्रतिशत ओ. बी. सी. आरक्षण और 10 प्रतिशत ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण शामिल है।चालू शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए EWS आरक्षण की अनुमति देने के कारण इस क्रम में दिए गए हैं।

ग

जी. वकील की प्रस्तुतियाँ

डी.

24. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री अरविंद दातार ने तर्क दिया कि ओ. एम. में ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी निर्धारित करने के लिए निर्धारित मानदंड प्रथम दृष्टया मनमाना है।इस तर्क के समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ कीं:

(i) असंरक्षित श्रेणी के ई. डब्ल्यू. एस. के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए 14 जनवरी 2019 को संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम 2019 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था।ओ. एम. ने संशोधन लागू करने के तीन दिनों के भीतर ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी निर्धारित करने के लिए मानदंड निर्धारित किए।केंद्र सरकार ने 17 जनवरी 2019 को मानदंडों को अधिसूचित करने से पहले कोई अध्ययन नहीं किया।पांडे समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि 2019 में मानदंडों को अधिसूचित करने से पहले कोई कवायद नहीं की गई थी।

ई.

च

((ii) पांडे समिति की रिपोर्ट केवल मानदंडों को उचित ठहराती है, लेकिन मानदंडों पर पहुंचने के लिए की गई कवायद को प्रस्तुत नहीं करती है।

जी.

(iii) ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के निर्धारण के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की आय सीमा मनमाना है क्योंकि:

(क) ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान करने के लिए ओ. बी. सी./बी. सी./एम. बी. सी. की क्रीमी लेयर श्रेणी निर्धारित करने के लिए उपयोग की जाने वाली आय सीमा का उपयोग किया जाता है।

एच.

681

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

ओ. बी. सी. श्रेणी अनारक्षित श्रेणी के विपरीत सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन दोनों से पीड़ित है।बहिष्करण के मानदंड का उपयोग समावेश के मानदंड के रूप में नहीं किया जा सकता है।

(ख) 8 लाख रुपये की आय सीमा का निर्धारण असमान लोगों के साथ समान व्यवहार करने के बराबर होगा।उदाहरण के लिए, राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अलग-अलग होती है।गोवा की प्रति व्यक्ति आय 4 लाख रुपये है, जबकि बिहार की प्रति व्यक्ति आय 40,000 रुपये है।सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री ने एक संसदीय प्रश्न का उत्तर देते हुए

राज्यों और ग्रामीण और शहरी आबादी के बीच प्रति व्यक्ति आय में असमानता को स्वीकार किया।8 लाख आय का मानदंड किसी भी राज्य की प्रति पूंजी आय से अधिक है।

ग

(ग) 8 लाख रुपये की सीमा ऊपरी छोर पर है और इसमें उन लोगों का वर्ग शामिल नहीं है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। सामान्य श्रेणी के संपन्न सभी उपलब्ध आरक्षित सीटों को छीन लेंगे।इस प्रकार, 8 लाख रुपये की सीमा अति-समावेशी है।

डी.

(घ) ई. डब्ल्यू. एस. के लिए आरक्षण प्रदान करने की व्यवहार्यता और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी निर्धारित करने के मानदंड निर्धारित करने के उद्देश्य से प्रमुख सिंह आयोग का गठन किया गया था।आयोग ने सभी राज्यों के साथ व्यापक अध्ययन और परामर्श के बाद 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।इतने व्यापक अध्ययन के बाद, इसने सिफारिश की कि ई. डब्ल्यू. एस. के निर्धारण के लिए मानदंड वे परिवार होंगे जो बी. पी. एल. श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और जिन परिवारों को आयकर के भुगतान से छूट दी गई है। प्रासंगिक समय पर 1.60 लाख);

ई.

च

(ई) 8 लाख रुपये की सामान्य आय सीमा में आय में अस्थिरता, परिवार का आकार और कुछ स्थानों पर रहने की उच्च लागत जैसे कारक शामिल नहीं हैं; (च) वर्तमान गैर-कर योग्य सीमा 8 लाख रुपये है। 2. 50 लाख।एक व्यक्ति जो रुपये बचाता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80 सी के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए प्रति वर्ष 2 से 3 लाख रुपये को 'आर्थिक रूप से कमजोर' नहीं कहा जा सकता है।

जी.

एच.

(छ) सातवें वेतन आयोग के अनुसार, चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी को 18,000 रुपये से 30,0000 रुपये के बीच वेतन मिलता है।इसलिए, 8 लाख रुपये की सीमा समावेशी है; और

(ज) 8 लाख रुपये की सीमा एक टॉप डाउन दृष्टिकोण है न कि बॉटम अप दृष्टिकोण।पांडे समिति ने मेजर सिंह आयोग की सिफारिशों की गलत व्याख्या की है।

(iv) पांडे समिति की रिपोर्ट में मेजर सिन्हो आयोग की सिफारिश को अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं है।रिपोर्ट 21 अक्टूबर 2021 के आदेश द्वारा इस न्यायालय द्वारा उठाए गए मुद्दों को पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं करती है क्योंकिः

ग

(क) रिपोर्ट विश्वसनीय डेटा के अभाव को स्वीकार करती है; (ख) रिपोर्ट बिना किसी अध्ययन के तीन सप्ताह के भीतर प्रस्तुत की गई थी, मेजर सिन्हो आयोग की रिपोर्ट के विपरीत जो डेटा, सर्वेक्षण रिपोर्ट और फीडबैक पर निर्भरता रखते हुए चार साल के व्यापक शोध के बाद प्रस्तुत की गई थी;

डी.

(ग) पांडे समिति ने रिपोर्ट तैयार करते समय राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ परामर्श नहीं किया।बिना किसी परामर्श के, यह सिफारिश की जाती है कि क्रय शक्ति के आधार पर विभिन्न राज्यों या क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आय सीमाएं नहीं होनी चाहिए; (घ) रिपोर्ट में कहा गया है कि 8 लाख रुपये की पारिवारिक आय अति-समावेशी नहीं लगती है क्योंकि वास्तविक परिणामों पर 'उपलब्ध डेटा' अति-समावेशन का संकेत नहीं देता है।हालाँकि, दावे को साबित करने के लिए 'वास्तविक परिणामों' पर कोई डेटा प्रस्तुत नहीं किया गया था।

ई.

च

(ई) ई. डब्ल्यू. एस. मानदंड निर्धारित करने के लिए महानगरीय और गैर-महानगरीय शहरों, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रहने की अलग-अलग लागतों पर विचार नहीं करने के लिए रिपोर्ट में औचित्य यह था कि इससे जटिलताएं पैदा होंगी।ऐसा औचित्य उचित नहीं है; (च) 5 एकड़ कृषि भूमि परिसंपत्ति छूट मनमाना है क्योंकि गीली और सूखी भूमि के बीच कोई छूट नहीं दी गई है; और

जी.

एच.

683

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

(छ) पांडे समिति ने प्रासंगिक कारकों की अनदेखी करके और अप्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए मानदंड निर्धारित किए हैं।

(v) अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16 के प्रयोजनों के लिए, 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों' को राज्य द्वारा समय-समय पर पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा।केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के पास ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने की शक्ति है। हालाँकि, पांडे समिति ने मानदंडों पर पहुंचने से पहले राज्यों से परामर्श भी नहीं किया।केरल सरकार ने ईडब्ल्यूएस की पहचान करने के लिए मानदंड निर्धारित करने के लिए एक आयोग का गठन किया। श्री के. शशिधरन नायर की अध्यक्षता में आयोग ने 29 नवंबर 2019 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें सिफारिश की गई कि केरल में ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पहचान करने के लिए 4 लाख रुपये की सकल पारिवारिक आय का उपयोग किया जाना चाहिए।

ग

डी.

(vi) खुली श्रेणी की सीटें सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणियों के सदस्यों द्वारा भरी जाती हैं।तमिलनाडु में प्रस्तुत राजन समिति की रिपोर्ट के अनुसार, खुली श्रेणी की केवल 2.3 प्रतिशत सीटों पर अगड़े समुदाय का कब्जा है।ई. डब्ल्यू. एस. की अनुचित पहचान करके, अग्रगामी समुदाय द्वारा झेले गए अन्याय को बढ़ाया जा रहा है;

ई.

(vii) इंद्र साहनी (ऊपर) में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 15 और 16 के तहत आरक्षण के प्रयोजनों के लिए पहचाने गए वर्ग में समान लक्षण होने चाहिए।विवादित मानदंडों द्वारा पहचाने गए ई. डब्ल्यू. एस. वर्ग में सामान्य लक्षण नहीं हैं; और

च

(viii) शांतिस्टार बिल्डर्स बनाम नारायण के. के मामले में।

कुल 16 में, इस न्यायालय की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि 'आर्थिक आधार' या 'साधन परीक्षण' को 'समाज के कमजोर वर्गों' के निर्धारण के लिए एक कार्यशील दिशानिर्देश के रूप में अपनाया जा सकता है।इस मामले में, 18,000 रुपये से अधिक की वार्षिक आय वाले परिवार को समाज के कमजोर वर्गों से संबंधित माना जाता था।

जी.

16 (1990) 1 एस. सी. सी. 520

एच.

25. हस्तक्षेप करने वालों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील श्री आनंद ग्रोवर ने ईडब्ल्यूएस के निर्धारण के मानदंडों को चुनौती देते हुए निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ दीं:

(i) अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि ई. डब्ल्यू. एस. का निर्धारण 'पारिवारिक आय और आर्थिक नुकसान के अन्य संकेतकों' के आधार पर किया जाना चाहिए।इसलिए, वर्ग की पहचान के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों में आय और अन्य संकेतक दोनों शामिल होने चाहिए।हालांकि, तैयार किए गए मानदंड आर्थिक नुकसान के लिए किसी अन्य संकेतक का उपयोग नहीं करते हैं।

((ii) ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान आय सीमा द्वारा की जाती है, और अन्य संकेतकों का उपयोग केवल आय मानदंड के भीतर आने वाले वर्ग को छूट देने के लिए किया जाता है।ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान करते समय आवास, साक्षरता, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे संकेतकों की अनदेखी की गई है।

ग

(iii) भारत में दैनिक न्यूनतम मजदूरी 176 रुपये प्रति दिन है, जो संसदीय समिति द्वारा अनुशंसित मजदूरी का आधा भी नहीं है।भारत की लगभग 76 प्रतिशत आबादी को न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है।इसलिए, मानदंड केवल मलाईदार परत की पहचान करता है न कि 'सबसे गरीब' की;

डी.

ई.

(iv) आय मानदंड आयकर छूट स्लैब पर आधारित होना चाहिए जो रु। 2. 50 लाख।यह देखते हुए कि रुपये की कटौती। 2. 5 लाख 2004 में तय किया गया था, राशि को 10-12 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सकता है; और

(v) पांडे समिति की रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तथ्य के बावजूद कि अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों का बड़ा हिस्सा 5 लाख रुपये से कम है, कुछ हद तक उच्च सीमा की आवश्यकता है जो यह सुनिश्चित करती है कि आय में अस्थिरता, परिवार का आकार, कुछ स्थानों पर रहने की उच्च लागत जैसे विभिन्न कारकों से प्रभावित योग्य लाभार्थियों को बाहर नहीं किया गया है।' रुपये निर्धारित नहीं करने का कोई अन्य औचित्य नहीं दिया गया है। आय सीमा के रूप में 5 लाख।

च

जी.

26. भारत संघ की ओर से सॉलिसिटर जनरल श्री तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने निम्नलिखित दलीलें दीं:

(i) खेल शुरू होने के बाद से खेल के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया था क्योंकि विवादित नोटिस ए के माध्यम से आरक्षण किया गया था।

एच.

685

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

29 जुलाई 2021 को जारी किया गया था जिसे परीक्षा आयोजित करने की तारीख से बहुत पहले और परामर्श प्रक्रिया शुरू होने से पहले पेश किया गया था।एन. ई. ई. टी. पी. जी. परीक्षा कार्यक्रम इस प्रकार हैः

(क) सूचना विवरणिका का विमोचनः23 फरवरी 2021 (बी) पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआतः23 फरवरी 2021

(ग) पंजीकरण की अंतिम तिथिः15 मार्च 2021 (घ) अनुसूचित परीक्षा तिथिः18 अप्रैल 2021 (ई) चार महीने के लिए स्थगनः03 मई 2021 (च) परीक्षाओं की नई तिथि घोषित की गईः13 जुलाई 2021

ग

(छ) परीक्षा के लिए नई तारीखः11 23 फरवरी 2021 को जारी सूचना बुलेटिन के खंड 11.1 में कहा गया है कि स्नातकोत्तर सीटों का आरक्षण केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के मानदंडों के अनुसार होगा।खंड 11.2 में कहा गया है कि एन. ई. ई. टी.-पी. जी. 2021 के लिए नामित परामर्श प्राधिकरण द्वारा परामर्श प्रक्रिया और लागू आरक्षण के बारे में जानकारी प्रदान करने वाली एक अलग पुस्तिका जारी की जाएगी।इसलिए, प्रक्रिया केवल परामर्श प्रक्रिया की शुरुआत के साथ शुरू होती है और पंजीकरण बंद होने पर नहीं; (ii) 29 जुलाई 2021 के नोटिस के संदर्भ में ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए एम. डी. एस. प्रवेश में पहले ही लागू कर दिया गया है, ताकि इस अदालत के 11 अगस्त 2021 के आदेश का पालन किया जा सके।

डी.

ई.

च

देबराज सामंत और अन्य बनामचिकित्सा परामर्श समिति **17;**

(iii) ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण पहले से ही लागू है और अब चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों में यू. जी./पी. जी. प्रवेश के लिए ए. आई. क्यू. सीटों तक बढ़ाया जा रहा है।आई. आई. टी. और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों के लिए ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण पहले ही लागू किया जा चुका है।आरक्षण के अनुपालन में है

जी.

17 2021 का डब्ल्यूपी (सी) संख्या 680

एच.

686

संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम 2019 और पात्रता मानदंडों के निर्धारित मापदंडों के संदर्भ में है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सकल आय भी शामिल है।

(iv) ई. डब्ल्यू. एस. के लिए आरक्षण अवसर की समानता और सामाजिक न्याय की चिंताओं के व्यापक विचारों पर शुरू किया गया था।इस आरक्षण से हर साल एमबीबीएस के लिए लगभग 550 ईडब्ल्यूएस छात्र और पीजी मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए 1000 ईडब्ल्यूएस छात्र लाभान्वित होंगे।

(v) पिछले छह वर्षों में एम. बी. बी. एस. की सीटें 2014 की 54,348 सीटों से 56 प्रतिशत बढ़कर 2020 में 84,649 हो गई हैं और स्नातकोत्तर सीटों की संख्या 2014 की 30,191 सीटों से 80 प्रतिशत बढ़कर 2020 में 54,275 हो गई है। इसी अवधि में, देश में 17 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं और अब देश में 558 मेडिकल कॉलेज हैं।इस प्रकार, ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण अन्य श्रेणियों की कीमत पर नहीं होगा।

ग

डी.

(vi) संविधान (एक सौ तीसरा संशोधन) अधिनियम 2019 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने के लिए 5 अगस्त के आदेश द्वारा संविधान पीठ को भेजा गया है।

2020 जनहित अभियान बनाम भारत संघ और अन्य में। 18.जबकि

संविधान पीठ को चुनौती देते हुए, इस न्यायालय ने संवैधानिक संशोधन के संचालन पर रोक नहीं लगाई।इस प्रकार, 29 जुलाई 2021 के नोटिस के माध्यम से संवैधानिक संशोधन के कार्यान्वयन पर वर्तमान रिट याचिकाओं में सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

ई.

(vii) ए. आई. क्यू. सीटों में प्रवेश के लिए आरक्षण का मानदंड नीतिगत है और यह केंद्र सरकार की शक्तियों के भीतर है। मानदंड उन व्यक्तियों की विभिन्न श्रेणियों के समग्र मूल्यांकन और आवश्यकताओं के सर्वेक्षण पर निर्भर करता है जिन्हें उच्च शिक्षा की सुविधाएं प्रदान करना आवश्यक है।न्यायिक समीक्षा की रूपरेखा को इस न्यायालय द्वारा बी. के. पवित्र बनाम भारत संघ 19 में परिभाषित किया गया है, जो "बेरियम केमिकल्स टेस्ट" है।इस प्रकार, जब तक ई. डब्ल्यू. एस. के लिए मानदंड इतने घोर रूप से अनुचित नहीं हैं कि सामान्य ज्ञान वाला कोई भी व्यक्ति इस पर नहीं पहुंचेगा, तब तक न्यायिक हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है।

च

जी.

18 2019 की डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 55 19 (2019) 16 एस. सी. सी. 129।

एच.

687

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

(viii) एक वैकल्पिक मानदंड के साथ आना हमेशा संभव है।हालाँकि, न्यायपालिका को केवल यह आकलन करने की आवश्यकता है कि क्या सरकार ने केवल प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा, दिमाग का उपयोग दिखाया और एक बेतुका दृष्टिकोण नहीं अपनाया कि कोई भी सामान्य ज्ञान वाला व्यक्ति इस पर नहीं पहुंचेगा।

(ix) केंद्र सरकार ने ओ. एम. में निर्धारित ई. डब्ल्यू. एस. मानदंडों के निर्धारण के लिए एक अभ्यास शुरू किया था, जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और सभी संबंधित हितधारकों के भीतर उचित विचार-विमर्श के बाद किया गया था। ओ. एम. के अस्तित्व में आने से पहले ही सरकार ने 2005 में मेजर जनरल सिन्हो आयोग की स्थापना की थी।मेजर सिंह आयोग ने जुलाई 2010 की अपनी रिपोर्ट में विभिन्न निष्कर्षों पर पहुंचा, जिसमें यह भी शामिल है कि ओ. बी. सी. के बीच क्रीमी लेयर सीमा अनारक्षित श्रेणी के बीच आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करने के लिए ऊपरी सीमा तय करने के आधार के रूप में काम कर सकती है।फिर भी ओ. बी. सी. क्रीमी लेयर पर लागू होने वाले मानदंड ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान के लिए लागू मानदंडों से काफी अलग हैं। उत्तरार्द्ध के लिए मानदंड अधिक कठोर है;

ग

डी.

(x) पांडे समिति ने केवल प्रमुख सिंह आयोग की रिपोर्ट में बदलाव किया है।इसने सामाजिक आर्थिक और जाति जनगणना 2011 सहित प्रासंगिक सामग्री पर भी विचार किया है।सामग्री के आधार पर, यह राय दी गई कि आर्थिक कमजोरी एक जटिल मुद्दा है और गरीबी के स्तर को पकड़ने के लिए किसी एक संकेतक का उपयोग नहीं किया जा सकता है।पांडे समिति ने पाया कि एक बहु-आयामी मानदंड के लिए जटिल और बड़े पैमाने पर सर्वेक्षण की आवश्यकता होती है।चूँकि ई. डब्ल्यू. एस. एक गतिशील अवधारणा है और विकसित होती रहती है, इसलिए आय मानदंड होना उपयुक्त है।उपभोग पद्धति पर आधारित मानदंड लोगों को आरक्षण लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से कुछ वस्तुओं और सेवाओं से बचने के लिए प्रेरित करेगा।

ई.

च

जी.

(xi) प्रमुख सिंह आयोग की रिपोर्ट में आयकर छूट सीमा का उपयोग करने की सिफारिश की गई थी।जबकि वर्तमान आयकर छूट सीमा ढाई लाख रुपये है, 8 लाख रुपये की आय प्रभावी रूप से आयकर छूट सीमा के भीतर आती है क्योंकि 5 लाख रुपये तक की आय के लिए कर छूट प्रदान की जाती है।

एच.

और पर्याप्त बचत और निवेश के साथ, ऐसी कर छूट प्राप्त की जा सकती है।इसके अलावा, आयकर छूट की सीमा व्यक्तियों पर लागू होती है लेकिन 8 लाख की आय सीमा परिवारों पर लागू होती है।यदि एक परिवार के तीन सदस्य सालाना 3 लाख रुपये कमाते हैं, तो वे ईडब्ल्यूएस के दायरे से बाहर हो सकते हैं।

(xii) यदि ई. डब्ल्यू. एस. की पहचान करने के लिए कम आय सीमा अपनाई जाती है, तो यह कम समावेशी होगी।ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण के लिए पात्र होने के लिए, लाभार्थी की घरेलू आय पिछले वित्तीय वर्ष में 8 लाख रुपये से कम होनी चाहिए।एक परिवार द्वारा अर्जित अप्रत्याशित आय का केवल एक वर्ष उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी से बाहर कर सकता है।

ग

(xiii) यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राज्य गरीबों की नहीं बल्कि आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी से संबंधित लोगों की पहचान कर रहा है।ऐसे लोग गरीबी रेखा से ऊपर हो सकते हैं।

(xiv) आंतरिक प्रवास के कारण शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग आय सीमाओं को अपनाना मुश्किल होगा और इससे कार्यान्वयन के मुद्दे पैदा होंगे।आरक्षण प्रदान करने के लिए एक समान मानदंड का उपयोग किया जा सकता है।

डी.

(xv) यह भेदभावपूर्ण होगा यदि ईडब्ल्यूएस आरक्षण को मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में लागू नहीं किया जाता है, जब इसे अन्य शैक्षणिक संस्थानों में लागू किया जा रहा है; और

ई.

(xvi) जबकि पांडे समिति ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि आवासीय भूखंड के आकार को निर्धारित करने के लिए प्रमाणन प्रक्रिया एक बोझिल प्रक्रिया है और ईडब्ल्यूएस श्रेणी से छूट के लिए आवासीय मानदंड को समाप्त करने की सिफारिश की है, इसने यह भी सिफारिश की है कि नए मानदंड संभावित रूप से लागू होने चाहिए।ई. डब्ल्यू. एस. उम्मीदवारों ने ई. डब्ल्यू. एस. मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने संबंधित प्रमाण पत्र तैयार किए होंगे जो इस प्रवेश चक्र के लिए परामर्श प्रक्रिया शुरू होने के बाद जमा किए जाने हैं।इस प्रकार, इस वर्ष आवेदन करने में उन्हें कोई कठिनाई नहीं होगी।दूसरी ओर, यदि इस वर्ष से नए मानदंड लागू किए जाते हैं, तो यह पूरी प्रवेश प्रक्रिया को बाधित करेगा क्योंकि नए मानदंडों के तहत अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को इसे पूरा करने और परामर्श प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अतिरिक्त समय देना होगा।

च

जी.

एच.

689

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.] ए.

क.

एच. विश्लेषण

27. यह हमारे संज्ञान में लाया गया है कि एम. डी. एस. पाठ्यक्रमों के लिए परामर्श पहले ही शुरू हो चुका है, जहाँ ए. आई. क्यू. में ई. डब्ल्यू. एस. के लिए आरक्षण प्रदान किया गया है।याचिकाकर्ताओं की ओर से श्री श्याम दीवान ने आग्रह किया है कि एम. डी. एस. पाठ्यक्रमों के लिए पूरी तरह से अलग अभ्यास आयोजित किया जाए।उन्होंने प्रस्तुत किया है कि एम. डी. एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए एक अलग अधिसूचना जारी की जाती है और परीक्षा और परामर्श के लिए एक अलग अनुसूची का पालन किया जाता है।चाहे जो भी हो, ए. आई. क्यू. सीटों के निर्माण के संबंध में चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों को समान आधार पर माना गया है।प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 20 मामले में इस न्यायालय के निर्णय, जिसके कारण राज्य द्वारा संचालित मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ए. आई. क्यू. सीटों की स्थापना हुई, ने विशेष रूप से स्पष्ट किया कि एम. बी. बी. एस. और एम. डी./एम. एस. पाठ्यक्रमों के संबंध में की गई टिप्पणियाँ और निर्देश बी. डी. एस. और एम. डी. एस. पाठ्यक्रमों पर समान रूप से लागू होंगे।21 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना ने मेडिकल और डेंटल दोनों पाठ्यक्रमों में ए. आई. क्यू. सीटों के लिए ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणियों के लिए आरक्षण की शुरुआत की।इस प्रकार, ए. आई. क्यू. के कार्यान्वयन और सीट वितरण को नियंत्रित करने वाली आरक्षण नीति के संबंध में चिकित्सा और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के बीच समानता रही है।श्री दीवान ने यह भी प्रस्तुत किया है कि डेंटल सर्जरी में स्नातक की डिग्री रखने वाले डॉक्टरों द्वारा 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना को एक अलग चुनौती 22 दी गई है, जिस पर याचिकाओं के वर्तमान बैच के साथ सुनवाई की जा रही है।यह तर्क, वास्तव में, इस निष्कर्ष का समर्थन करता है कि जबकि चिकित्सा और दंत चिकित्सा दोनों पाठ्यक्रमों में आरक्षण को चुनौती दी गई है, लंबित परामर्श प्रक्रिया को देखते हुए पूर्व के लिए आरक्षण के कार्यान्वयन पर कोई भी अंतरिम रोक, दोनों धाराओं के बीच असमानता की स्थिति पैदा करेगी, जिन्हें हमेशा समान माना गया है।इसलिए, चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए इस शैक्षणिक वर्ष के लिए आरक्षण पर रोक से दंत चिकित्सा उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग व्यवहार किया जाएगा, जिन्हें समान रूप से रखा गया है।

ग

डी.

ई.

च

28. याचिकाकर्ताओं की ओर से, यह आग्रह किया गया है कि खेल के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है और इसलिए, 29 जुलाई 2021 की अधिसूचना को अलग किया जा सकता है क्योंकि इसे परीक्षा के लिए पंजीकरण बंद होने के बाद जारी किया गया था।हमने ए. आई. क्यू. में ओ. बी. सी. आरक्षण की वैधता पर याचिकाओं के वर्तमान समूह में 20 जनवरी 2022 को दिए गए फैसले में इस तर्क पर विस्तार से विचार किया है।

जी.

20 1984 ए. आई. आर. 1420 21 अनुच्छेद 23.

22 2021 का डब्ल्यूपी (सी) संख्या 1105

एच.

सीटें।एन. ई. ई. टी. परीक्षा आयोजित करने के उद्देश्य से 23 फरवरी 2021 को जारी सूचना बुलेटिन में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि परामर्श प्राधिकरण परामर्श प्रक्रिया और लागू आरक्षण के विवरण से संबंधित एक अलग पुस्तिका जारी करेगा। इस प्रकार, पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान जो 23 फरवरी 2021 को शुरू हुई और 15 मार्च 2021 को समाप्त हुई, उम्मीदवारों को पता था कि सीट मैट्रिक्स से संबंधित विवरण केवल परामर्श प्रक्रिया के दौरान उपलब्ध होंगे।29 जुलाई 2021 की अधिसूचना परीक्षा आयोजित होने और परामर्श प्रक्रिया शुरू होने से बहुत पहले जारी की गई थी।यह नहीं कहा जा सकता है कि खेल के लिए नियम 15 मार्च 2021 को पंजीकरण बंद होने पर निर्धारित किए गए थे, जैसा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से आग्रह किया गया है।29. ए. आई. क्यू. सीटों में ओ. बी. सी. आरक्षण की वैधता पर 20 जनवरी 2022 को सुनाए गए फैसले में, हमने ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण को लागू करने के लिए केंद्र सरकार की शक्ति को चुनौती दी है।संविधान के अनुच्छेद 15 (5) और अनुच्छेद 15 (6) को देखते हुए भारत संघ के पास ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण प्रदान करने की शक्ति है क्योंकि इन सीटों को केंद्र को सौंप दिया गया है।

ग

डी.

30. ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण की वैधता पर याचिकाकर्ताओं का तर्क ए. आई. क्यू. सीटों में आरक्षण की अनुमति तक सीमित नहीं था।बल्कि, याचिकाकर्ताओं ने ई. डब्ल्यू. एस. के निर्धारण के लिए बहुत ही मानदंडों को चुनौती दी, जिसके लिए न केवल हमें मामले को विस्तार से सुनने की आवश्यकता होगी, बल्कि हमें सभी इच्छुक पक्षों को सुनने की भी आवश्यकता होगी। हालांकि, इस याचिका के लंबित होने के कारण परामर्श प्रक्रिया में देरी को देखते हुए, हम ईडब्ल्यूएस श्रेणी की पहचान के लिए मौजूदा मानदंडों के साथ परामर्श सत्र शुरू करने की अनुमति देना आवश्यक समझते हैं।न्यायिक औचित्य हमें ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के निर्धारण के मानदंडों पर रोक लगाने वाला अंतरिम आदेश पारित करने की अनुमति नहीं देगा।यह कानून का एक स्थापित सिद्धांत है कि किसी कानून या नियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाले मामलों में, अदालत को अंतरिम आदेश पारित करने के लिए सावधान रहना चाहिए, जब तक कि अदालत को विश्वास न हो कि नियम प्रथम दृष्टया मनमाने हैं।23 हालाँकि, इस स्तर पर, सभी इच्छुक पक्षों को विस्तार से सुने बिना, जैसे कि (i) अनुच्छेद 15 के तहत आरक्षण प्रदान करने के लिए निर्भर सामग्री की न्यायिक समीक्षा की सीमा; (ii) अनुच्छेद 15 के स्पष्टीकरण को देखते हुए और केरल सरकार द्वारा गठित समिति द्वारा प्रस्तावित वैकल्पिक मानदंडों को देखते हुए ईडब्ल्यूएस निर्धारित करने की राज्यों की शक्ति; और (iii) ईडब्ल्यूएस का अर्थ-गरीबों या सबसे गरीब लोगों की पहचान, के लिए अनुमति नहीं होगी।

ई.

च

जी.

एच.

23 हार्ट ऑफ मिलियंस बनाम भारत संघ, 2014 (14) एस. सी. सी. 496 ए

691

नील ऑरेलियो नून्स एंड ओ. आर. एस. बनामभारत और ओआरएस का संघ। [डॉ. धनंजय वाई चंद्रचूड़, जे.]

मानदंडों की कथित मनमानेपन पर प्रथम दृष्टया राय बनाने के लिए।ये तर्क केवल हमारे सामने उठाए गए तर्कों की विस्तृत श्रृंखला का संकेत हैं, जिन पर उचित विचार की आवश्यकता होगी क्योंकि समानता और कानून पर इसके व्यापक संवैधानिक और सामाजिक प्रभाव हैं।

31. इसके अतिरिक्त, कोई भी न्यायिक हस्तक्षेप जिसने इस शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए उल्लिखित आरक्षण नीति को बदल दिया होता, प्रवेश प्रक्रिया में देरी करता।ओ. बी. सी. और ई. डब्ल्यू. एस. के लिए आरक्षण शुरू करने की अधिसूचना 29 जुलाई 2021 को जारी की गई थी।इसके बाद, उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी और ईडब्ल्यूएस स्थिति को बदलने की अनुमति देने के लिए 6 अगस्त 2021 को एक नोटिस जारी किया गया था।किसी की स्थिति को संपादित करने की अवधि 16 अगस्त 2021 और 20 अगस्त 2021 के बीच थी।परीक्षा 11 सितंबर 2021 को आयोजित की गई थी।ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों ने आरक्षण के लिए आवेदन करने के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज तैयार किए होंगे।इस स्तर पर आरक्षण के लिए पात्रता की स्थिति में किसी भी बदलाव से भ्रम पैदा होता और इस तरह के बदलाव को चुनौती देने वाली संभावित मुकदमेबाजी होती।यह केवल और देरी का कारण बनता।हम अभी भी महामारी के बीच में हैं और डॉक्टरों की भर्ती में कोई भी देरी महामारी का प्रबंधन करने की क्षमता को प्रभावित करेगी।इसलिए, प्रवेश प्रक्रिया में किसी भी और देरी से बचना और तुरंत परामर्श शुरू करने की अनुमति देना आवश्यक है।परिणामस्वरूप, हम 2021-2022 के शैक्षणिक वर्ष के लिए एन. ई. ई. टी. यू. जी. और पी. जी. सीटों में ए. आई. क्यू. सीटों में ई. डब्ल्यू. एस. आरक्षण को लागू करने की अनुमति देते हैं।ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान ओ. एम. संख्या 36039/1/2019 में मानदंडों को ध्यान में रखते हुए की जाएगी।ई. डब्ल्यू. एस. श्रेणी की पहचान के लिए पांडे समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों की वैधता को चुनौती मार्च 2022 के तीसरे सप्ताह में अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की जाएगी।

ग

डी.

ई.

च

दिव्या पांडे

अंतिम सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किए जाने वाले मामले।

(सहायकः रूपांशी विरंग, एलसीआरए)

जी.

एच.